लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ६, १९६२/१८८४ (शक)

६ से १८ अगस्त, १९६२/१५ से २७ श्रावण, १८८४ (शक)

3rd Lok Sabha

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Buildin
Room No. FB-025
Block 'G'

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

लोक-सभा

मंगलवार, १४ अगस्त, १९६२

२३ श्रावण, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उड़ीसा से लोह अयस्क का आयात

+

†*२६९. {**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवदी :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की खानों के लौह अयस्क के परादीप पत्तन से निर्यात के बारे में जापान के साथ प्रस्तावित करार को अन्तिम रुप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह करार किस प्रकार का है ;

(ग) परादीप पत्तन से १९६१–६२ में कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया और क्या उपरोक्त पत्तन से निर्यात के लिये उक्त वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). पूरी योजना तैयार की जा रही है ।

(ग) और (घ). परादीप पत्तन से निर्यात का कोई विशिष्ट लक्ष्य तो निर्धारित नहीं किया गया किन्तु इस पत्तन से १९६१–६२ में २५,००० टन लौह अयस्क का निर्यात किया गया ।

†मूल अंग्रेजी में

1574(Ai)L.S.D—1.

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या यह सच है कि जापानी विशेषज्ञों ने, जिन्होंने इस प्रयोजन से हाल में उड़ीसा का दौरा किया, बताया है कि प्रस्तावित एक्सप्रेस राज पथ के ज़रिये अयस्क का परिवहन उनके लिये बहुत ख़र्चीला होगा और इसलिये अब इस आपत्ति पर विचार किया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विशेषज्ञ अभी आये नहीं हैं। वे सितम्बर में आयेंगे और यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि एक्सप्रेस राज पथ या और कोई बात बहुत खर्चीली होगी। परियोजना की प्रारम्भिक जांच के आधार पर वह लाभप्रद, मितव्ययी और उपयोगी प्रतीत होती है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या यह सच है कि तीसरी योजना में परादीप पत्तन से ५ लाख टन लौह अयस्क के लिये धन रखा गया है। उसके बारे में क्या किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : परादीप पत्तन के लिये अब तक कुछ नहीं किया गया है। यह एक नई परियोजना है जिसका कार्यान्वय जापान और भारत के परामर्शदाताओं की राय पर निर्भर है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री वेंकटासुब्बया ।

†**श्री प० वेंकटासुब्बया** : क्या मंत्री महोदय उड़ीसा के मुख्य मंत्री के साथ जापान जाकर उड़ीसा से लौह अयस्क के दीर्घकालीन निर्यात के बारे में कोई करार करने का इरादा रखते है जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : एक छोटा उच्च-शक्ति प्राप्त प्रतिनिधि मंडल भेजने का प्रस्ताव अवश्य है किन्तु उसका जाना जापानी और भारतीय परामर्शदाताओं की सलाह और सिफारिशों पर निर्भर करेगा। इसके बाद यदि सरकार आवश्यक समझे तो यह प्रतिनिधि मंडल जापान जायेगा ।

†**श्री दे० द० पुरी** : क्या कुछ अन्य जगहों से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां। भारत के सभी स्थानों से निर्यात किया जाता है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : देश में लौह अयस्क के मूल्यों की तुलना में जापान को निर्यात किये जाने वाले अयस्क के मूल्य किस प्रकार बैठते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं आंकड़े आदि न देकर इतना ही कहूंगा कि लौह अयस्क का निर्यात हमारे लिये काफी लाभदायक है

†**श्री काशीराम गुप्त** : उड़ीसा में कुल कितना उत्पादन होता है और उसे देश में इस समय किस प्रकार काम में लाया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का प्रश्न बिल्कुल भिन्न है। हम एक विशिष्ट पत्तन से निर्यात के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मंत्री महोदय ने बताया कि तीसरी योजना में कोई उपबंध नहीं किया गया है क्या परादीप पत्तन एक मध्यम पत्तन के रुप में काम नहीं कर रहा है और क्या निर्यात का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : वह पत्तन के रुप में काम तो कर रहा है किन्तु हम जिस योजना की कल्पना कर रहे हैं वह बहुत बड़ी होगी और हम परादीप पत्तन से प्रति वर्ष ५० से लेकर १०० लाख टन का निर्यात करने का सोच रहे हैं ।

राज्यों द्वारा लगाये गये अतिरिक्त कर

+

†*२७०. { **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मे० कं० कुमारन् :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना में की गई कल्पना के अनुसार अतिरिक्त कर लगाने के मामले में राज्य सरकारों के कार्यों की समीक्षा करने के लिये राज्यों के मुख्य मंत्रियों और योजना आयोग के सदस्यों की एक बैठक दिल्ली में हाल में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन द्वारा क्या निर्णय किये गये ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा)** : (क) और ख). जी, हां । योजना आयोग के सदस्यों तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक ४ जून, १९६२ को हुई थी । इस बैठक में १९६२–६३ में राज्यों की योजना के वित्त प्रबन्ध पर चर्चा की गई अतिरिक्त कराधान के बारे में बैठक में यह राय व्यक्त की गई कि योजना के हित में उन लक्ष्यों को, जिनकी कल्पना योजना में पहले की गई है, पूरा करने के लिये सभी संभव प्रयत्न करना उचित होगा ।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : ऐडीशनल टैक्सेज़ लगाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि में जो इनके खिलाफ़ बड़ा एजिटेशन हो रहा है क्या गवर्नमेंट ने उस पर भी कोई ध्यान दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने कान्फ्रेन्स और टार्गेट्स के बारे में सवाल पूछा है अब आप एजिटेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या सरकार ने उसके बारे में भी ध्यान दिया है ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : नित्य टैक्सेज का विरोध हो रहा है और यह उसी से कनेक्टेड है . . .

अध्यक्ष महोदय : वह तो बाद में देखा जायेगा । आप उस कान्फ्रेंस की बाबत कुछ और पूछना चाहते हों तो पूछ सकते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : ऐसा प्रतीत होता है कि योजना आयोग ने मुख्य मंत्रियों को सलाह दी है कि कराधान के लिये वे अपने संसाधन काम में लायें । क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात आई है कि राज्यों के कराधान को लेकर आन्दोलन किये जा रहे हैं और क्या इस बात को देखते हुए कराधान पर चर्चा करने के लिये ऐसी ही एक और बठक का आयोजन किया जायेगा ?

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न पहले पूछा गया था किन्तु मैंने उसे अनुमति नहीं दी । माननीय सदस्य फिर वही प्रश्न पूछ रहे हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विशिष्ट आन्दोलन के कारण मुख्य मंत्रियों की एक और बैठक आयोजित करना आवश्यक हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि निकट भविष्य में को ई बैठक होने जा रही है ।

†**श्री नन्दा** : कराधान की योजना वहां है जो इस सभा में तीसरी योजना को स्वीकार करते समय थी ।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री**: अतिरिक्त कर लगाने के सम्बन्ध में क्या राज्यों को योजना मंत्रालय ने कुछ इस प्रकार का भी परामर्श दिया है कि किसानों की जमीन पर लगान बढ़ाने और सिंचाई दर बढ़ाने के सम्बन्ध में कहां तक उसमें छट दे दी गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो तफसील की बात है ।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** : क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में करों के भुगतान के बारे में कोई निदेश दिया है ? इस नये प्रस्ताव का तर्कसंगत आधार क्या है ?

†**श्री नन्दा** : जब संसाधनों की योजना पहले पहल स्वीकार की गई थी तब इन सब बातों पर विचार किया गया था ।

श्री मा० ला० वर्मा : क्या प्लानिंग कमिशन ने स्टेट्स को यह भी सलाह दी है कि हैसियत के मुताबिक यह टक्स लगाये जायें ?

अध्यक्ष महोदय : इसका तो जवाब दे दिया गया है ।

†**श्री नन्दा** : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या उस बैठक में कुछ मुख्य मंत्रियों ने लगान में और वृद्धि करने का विरोध किया था और यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**श्री नन्दा** : राजस्व के विशेष साधन पर चर्चा नहीं की गई और मुख्य मंत्रियों ने कोई विरोध नहीं किया ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या सरकार ने राज्यों में करों के भुगतान की संभावनाओं का मूल्यांकन करने और राज्यों के कराधान के ढांचे में कुछ समानता लाने के लिये जांच करने के लिये कछ कदम उठाने के बारे में विचार किया है ?

†**श्री नन्दा** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि अभी कोई कार्यवाही करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । जब तीसरी योजना बनाई गई थी तब सब से पहले इस बात पर विचार किया गया था कि प्रत्येक राज्य कितना संसाधन जुटा सकता है । उसके आधार पर योजना बनाई गई । इसमें सन्देह नहीं कि राज्य प्रति वर्ष स्थिति की समीक्षा करते हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या सभी राज्यों ने खुशी से कर बढ़ाना स्वीकार किया है और क्या वे सभी इस बात को मानते हैं कि उन्हें करों से काफी लाभ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : वे भरसक कोशिश कर रहे हैं ।

श्री तुलशीदास जाधव : देश में ज्यादा से ज्यादा टैक्स कहां तक लगाये जा सकते हैं ? क्या इस का कोई परिमाण तय किया गया है और यदि हां तो अभी तक जो टैक्सेशन है उसका उस लिमिट के मुकाबले क्या अनुपात है ?

श्री नन्दा : जो टैक्सेज अभी तक लगाये गये हैं हिन्दुस्तान की आमदनी के हिसाब से अभी कुछ ज्यादा उनकी निस्बत बढ़ नहीं गई है ।

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन की कोई लिमिट रक्खी गई है ?

श्री नन्दा : अभी जो टैक्सेशन की लिमिट है वह बहुत ज्यादा नहीं है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिमिट तक पहुंचा ही नहीं गया है कि जिस पर पहुंच कर ठहरना मुनासिब समझा जाय ।

अध्यक्ष महोदय : उस तक पहुंचे न हो यह तो ठीक है लेकिन कोई लिमिट तो रक्खी है ?

श्री नन्दा : प्रेसाइस लिमिट न भी हो मगर हम जानते हैं कि यह थर्ड फाइव ईयर प्लान के अंत तक ८ परसेंट से ११ परसेंट तक लगा रहे हैं जोकि बहुत ज्यादा नहीं है ।

†**श्री उमानाथ** : क्या मुख्य मंत्री सम्मेलन में किसी मंत्री ने करों के प्रति जनता का विरोध व्यक्त किया और यदि हां, तो किस राज्य ने और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया ?

†**श्री नन्दा** : बैठक में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई ।

औद्योगिक परियोजनाओं को लाइसेंस देना

+

†*२७१. { **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** :
श्री प्र० के० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे किसी ऐसी औद्योगिक परियोजना को लाइसेन्स देने की सिफारिश न करें जिसे २००० किलोवाट से अधिक बिजली आवश्यक हो ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय परियोजना के औद्योगिक कार्यक्रम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : कितनी औद्योगिक परियोजनाओं ने २००० किलोवाट से अधिक बिजली मांगी है ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास सही आंकड़े नहीं हैं । यदि किसी उपक्रम संघटक को २००० किलोवाट से अधिक बिजली की आवश्यकता हो तो उसे इसके लिये राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करना पड़ती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

+

†*२७२. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम राज :
श्री यशपालसिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री हेडा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्र-संघ में काश्मीर के मामले में हार जाने के बाद भारत-विरोधी प्रचार आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या इस प्रचार का सामना करने के लिये कोई कदम उठाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) पाकिस्तान भारत के विरुद्ध सदा सब प्रकार का प्रचार करता रहा है जिसकी मात्रा और तीव्रता में पाकिस्तान में विद्यमान आन्तरिक समस्याओं के फलस्वरूप समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है । इस प्रचार का ढांचा भली-भांति विदित है और वह पिछले १४ वर्षों में बदला नहीं है । सुरक्षा परिषद् में काश्मीर वाद-विवाद के आखिरी दौर के बाद भारत-विरोधी प्रचार में निश्चय ही तीव्रता आ गई है जिसका आरम्भ पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री अय्यूब खां ने स्वयं किया है ।

(ख) इस प्रयोजन के लिये भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न भिन्न उपाय किये जाते हैं । जिन देशों में पाकिस्तान का प्रचार विशेष रूप से तीव्र होता है उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया जाता है कि मित्र देश में भारत-विरोधी प्रचार एक अनुचित बात है । हमारे दूतावास भी पाकिस्तानी प्रचार की विशिष्ट बातों का उत्तर देते हैं । इनके अतिरिक्त हमारे दूतावास हमारे विचारों को व्यक्त करने वाले सूचना बुलेटिन जारी करते हैं । ये बुलेटिन दूतावासों द्वारा यथाशक्य अधिक संख्या में बांटे जाते हैं ।

(ग) समाचार-पत्रों में प्रकाशित टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि विदेशों की जनता इस प्रकार के भारत-विरोधी प्रचार से पूरी तरह गुमराह नहीं होती । यह हमारे दूतावासों के निरन्तर प्रयास का ही परिणाम है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि राष्ट्र संघ में हार जाने के बाद कुछ पश्चिमी देश, जिनका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, काश्मीर के मामले में पाकिस्तान के रवैये का समर्थन कर रहे हैं और यदि हां, तो इसका सामना करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा मूल प्रश्न के दे दिया गया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा प्रश्न उन देशों के बारे में है जो पाकिस्तान के पक्ष में हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का प्रश्न पाकिस्तान के बारे में था । अब वे अन्य देशों के बारे में जानना चाहते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या पाकिस्तान ने अपने देश के गलत नक्शे सभी देशों में परिचालित किये हैं और यदि हां, तो इन देशों को सही नक्शे देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह वही प्रश्न है । मैंने बताया है कि हम पाकिस्तान द्वारा उठाई गयी विशिष्ट बातों का उत्तर देते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पाकिस्तान ने एक नक्शा परिचालित किया है जिसमें काश्मीर को पाकिस्तान का क्षेत्र बताया गया है; इस प्रचार का खण्डन करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या सरकार ने कोई टिकट जारी किये हैं जिसमें काश्मीर को भारत का अंग बताया गया हो?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमारे नक्शों में हमेशा सही स्थिति बताई जाती है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के समाचार-पत्रों द्वारा किया जा रहा प्रचार एक जैसा है और यदि हां, तो क्या इस प्रचार का अमेरिकी जनता और सरकार के मत से कोई सम्बन्ध है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : अमेरिका के समाचार-पत्र स्वतंत्र होते हैं और आप यह पायेंगे कि उनका प्रचार कभी हमारे पक्ष में होता है तो कभी हमारे विरुद्ध ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का अन्दाजा लगाया गया है कि पाकिस्तान के प्रचार का जो पर्दा फ़ाश विदेशों में हमारे दूतावासों या अन्य साधनों के द्वारा किया जा रहा है, उस का संसार के जनमत पर कितना प्रभाव पड़ा है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : समय-समय पर समाचार-पत्रों में हमारी स्थिति का समर्थन करते हुए तथा भारत के पक्ष में लेख आदि प्रकाशित होते हैं । इन सब बातों से पता चलता है कि पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा प्रचार उतना प्रभावी नहीं है जितना कि माननीय सदस्य समझते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि यदि काश्मीर पाकिस्तान को प्राप्त होना है तो हमारे धर्मनिरपेक्ष दर्शन का अन्त हो जायेगा, सरकार ने इस भावना को विदेशों में जनता को ग्रहण कराने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वही कदम उठाये गये हैं जो और बातों के लिये उठाये गये ।

†**श्री हेडा** : श्रीमन्, मैंने प्रश्न की सूचना में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रश्न की सूचना का उल्लेख कर रहे हैं । वे कृपया पूरक प्रश्न पूछें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेडा** : श्रीमन्, राष्ट्र संघ से प्रेस ट्रस्ट आव इंडिया ने एक सन्देश प्रसारित किया था कि जहां तक पाकिस्तान के प्रचार का सम्बन्ध है, भारत को लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी देने के बारे में निष्क्रिय न रहना चाहिये । क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है और यदि हां, तो इस प्रकार की टिप्पणी के क्या कारण हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी नहीं समझ सका ।

†**श्री हेडा** : मैं प्रचार के बारे में नहीं वरन् प्रेस ट्रस्ट आव इंडिया द्वारा राष्ट्र संघ से प्रसारित टिप्पणी का निर्देश कर रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य पाकिस्तान के बारे में जानकारी नहीं चाहते तो वे प्रश्न न पूछें ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अरब मुमालिक और अफ्रीका में यह जो प्रचार किया जा रहा है कि हिन्दुस्तान रूस के हाथ की कठपुतली है, सके निराकरण के लिए रूस या हिन्दुस्तान क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह प्रचार कौन कर रहा है ?

श्री यशापालसिंह : यू० एस० ए० कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : करने दीजिए । उस का इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : वह पाकिस्तान के थ्रू कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : नैक्स्ट क्वैस्टियन ।

टैंगेनिका में भारतीय

†*२७३. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टैंगेनिका के स्वतंत्र हो जाने के बाद उस देश में रहने वाले भारतीयों को नागरिकता के अधिकार नहीं दिये गये और उन्हें आप्रवासियों के रूप में देखा जाता है तथा उन्हें उस देश के आर्थिक कार्य के सभी क्षेत्रों से बाहर निकालने के लिये प्रयत्न किये जा रहेहैं ;

(ख) क्या सरकार इस प्रश्न के बारे में टैंगेनिका की सरकार से बराबर जानकारी प्राप्त कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उस देश में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के साथ अन्याय न हो इसे सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) सही स्थिति यह है कि यद्यपि टांगान्यीका की नागरिकता अधिग्रहण करना काफी सरल है, उस देश में भारतीय उद्भव के अधिकतर लोगों ने अभी निश्चय नहीं किया कि क्या उनको इस के लिये अर्ज़ी देनी चाहिये । उन के भविष्य के बारे में कुछ आशंका, असैनिक सेवा के 'अफरीकीकरण' की नीति के द्वारा पैदा हो गई है, जिसके अधीन अफरीकी जाति के व्यक्ति को, जिसके पास पद के लिये अपेक्षित निम्नतम

†मूल अंग्रेजी में

योग्यता हो, दूसरे गैर-अफरीकी व्यक्ति के ऊपर तरजीह दी जाएगी, जिसकी योग्यताएं अधिक हों। भारतीय उपकरण के लोगों को भी, जो अधिकतर व्यापार में लगे हुए हैं, एक योजना के परिणामों की आशंका है, जो हाल ही में बनाई गई थी, जिसके अनुसार एक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापित की जाएगी, जो दुकानों को चलाएंगी।

(ख) और (ग) टांगान्यीका स्थित भारतीय उच्च आयुक्त, टांगान्यीका सरकार एवं सरकार के नेताओं के साथ लगातार सम्पर्क रहा है। हम यह आशा कर सकते हैं कि टांगान्यीका के निवासियों और अन्य लोगों के बीच शान्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या यह बात सही नहीं है कि टांगान्यीका में भारत विरोधी इस भावना के कारण, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारियों को उस देश को छोड़ने के लिये बाध्य होना पड़ा है अब और बहुत से लोग छोड़ने वाले हैं; यदि हां, तो क्या ये देश पड़ोसी देश अर्थात् युगांडा और कीनिया में जा रहे हैं या उन्होंने भारत आने की इच्छा व्यक्त की है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : वे बड़ी संख्या में भारत नहीं आ रहे, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है। कुछ लोग भारत आ गये होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि बहुत से प्रव्रजन कर रहे हैं और वह जानना चाहते हैं कि क्या उनमें से अधिकांश लोग पड़ोसी देशों को चले गये हैं या क्या वे भारत आ रहे हैं।

†**श्री दिनेश सिंह** : जैसा मैंने बताया, उनमें से अधिकांश नहीं गये और बहुत कम भारत आये हैं।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या यह सही नहीं है कि टांगान्यीका में भारत विरोधी इस नीति के अनुपालन में, टांगान्यीका की सरकार ने उस देश की असैनिक सेवा में कम से कम २००० भारतीयों को नौकरी से निकालने के अपने इरादे की घोषणा की है ?

†**श्री दिनश सिंह** : वहां कोई भारत विरोधी बात नहीं है। वहां असैनिक सेवा में भारतीयों सम्बन्धी कोई सूचना नहीं है।

†**श्री डी० चं० शर्मा** : क्या यह सही नहीं है कि भारतीयों को रिजर्व छोड़ कर अपने व्यापार के लिये शहर आने के लिये कहा गया है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जी नहीं। मैंने बताया है कि वहां एक सरकारी योजना है जिसका उन पर कुप्रभाव पड़ेगा, किन्तु उनको छोड़ने को बाध्य नहीं किया जा रहा।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर हिन्दुस्तानियों की आबादी क्या है और आबादी में उनका हिस्सा कितना है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : "हिन्दुस्तानी" से माननीय सदस्य का क्या मतलब है ? हिन्दुस्तानी आरिजिन के या हिन्दुस्तानी नैशनल्ज ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : पीपुल आफ इंडियन ऑरीजिन।

†**श्री दिनेश सिंह** : एशियन आरीजिन के करीब एक लाख आदमी वहां पर हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सही है कि टांगान्यीका में भारत उद्भव के लोगों को स्व-सेवा सामुदायिक परियोजनाओं में भाग लेने को बाध्य किया जाता है और उनके द्वारा इन्कार किये जाने से नेता लोग अपने भाषणों में बहुत उग्र हो गये हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मुझे पता नहीं कि इन परियोजाओं का क्या अर्थ है ।

†**श्री हेम बरुआ** : आज के स्टेट्समैन में एक लेख है जिसमें कहा गया है कि भारतीय...

†**अध्यक्ष महोदय** : उपमंत्री ने कहा है कि इस प्रश्न को सरल किया जाये ताकि सब समझ सकें ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सही है कि टांगान्यीका के भारतीय व्यापारियों को स्व-सेवा सामुदायिक परियोजनाओं में भाग लेने को बाध्य किया जाता है और यदि वे ऐसा करने से इन्कार करते हैं, विशेषकर व्यापारी, तो इससे वहां के नेता अपने भाषणों में भारतीयों के विरुद्ध बहुत उग्र हो गये हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का भारतीय उद्भव के लोगों से अभिप्राय है भारतीयों से नहीं। हमें इसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली । उनके अपने कार्यक्रम हैं—सामुदायिक विकास और अन्य कार्यक्रम—और मैं समझता हूं कि वे लोगों से उपेक्षा करते रहें कि वे उनके साथ सहयोग करें ।

पुनर्वास योजनाओं का मूल्यांकन

+

†*२७४. **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राक्कलन समिति (१९६१–६२) की सिफारिशों के अनुसार पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित पुनर्वास योजनाओं के, जिसका वित्त-प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ने किया है परिणामों का कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) और (ख). नमूने के सर्वेक्षण के लिये बहुत सी योजनायें चुनी गई हैं । इनमें से, केवल योजना, अर्थात् कुक्कुट पालन, गुणाकरण केन्द्र, टोलीगंज, कलकत्ता के कार्य का अब तक विस्तार से परीक्षण किया गया है । इस मामले में सर्वेक्षण के परिणाम से पता चला है कि योजना सन्तोषजनक रूप से कार्यान्वित की गई थी ।

†**श्री ब० कु० दास** : माननीय मंत्री ने बताया है कि नमूने के सर्वेक्षण के लिए बहुत सी योजनायें चुनी गई हैं । इस काम के लिये कौन सी योजनायें चुनी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : लगभग ३० योजनायें चुनी गई हैं। उनको निम्न शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है : शिक्षा, चिकित्सा, व्यावसायिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण, उद्योग और आवास, अनधिकृत लोगों की बस्तियां आदि।

†**श्री ब० कु० दास** : अब तक कितनी योजनाओं का परीक्षण किया जा चुका है ?

†**श्री मेहर चन्दखन्ना** : केवल एक और वह मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा जा चुका है।

†**श्री सुबोध हंसदा**: क्या सरकार को कलकत्ता के विस्थापित लोगों की कठिनाइयों का पता है और क्या उन शरणार्थियों के रहने की हालात का कोई सर्वेक्षण किया गया है जो कलकत्ता शहर के अन्दर और बाहर अनधिकृत रूप से बैठे हैं और यदि हां तो क्या इन लोगों को बसाने की सरकार की कोई योजना है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : कलकत्ता में विस्थापित लोगों की हालत बाहर की अपेक्षा अच्छी है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या कलकत्ता के इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों की हालत का कोई सर्वेक्षण किया गया है, जिनको कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई है पुनर्वास के लिये और क्या इन लोगों को बसाने की सरकार की कोई योजना है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : यदि माननीय सदस्य उन विस्थापित व्यक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं जो पश्चिमबंगाल के शिविरों से पश्चिम बंगाल के बाहर स्थानों पर ले जाये गये हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनको बड़े सन्तोषजनक ढंग से बसाया जा रहा है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : यह मेरा प्रश्न नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या कुछ विस्थापित व्यक्ति कलकत्ता के आस पास बसाये गये हैं और क्या उनके रहने की दशाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : पश्चिम बंगाल में ३० लाख के करीब विस्थापित लोग हैं और उन में से अधिकतर बसाये जा चुके हैं। अभी कुछ को बसाना बाकी है। उनको अंशतः बसाया जा चुका है और वे अवशिष्ट समस्या के भाग हैं। धन की व्यवस्था की गई है और उनको यथासमय बसाया जाएगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : सरकार अन्य योजनाओं को कब लेगी और जब प्रधान मंत्री हाल ही में कलकत्ता गये थे, तब उनके सामने १० लाख विस्थापित लोगों के बारे में जिनको बहुत ही कम पुनर्वास लाभ प्राप्त हुये हैं या कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जो योजना पेश की गई थी, क्या उनको भी लिया जाएगा ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मुझे पता नहीं कि कलकत्ता में प्रधान मंत्री से क्या कहा गया था कम से कम इस विषय में मेरे पास उनकी ओर से कोई टिप्पण या संसूचना नहीं आई। किन्तु मैंने इस आशय की प्रेस टिप्पणी देखी है कि कलकत्ता में अंशतः बसाये गये लोगों की समस्या है। मुझे इसका पूर्ण पता है। हम इसके लिये धन की व्यवस्था कर रहे हैं और इसको हल कर रहे हैं।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या यह सही है कि कलकत्ता में अमान्य बस्तियों में अनधिकार कब्जा किये बहुत से लोग बैठे हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की पुनर्वास सहायता नहीं मिली ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** जहां तक पुनर्वास का सम्बन्ध है, हमने इसे बहुत सहानुभूतिपूर्ण एवं उदार ढंग से सर्वत्र किया है ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** क्या यह सही है कि बहुत सी अमान्य अर्थात् अनधिकृत लोगों की बस्तियां हैं जहां उन लोगों को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये न कोई सहायता दी गई है और न ही कोई व्यवस्था की गई है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** जी, हां––मैं याददास्त से कह रहा हूं अनधिकृत बस्तियों की संख्या कलकत्ता में १४० से १५० के करीब हैं । उन बस्तियों को सहायता दी गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री नियमित की गई बस्तियों की बात कह रहे हैं जब कि माननीय सदस्या अमान्य बस्तियों के बारे में जानना चाहती हैं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** बस्तियों को राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है, गिनती राज्य सरकार द्वारा की जाती है और सर्वेक्षण भी उनके द्वारा ही किया जाता है । मुझे राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी बस्तियों की संख्या १४० और १५० के बीच है ।

श्री क० ना० तिवारी : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि बंगाल से बाहर जो ईस्ट बंगाल के रिफ्यूजी भेजे गये हैं उनकी हालत अच्छी है उनका रिहैबिलिटेशन हो गया है । क्या आपको मालूम है कि चम्पारन में तीस हजार से चालीस हजार के बीच रिफ्यूजी ईस्ट बंगाल के भेजे गये हैं, वैस्ट बंगाल से, और उनमें से बहुतों की हालत खराब है और अगर हां, तो उनके बारे में क्या किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग सवाल है । यह सवाल रिहैबिलिटेशन स्कीम्स इन वैस्ट बंगाल से ताल्लुक रखता है ।

श्री क० ना० तिवारी : ईस्ट बंगाल से जो रिफ्यूजी वैस्ट बंगाल आये थे, उनको ही वहां भेजा गया है ।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** बिहार में चौदह-पन्द्रह हज़ार परिवार भेजे गए हैं और पांच और छ करोड़ के बीच उनको बसाने के ऊपर खर्च किया गया है जिसमें चम्पारन के भाई भी हैं शामिल हैं ।

श्री क० ना० तिवारी : मेरा सवाल दूसरा है .....

अध्यक्ष महोदय : यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह सवाल पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त-पोषित पुनर्वास योजनाओं के परिणामों के मूल्यांकन से ताल्लुक रखता है । आपने अभी कहा है कि जो बाहर गये हैं । इस वास्ते यह एक अलग सवाल है और इस सवाल से पैदा नहीं होता है ।

†**श्री दिनेन भट्टाचार्य :** क्या सरकार ने अवशिष्ट समस्याओं का पता लगा लिया है जिसे अभी हल करना है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** वे अवशिष्ट समस्याएं क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अनुमति नहीं देता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सही है कि मा० मंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री और अन्य मन्त्रियों के साथ अवशिष्ट समस्या के बारे में बातचीत की थी; यदि हां, तो समस्या के सम्बन्ध में सामान्य समझौते की क्या बातें थीं ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : यद्यपि यह प्रश्न अनुपूरकों के तौर पर पैदा नहीं होता, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि केवल १० या १५ दिन पहले जब मैं कलकत्ता गया था उस समय मैंने वहां के मुख्य मंत्री तथा पुनर्वास मन्त्री से बातचीत की थी और पश्चिम बंगाल में सभी पुनर्वास समस्याओं के सम्बन्ध में हमारे बीच एक सामान्य सहमति थी ।

जम्मू में कागज का उत्पादन

\+

†*२७५. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हेम राज :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी दल ने, जिसने कागज के उत्पादन के लिये कच्चे माल क सम्बन्ध में जम्मू राज्य का सर्वेक्षण किया था, अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां । तो उसकी विशिष्ट सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या समन्वय समिति में, जो बनाई गई है, जम्मू व काश्मीर राज्य के कुछ सदस्य हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां, इसमें संघ सरकार तथा जम्मू व काश्मीर राज्य के सदस्य हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त**: इस सर्वेक्षण के लिये रूसी दल चुना गया था और क्या रूसी सहयोग के लिये कोई गुंजाइश है ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं । क्योंकि कोनिफरों का उपयोग करने की इस विशिष्ट लाइन के रूसियों ने अपने तरीकों का विकास किया है, उनको चुना गया था । इस समय सहयोग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वहां किन किस्मों के कागजों के निर्माण का विचार किया गया है और क्या अखबारी कागज उनमें होगा ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां, जम्मू क्षेत्र से अखबारी कागज और क्रैफ्ट पेपर की अच्छी गुंजाइश है और काश्मीर क्षेत्र बढ़िया किस्म के रसायनिक गूदे के निर्माण के लिये उपयुक्त बताया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० गोविन्द दास : जो कागज वहां पर बनेगा वह सब मिला कर कितनी प्रकार का होगा और प्रतिदिन कितनी आशा की जाती है कि वहां से निकल सकेगा ?

श्री कानूनगो : इसका अन्दाज़ा अभी तक नहीं हुआ है । जो कमेटी बैठी है वह जांच पड़ताल करेगी ट्रांसपोर्ट की, रा-मैटीरियल की सप्लाई की और तब उसका अन्दाज़ा होगा ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ:** क्या सरकार ने योजना की आर्थिक और वित्तीय सम्भावना के बारे में अपना मत बताया है और क्या योजना को हाथ में लिया जाएगा ?

†**श्री कानूनगो :** रूसी विशेषज्ञों ने जिस प्रकार के विष्लेषण और सवक्षण की सिफारिश की है वह करना होगा । उसके बाद यह पता लगेगा कि कितनी पूंजी लगाने की आवश्यकता है और अन्य पहलू क्या होंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या सरकार ने प्रारम्भिक फैसला कर लिया है कि आया यह परियोजना सरकारी क्षेत्र में होगी या गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री कानूनगो :** वह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई ।

†**श्री त्यागी :** क्या यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है या केन्द्रीय सरकार का ? इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

†**श्री कानूनगो :** यह प्रारम्भिक स्थिति है । इसकी जांच केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है ।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिये दूसरा मजूरी बोर्ड

\+

†*२७६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भक्त दर्शन :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रमजीवी पत्रकारों के लिये निकट भविष्य में दूसरा मजरी बोर्ड गठित करने का इरादा रखती है ; और

(ख) वह किस प्रकार और कब तक गठित कर दिया जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). श्रमजीवी पत्रकारों के लिये दूसरा मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का सवाल राज्य सरकारों और अन्य सम्बद्ध हितों के परामर्श के विचाराधीन है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** बोर्ड की स्थापना से पूर्व क्या सरकार ने जनता के इस अधिक वेतन न पाने वाले उपयोगी क्षेत्र की आर्थिक हालतों का कोई नमूने का सवक्षण किया है ?

†**श्री हाथी :** श्रमजीवी पत्रकारों द्वारा कुछ सामग्री दे दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : समाचार पत्रों की शृंखलाओं की बड़ीफर्मों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की दृष्टि से, क्या सरकार ने इन शक्तिशाली निहित लोगों का सामना करने वाले इन लोगों की लाभ उठाने की शक्ति का कोई अनुमान लगाया है ?

†**श्री हाथी** : इस मामले में राज्य सरकार के परामर्श के साथ विचार किया जा रहा है । हमने उनका मत पूछा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मा० मंत्री ने बताया है कि मामला अभी विचाराधीन है और राज्य सरकारों का मत पूछा गया है । अन्तिम निर्णय कब किये जाने की संभावना है और क्या अन्तिम निर्णय १९६२ में ही किया जाएगा ?

†**श्री हाथी** : मैं कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता कि कब निर्णय किया जायगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या इस बोर्ड की सिफारिशें पत्रकारों के साथ साथ जो दूसरे वर्ग के लोग प्रेस में काम करते हैं उनके ऊपर भी भी लागू होगी, या सिफ एडिटोरियल स्टाफ पर ही लागू होंगी ?

†**श्री हाथी** : कुछ रिप्रेजेन्टेशन्स आये हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाय ।

†**श्री यशपाल सिंह** : क्या हम यह समझें कि सरकार ने प्रेस आयोग की सिफारिशों को पूर्णतया अवहेलना की है, जिसने इस प्रश्न पर खूब अच्छी तरह विचार किया है ?

†**श्री हाथी** : जी नहीं । उन सिफारिशों पर विचार किया गया था । तब एक मजूरी समिति नियुक्त की गई थी । उसने एक पंचाट दिया और उसमें यह उल्लेख किया गया था कि तीन वर्षों के पश्चात् अन्य मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जा सके । वे तीन वर्ष २९ मई, १९६२ को पूरे हुए थे और अब हम दूसरा मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का विचार कर रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मन्त्री जी ने पिछली बार बतलाया था कि कुछ ही महीनों के अन्दर या शीघ्र ही, इस प्रकार के बोर्ड की स्थापना कर दी जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई खास, अड़चनें इस बीच में आ गई हैं, या कोई खास कठिनाई पैदा हो गई है जिनकी वजह से देरी हो रही है ।

†**श्री हाथी** : मेरा ऐसा ख्याल नहीं है कि मैंने कहा था कि शीघ्र ही स्थापना कर दी जायेगी । मैंने कहा था कि मैं कोई समय नहीं दे सकता हूं ।

श्री तुलशीदास जाधव : जो जर्नलिस्ट लोग हैं क्या उनका कोई डेलीगेशन यह कहने के लिये आया था कि इस प्रकार का वेज बोर्ड जल्दी कायम करना चाहिये ?

श्री हाथी : हां, उनका रिप्रेजेन्टेशन आया था ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : इन तीन वर्षों में क्या सरकार ने प्रमुख समाचार पत्रों के शुद्ध लाभों में वृद्धि के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ? दूसरे क्या केन्द्रीय सरकार ने दूसरे मजूरी बोर्ड की स्थापना के बारे में कोई स्वतन्त्र निर्णय किया है ?

†**श्री हाथी** : सरकार ने मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की दृष्टि से ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया, किन्तु जैसा मैंने बताया, श्रमजीवी पत्रकारों ने कुछ सामग्री दी है । जैसा मैंने बताया इस प्रश्न का राज्य से भी सम्बन्ध है और इस सम्बन्ध में हम उनसे परामर्श कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमेरिका से कपास का आयात

†*२६६. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामरतन गुप्त :
श्री महाराजकुमार विजय आनंद :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी कपास के भारत को सम्भरण के बारे में अमेरिका की सरकार के साथ एक नये करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस करार पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद अब कितने कपास का आयात हो रहा है ;

(ग) क्या इस करार की शर्त वही है जो पुराने करारों की थीं; और

(घ) यदि नहीं, तो वे कितनी हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). जी हां । भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच मई १९६२ में, अमरीकी पब्लिक ला ४८० कार्यक्रम के अधीन २७० लाख डालर की भारतीय रूई (४०० पोण्ड प्रत्येक की २२०,००० गांठें) के सम्भरण के लिये एक करार किया गया था । पिछले मौसम के विकास के मुकाबले में, इस मौसम में पी० एल० ४८० रूई की एक लाख गांठें प्राप्त हुई थीं ।

पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अधीन उपरोक्त मात्राओं के साथ, चालू मौसम (सितम्बर १९६१ अगस्त १९६२) में निकसित रूई का कुल आयात अभ्यंश लगभग १२ लाख गांठें बनता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** आयात की गई रूई की हमारी कुल कितनी आवश्यकता है और यह किन २ साधनों में मंगवाई जाती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह स्थानीय फसल पर निर्भर करती है । पिछले वर्ष फसल इतनी अधिक खराब हुई और हमें केवल ४३ लाख गांठें मिलीं । इस कारण आयात कार्यक्रम १२ लाख गांठों का था । हमें प्राय: १० लाख गांठों की कमी पड़ती है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** रूई महत्वपूर्ण सामग्री होने के कारण, सरकार इसके मामले में स्वावलंबी होन के लिय क्या उपाय कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि सभा को पता है, पैकेज कार्यक्रम है । हाल ही में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने योजना आयोग के परामर्श के साथ रूई की फसल के नवीन सिंचित क्षेत्र, उपज बीजों और अन्य सुविधाओं पर अधिक शक्ति केन्द्रित करने का फैसला किया है ।

†**श्री यशपाल सिंह :** क्या यह सच है कि सिर्फ ४० या ५० मिलें ऐसी हैं जिन में अमरीकी कपास खप सकती है, और बाकी मिलों को इस लिये जुर्माना भुगतना पड़ता है कि वे अमरीकी कपास इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : एसी बात नहीं है ! जो चाहें वे अम ीकी कपास मंगवायें । जितना कपड़ा हिन्दुस्तान की जनता को चाहिये और एक्स्पोर्ट के लिये रूई तो मंगवानी ही पड़ती है, चाहे वह एक कंट्री की हो या दूसरी कंट्री की । इसलिये जो इस का बोझा है उस को सब को एक तरह से उठाना पड़ता है ।

†**श्री त्यागी :** क्या यह स्थानीय खपत के लिये लंबी रेशे वाली रूई है या मोटे कपड़े के निर्माण वाली रूई है, जिस का साधारणतया निर्यात किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह लगभग ५० % मध्यम और मोटी रूई है, जो मोटे और मध्यम सूती कपड़े के लिये होती है और ५०% बढ़िया, और उत्तम तथा अत्युत्तम किस्म के लिये होती है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या यह आयात इस देश में नवीन सूती कपड़ा मिल आरंभ करने के लिये काफी है और क्या इन को आयात अभ्यंश मिल सकेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हमारा प्रयत्न तो यही है । पहली बात तो यह है, कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार, हमें रूई जैसी प्राथमिक सामग्री के मामले में स्वावलंबी होना चाहिये । ये प्रयत्न जारी हैं । इस बीच, हमें आन्तरिक खपत और निर्यात के लिये अपने उद्योग की आवश्यकता पूरी करनी है । इसी लिये आयात का कार्यक्रम है ।

सोवियत रूस को केलों का निर्यात

+

†*२७८. **श्री उमानाथ :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री अ० व० राघवन् :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री मे० क० कुमारन् :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार ने भारत से प्रति वर्ष २ करोड़ रुपये के केले खरीदने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह प्रस्ताव मान लिया है ; और

(ग) केलों की खरीद और निर्यात के लिये कौन से कदम उठाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). हम इस मामले पर रूस सरकार के साथ बातचीत कर र हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उमानाथ :** क्यों कि केले काटने के आदेश जहाजों के पहुंचने और लदान की तिथि पर निर्भर होत हैं, क्या सरकार टेन्डरों के बजाय राज्य व्यापार निगम द्वारा सीधे क्षेत्रीय ठेके पर केले लेगी और यदि नहीं, तो और क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम उत्पादकों की सहकारी समितियों से केले खरीदेंगे और या तो राज्य व्यापार निगम या केला उत्पादकों की सहकारी समितियां रूस को या अन्य स्थानों को इनका निर्यात करेगी । भारत का नौवहन निगम, जो सरकारी क्षेत्रीय निगम है, विभिन्न स्थानों तक पहुंचने के लिये तेज रफ्तार वाले कुछ भाड़े के जहाज भाड़े पर ले रहा है ।

†**श्री उमानाथ :** दो करोड़ रुपये के केले ३०,००० से ४०,००० एकड़ तक जगह में उगाय जायेंगे । क्या सरकार ने इस तथ्य पर भी विचार कर लिया है कि इससे केले के देशीय उपभोक्ता मल्य में वृद्धि हो जायेगी और यदि हा, तो क्या इस समय भी मूल्यों को बढ़ने न देने के लिये कोई उपाय किये जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा मैंने उत्तर में बताया अभी २ करोड़ अथवा कोई रकम तै नहीं हुई है । सारा मामला विचाराधीन है । यदि अधिक निर्यात किया गया तो मूल्य नियंत्रण इस प्रकार किया जायेगा जिससे निर्यात को हानि न हो ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्योंकि सरकार केले का निर्यात करना चाहती है, क्य मैं जान सकता हूं कि केले उत्पादकों को अधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सत्य यहां है कि अधिकांश केले की फसल की वैज्ञानिक ढंग से देखभाल नहीं की जाती, यह खराब हो जाती है । प्रथमतः इससे मल्य को बल मिलेगा । विदेशी मंडी होने से उनको भविष्य में अधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहन मिलेगा । इस सब से उत्पादकों की स्थिति सुधरेगी और देश से निर्यात में वृद्धि होगी ।

†**श्री मलाइछामी :** केले के निर्यात के लिये कौन कौन से देश रखे गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे प्रतिरक्षा मंत्री का भारतीय केले के बारे में दिया गया हाल के वक्तव्य का यदि वह कहते हैं कि मेनन ने केला खाया और समाचार-पत्रों में छपता है कि केले ने मेनन को खाया, उल्टा प्रभाव पड़ता है ....

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । मैंने कई बार माननीय सदस्य से कहा है कि वह तर्क, लांछन और अपमानजनक प्रश्न न पूछें । जिन बातों पर प्रतिबन्ध है, वह उन सभी का प्रश्न में जोड़ देते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** श्रीमान् जी, मेरा प्रश्न ....

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न पूछने का नहीं है कि क्या कोई व्यक्ति केला खाता है या केला उसको खाता है ।

†**श्री हेम बरुआ :** वह बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे उस वक्तव्य से कोई मतलब नहीं है । वह सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय केले के बारे में इस प्रकार के वक्तव्य का रूस को हमारे केले के निर्यात पर असर नहीं पड़ेगा ।

†**श्री काशी राम गुप्त** : क्या मैं जान सकता हुं कि उत्पादकों की सहकारी समितियां कहां कहां बनायी जा रही हैं या बनायी जा सकती हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इनको बनाने के लिए हम उत्तेजन देंगे । लेकिन फिलहाल देश में बहुत जगह सहकारी मंडलियां हैं जो बनाना के ग्रोइंग का और एक्सपोर्ट का भी काम करती हैं, हम उनको सहायता देंगे ।

†**श्री सोनावने** : सबसे तेज रफ्तार परिवहन द्वारा केले को रूस ले जाने के लिये कितने दिन लगेंगे और यदि यह अवधि लम्बी है, तो केले को खराब होने से बचाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मूलतः वास्तव में यही कठिनाई थी कि हमने केवल भाड़े के जहाज लगाने का सोचा था, इसमें २५ दिन लगेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार वह समय बहुत अधिक है । परन्तु, अब हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ जहाज लिये हैं जो पन्द्रह दिनों में ओड़ेसा तक पहुंच जायेंगे । यह सारा व्योरे का मामला है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

अफगानिस्तान को निर्यात

†*२८०. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर से अफगानिस्तान तक बहुत अधिक विमान भाड़े के कारण चाय और नकली रेशम का निर्यात कम हो गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस मामले में कोई शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई जांच पड़ताल की है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) अमृतसर में चाय के जमा हो जाने के बारे में सरकार को कुछ अभ्यावेदन मिले है ।

(ग) और (घ). कुछ शिकायतें थीं । अमृतसर से अफ़गानिस्तान को चाय ले जाने के लिये विशेष भाड़ा उडाने की जा रही हैं ।

†**श्री हेम राज** : अब तक वहां पर जमा कितनी चाय अफ़गानिस्तान भेजी गयी है और अभी कितनी चाय और निर्यात की जानी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अधिक मात्रा में चाय भेजी जा चुकी है । वास्तव में हमारे पड़ौसी देश द्वारा भारत से अफगानिस्तान को सड़क के मार्ग से यात्रा में हाल ही में उत्पन्न की गयी बाधाओं के बावजूद भी, इन भाड़ा विमानों के जरिये हमने अफगानिस्तान को चाय के निर्यात में कुछ वृद्धि की है ।

†**श्री हेम राज** : क्या यह सच है कि चाय इक्ट्ठा हो जाने के कारण, चाय के मूल्य गिर गये और यदि हां, तो क्या अब मूल्य ठीक हो गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसे ही कठिनाई उत्पन्न हुई, आरम्भ में ऐसा था । विमान भाड़े पर लेने में और अन्य बातों में कुछ समय लगा । उस समय मूल्य कुछ गिर गये थे । स्थानीय उत्पादकों को भी कुछ कठिनाई हुई। परन्तु, अब मूल्य ठीक ही नहीं हुए हैं, परन्तु पता चला है कि मूल्य कुछ बढ़ गये हैं ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अफगानिस्तान यहां से ऊनी कपड़े का भी आयात करता है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अफगानिस्तान से भारत को अच्छे सामान लेने के लिये भी सुविधायें उपलब्ध हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जो कुछ अफगानिस्तान तैयार करता है उसमें से हम जहां तक सम्भव है अधिकाधिक खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं और शीघ्र ही हम एक व्यापार शिष्टमण्डल अफगानिस्तान भेज रहे हैं और शायद मुझ को भी वहां दो या तीन दिन के लिये जाना पड़े ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है कि अकसर विमान प्रायवेट व्यक्तियों द्वारा भाड़े पर लिये जाते हैं जो बहुत अधिक मूल्य वसूल करते हैं और इस अवरोध का यह भी एक कारण है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह भारत सरकार का इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन है । अभी तक कोई अन्य प्रायवेट विमान नहीं है ।

बिजली के विकास का ढांचा

†*२८१. **श्री मुरारका :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बिजली के विकास का स्थूल दीर्घकालीन ढांचा—वह तापीय बिजली होगी या जल विद्युत् होगी—अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वह सम्भवत: कब निर्धारित किया जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस समय यह बताना कठिन है ।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच नहीं है कि भारी विद्युत् सयन्त्र उत्पादन ढांचे में तापीय टर्बो-जनरेटर के उत्पादन की व्यवस्था है जबकि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की बिजली के विकास के लिये भावी योजना जल विद्युत बिजली की है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** जल विद्युत्, तापीय बिजली और आण्विक विद्युत् सभी भावी योजना में शामिल हैं और यह सच है कि जहां तक उस पहलू का सवाल है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, जो कुछ माननीय सदस्य कहते हैं, वह ठीक है ।

†**श्री मुरारका :** इस समय तापीय और जल-विद्युत् बिजली उत्पादन में क्या अनुपात है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** मैं वह आंकड़े बताता हूं । तृतीय योजना के अन्त में मात्रा १३४ लाख किलोवाट होगी, चतुर्थ योजना के अन्त में २३४ लाख किलोवाट, पांचवीं योजना के अन्त में ३५० लाख किलोवाट और छठी योजना के अन्त में ५ करोड़ किलोवाट ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : मैं इस समय तापीय और जल विद्युत् बिजली में अनुपात जानना चाहता हूं ।

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री नन्दा)** : आंकड़े ये हैं : जल सन्यन्त्र १.९३, कोयला ३.४६ और तेल ०.३१ ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या योजना आयोग ने तृतीय योजना के दौरान तापीय विद्युत् उत्पादन की नीति के बारे में निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो क्या तापीय विद्युत् केन्द्रों की स्थापना के बारे में राज्य विद्युत् बोर्डों को कोई निदेश दिये गये हैं ?

†**श्री नन्दा** : जहां तक तृतीय पंचवर्षीय योजना का सम्बंन्ध है सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रख कर, सभी तै-शुदा योजनायें तैयार हैं ।

डा० गोविन्द दास : क्या माननीय मन्त्री जी को यह बात मालूम है कि कुछ पिछड़े क्षेत्रों में—जैसे मध्य प्रदेश, उद्योग धंधे अधिक बिजली न मिलने के कारण बढ़ाए नहीं जा सकते । क्या ऐसे क्षेत्रों के लिये कुछ विशेष खोज करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि वहां अधिक बिजली मिल सके ?

श्री नन्दा : जितनी भी शक्यताएं बिजली बढ़ाने की हैं उसके लिये काफी खोज हो रही है और इनवेस्टीगेशन हो रहे हैं और जो बात आपने कहीं है वह भी उनमें शामिल होगी ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : जैसा कि फ्रांस में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है क्या सरकार बिजली के उत्पादन के लिये समुद्र के पानी को भी इस्तैमाल करेगी ?

†**श्री नन्दा** : काम करने की बहुत सी सम्भावनाएं हैं परन्तु ऐसा नहीं है ।

†**डा० क० ल० राव** : क्या बिजली के उत्पादन के ढांचे को अन्तिम रूप देने के बारे में, तापीय विद्युत् केन्द्रों के लिये विदेशी मुद्रा की बड़ी आवश्यकता और बड़ी मात्रा में जल-विद्युत् केन्द्रों के संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है ?

†**श्री नन्दा** : माननीय सदस्य इन मामलों में विशेषज्ञ हैं । परन्तु देश के भिन्न भागों में स्थिति भिन्न होती है । कुछ भागों में केवल तापीय बिजली ही बनाई जा सकती है, कुछ में केवल जल-विद्युत् ही बनाई जा सकती है जबकि कुछ भागों में दोनों तरह की बिजली बनाई जा सकती है और वहां सम्बन्धित आर्थिक व्यवस्था की जांच की जाती है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस बात को देखते हुए कि कुछ राज्य में, लगभग सभी राज्यों में, बिजली संकट गम्भीर है, क्या योजना आयोग की यह देखने की ऐसी कोई योजना है कि उन राज्यों में बिजली का उत्पादन बढे और क्या इस बारे में राज्य सरकारों को कोई सुझाव दिये गये हैं ?

†**श्री नन्दा** : मैं समझ नहीं सका परन्तु मैं समझता हूं कि वह यह पूछना चाहते हैं कि क्या कुछ राज्यों में बिजली अपर्याप्त है और क्या कोई कदम उठाये गये हैं । जी हां, कुछ अनुपूरक उपबन्ध किये गये हैं और कुछ स्थानों में अधिक सहायता दी जा रही है ।

†**श्री सोनावने** : क्या आयोजकों ने भारत में सभी गांवों में बिजली लगाने के प्रश्न पर विचार किया है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या यह २५ वर्षों में पूरा हा जायेगा ?

†**श्री नन्दा** : एक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम है और आंकड़े योजना में दे दिये गये हैं ।

†**श्री मुरारका** : केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का जल-विद्युत् के प्रोत्साहन को ध्यान में

---

†मूल अंग्रेजी में

रख कर, क्या सरकार ने भारी विद्युत् परियोजनाओं की उत्पादन अनुसूची और उत्पादन ढांचे को पुनरीक्षित करने की सम्भावना पर विचार कर लिया है ?

†**श्री नन्दा** : यह एक विशिष्ट प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना है। परन्तु जल-विद्युत् बहुत सस्ती पड़ती है। यह १.२ नये पैसे है जबकि कोयले वाले बिजली ३ नये पैसे पड़ती है। अतः उस प्रोत्साहन को गलत नहीं समझा जा सकता।

पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय मछुए का अपहरण

+

†*२८२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **प्रधान मन्त्री** दिनांक १९ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी दीनाजपुर जिले की भारतीय भूमि से कुछ पाकिस्तानियों द्वारा एक भारतीय मछुए के २३ मई, १९६२ के अपहरण किये जाने की घटना के विरोध में जो पत्र पाकिस्तान की सरकार को भेजा गया था, उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : पश्चिम बंगाल सरकार और हमारे उपहाई कमीशन ने पूर्व पाकिस्तान सरकार के पास जो विरोध-पत्र भेजे थे, उनकी प्राप्ति स्वीकार करने के अलावा उनसे कोई जवाब नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल सरकार और ढाका में हमारे उपहाई कमिश्न इस मामले में लिखा-पढी कर रहे हैं और पूर्व पाकिस्तान सरकार को कई बार-स्मरण-पत्र भेजे जा चुके हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या पाकिस्तान सरकार ने कोई कारण बतलाया है जिसकी वजह से वे निश्चित उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, अथवा क्या वे इस मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा मैंने अभी जिक्र किया, सिवाय उसके मिल जाने के और कोई जवाब उन्होंने हमको नहीं दिया है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस इलाके में इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो सकें इसके लिये क्या सीमा सुरक्षा की व्यवस्था पहले से कड़ी कर दी गयी है और क्या ऐसी व्यवस्था के बाद ऐसी घटनाएं नहीं होने पायी हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जितना आवश्यक होता है उसके हिसाब से सुरक्षा का इन्तिजाम किया जाता है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्यों यह क्षेत्र बहुत अधिक हमारे क्षेत्र में आता है, क्या उस जबर कार्यवाही के लिये पाकिस्तान सरकार ने कोई कारण बताये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह** : जी, नहीं । हमें पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला है ।

श्री रामेश्वरानन्द : यह प्रश्न पहले भी इस सदन में आ चुका है । पहले भी हमने यह प्रश्न किया था कि इस प्रकार से पाकिस्तानियों द्वारा भारतीयों को अनाथों की तरह उठा कर ले जाया जाता है तो कभी उन को गोली मार दी जाती है । अब सरकार जिसकी कि जिम्मेदारी रक्षा करने की है वह सुरक्षा नहीं कर पाती है और इस तरह से टालमटोल की बात करती है तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि वह अपने को उत्तरदायित्वपूर्ण क्यों समझती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं समझा कि वह किसी उत्तर का मुहताज है इसलिये मैं आगे बढ़ गया ।

श्री रामेश्वरानन्द : अगर आप कहें तो मैं पुनः अपना प्रश्न दुहरा दूं ?

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल से यह नहीं उठ सकता ।

आसाम में शरणार्थियों का पुनर्वास

†*२८३. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी लोक-सभा (१९६१–६२) की प्राक्कलन समिति के सुझाव के अनुसार, इन बातों की जांच करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है कि पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये भारतीय चाय संघ (इंडियन टी असोसियेशन) कचार को किन परिस्थितियों में बगैर किसी समझौते के २०·८० लाख रुपया दिया गया, योजना असफल होने के क्या कारण थे; और उसके लिये जिम्मेदार कौन था ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर')** : भारत सरकार ने द्वितीय लोक-सभा की प्राक्कलन समिति (१९५९–६०) के सिफारिशों के अनुसार एक समिति नियुक्त करने का फैसला किया है । समिति में एक अध्यक्ष, दो सदस्य और एक सचिव होंगे । एक सदस्य आसाम सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा । समिति का सचिव भी राज्य सरकार का प्रतिनिधि होगा । राज्य सरकार ने समिति के लिये अपने पदाधिकारियों के नाम अभी बताये हैं और समिति स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : क्या यह समिति भारतीय चाय संघ योजना के अन्तर्गत कचार में बिना-पुनर्वासित व्यक्तियों की समस्या पर विचार करेगी ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : जहां तक भारतीय चाय संघ योजना का सम्बन्ध है, हमें यह मानना पड़ेगा कि यह सफल नहीं हुई और उस योजना के अन्तर्गत उन परिवारों को पुनर्वासित करने के लिये अनुपूरक योजनायें बनायी गयी हैं और मंजूर की गयी हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस नयी योजना के अधीन आसाम में मिज़ो पहाड़ियों में बसाये गये शरणार्थियों को उन स्थानों में पुनः बसाया गया है ? उनकी क्या दशा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : परन्तु वह उनके मामलों पर विचार करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । श्री चौधरी ।

†**श्री हेम बरुआ :** प्रश्न संख्या २८४ के साथ प्रश्न संख्या ३०८ का भी उत्तर दे दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि सदन चाहे तो ।

†**श्री हेम बरुआ :** यदि मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहें, तो इसको ले लिया जाये। यह उसी प्रकार का है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह मन्त्री महोदय के मानने का प्रश्न नहीं है । यदि किसी महत्वपूर्ण प्रश्न का मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहें, तो वह प्रश्न काल समाप्त होने के बाद पूछ सकते हैं ।

एक्सरे फिल्में

†*२८४. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन रेडियोलाजिकल इंस्टिट्यूट तथा देश की इस प्रकार की अन्य संस्थाओं की ओर से जो रेडियालाजी तथा चिकित्सा विज्ञान का प्रतिनिधत्व करती हैं, कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें एक्स-रे फिल्मों के आयात में की गई कटौती पूरी कर देने के लिये आग्रह किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अभी हाल में की गई आयात कटौतियां लागू करने के लिये एक्स-रे फिल्मों को फोटोग्राफी सम्बन्धी वस्तुओं के साथ वर्गीकृत किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार जानती है कि एक्स-रे फिल्मों के सम्बन्ध में अभी हाल की कटौती लागू करने से एक्स-रे निदान क्षयरोग तथा ऐसे दूसरे रोगों से पीड़ित गरीब तथा मध्यमवर्ग के रोगियों पहुंच के बाहर हो गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । ८ जून, १९६२ को सभी पुराने आयातकों के लाइसेंसों पर ५० प्रतिशत की सामान्य कटौती की घोषणा की गयी थी ।

(ग) एक्स-रे फिल्मों की कमी को दूर करने के लिये एक्स-रे फिल्मों के अभ्यंश में की गयी कटौती ९ जुलाई, १९६२ से हटा ली गयी है ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** क्या मैं यह समझूं कि एक्स-रे फिल्मों का अभ्यंश अब उतना ही है जितना कि पिछले वर्ष था ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी हां, यह उतना ही है, जितना पिछले वर्ष था ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक्स-रे फिल्मों और पुस्तकों के आयात पर एक साथ ही बड़े विचित्र ढंग से प्रतिबन्ध लगाये गये थे, क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा क्यों है कि सरकार एक्सरे फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगा कर लोगों को शारीरिक रूप से और पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगा कर मानसिक रूप से क्यों मारना चाहती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जापान को भारतीय सांस्कृतिक शिष्टमण्डल

+

†*२८६. **श्री मुरारका :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री केप्पन :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ३ जुलाई, १९६२ के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित श्री शशि देसाई के उस लेख की ओर आकर्षित किया गया है जो उन्होंने मानवीय भावना विकास सम्मेलन[1] में भाग लेने के लिए जापान गए हुए भारतीय सांस्कृतिक शिष्टमंडल के आचरण के बारे में लिखा था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था ;

(ग) भारत के कितने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया ; और

(घ) क्या सरकार ने इन प्रतिनिधियों को कोई सुविधा दी थी ?

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी, हां ।

(ख) यह सम्मेलन 'अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता फाउंडेशन' नामक गैर-सरकारी संघ द्वारा, जिसका सदर मुकाम जापान में है, बुलाया गया । इसकी नयी दिल्ली स्थित शाखा ने सम्मेलन में भाग लेने के लिये प्रतिनिधियों का चयन किया ।

(ग) भारत से लगभग ३५० प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया ।

(घ) प्रतिनिधियों के चयन में सरकार का कोई हाथ नहीं था । सरकार द्वारा सम्मेलन में भाग लेने के लिये प्रतिनिधियों को केवल इस बारे में वर्तमान विनियमों के अनुसार पारपत्र दिये गये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री मुरारका ।

†**श्री मुरारका :** क्या सरकार ने इस लेख में किये गये विभिन्न आरोपों की सत्यता के बारे में पता लगा लिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जब सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है तो वह पता क्यों लगाती फिरे ?

†**श्री मुरारका :** वहां पर भारतीय सांस्कृतिक शिष्टमंडल गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** लेकिन इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं था ।

†**श्री मुरारका :** यद्यपि इस शिष्टमंडल को भेजने के लिये सरकार जिम्मेवार नहीं है, शिष्ट-मंडल ने ऐसा भद्दा व्यवहार किया कि इससे भारत की बदनामी हुई और उन्होंने वहां भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने टोक्यो में भारतीय दूतावास के परामर्श से जांच की ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Congress for cultivating human spirit.

†**श्री केप्पन** : सरकार द्वारा की गयी जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हम परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या सरकार का शिष्टमण्डल से किसी प्रकार का सम्बन्ध का, इसको भेजने में या नाम मंजूर करने में ? ३५० प्रतिनिधियों को कैसे जाने की अनुमति दी गयी और कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की गयी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गयी । पारपत्र देने के अतिरिक्त हमने कुछ नहीं किया ।

†**श्री त्यागी** : क्या मैं यह समझूं कि शिष्टमंडल को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी गयी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वही बात कही जा रही है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : जब कोई शिष्टमण्डल विदेश जाता है, सरकारी या गैर-सरकारी अथवा एक व्यक्ति किसी संगठन की ओर से विदेश जाता है तो क्या उससे पहले मंत्रालय का कोई पदाधिकारी, उनको कोई आदेश देते हैं कि ऐसा करना चाहिये और ऐसा नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : मैं पूछ रहा हूं कि क्या . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने पूछा और मैंने समझा कि यह सुझाव है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : तरीका क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : तरीके पूछे नहीं जा सकते ।

†**श्री मुरारका** : इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि शिष्टमण्डल के किसी भी सदस्य को कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गयी, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने यह जांच की है अथवा करेगी कि इतना बड़ा शिष्टमण्डल वहां कैसे गया और उन्होंने किस प्रकार खरीदारी की और इतना सामान भारत ले आये ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं बता चुकी हूं कि पूछताछ की जा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पूछताछ की जा रही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : ऐसे शिष्टमण्डलों को, चाहे वे व्यक्तिगत संगठनों द्वारा भेजे गये हों, विदेश जाने और देश के लिये बदनामी लाने की अनुमति देने से पूर्व, क्या सरकार चुने गये प्रतिनिधियों के बारे में जांच पड़ताल करती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य क्षेत्र में मजदूर कानूनों का लागू होना

+

†*२८८. श्री अ० न० विद्यालंकार :
श्री नम्बियार :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा अनुशासन संहिता जैसे सामान्य मजदूर कानूनों तथा अभिसमयों को राज्य क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में लागू करने की मांग पर कोई निश्चय कर लिया है ?

†श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रम मन्त्री (श्री हाथी) : निम्नलिखित अपवादों समेत सभी श्रमिक नियम राज्य क्षेत्रीय औद्योगिक उपक्रमों पर लागू होते हैं :

(१) विभागीय रूप से चलाये गये उपक्रमों में [जहां श्रमिकों पर एफ० आर०;, एस० आर०, सी० एस० (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम लागू होते हैं] औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ का चैप्टर २–क ।

(२) बागान श्रमिक अधिनियम, १९५१ । अधिनियम में इस प्रकार संशोधन करने का फैसला किया गया है कि इसमें यह व्यवस्था कर दी जाये कि दण्ड उपबन्धों समेत इसके उपबन्ध राज्य के बागानों पर भी लागू हों ।

आचार संहिता औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सभी केन्द्रीय सरकारी विभागीय उपक्रमों और केन्द्रीय और राज्य दोनों क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र में सभी समवायों और निगमों पर लागू होती है ।

महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की सरकारों और मनीपुर प्रशासन को छोड़ कर सभी राज्य सरकारों ने संहिता को अपने विभागीय उपक्रमों में लागू कर दिया है । ये बाकी राज्य भी अपने उपक्रमों में संहिता को लागू करने के प्रश्न का परीक्षण कर रहे हैं ।

†श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या सरकार ने आचार संहिता लागू करने के लिये किसी सरकारी उपक्रम के विरुद्ध कार्यवाही की है ?

†श्री हाथी : यह सरकार द्वारा कार्यवाही की जाने की प्रश्न नहीं है, जब कर्मचारी और नियोजक आचार संहिता स्वीकार कर लेते हैं । यदि नहीं करते तो यदि यह सरकारी क्षेत्र में है, तो इसको नियोजक संघ की मंजूरी मिलती है । सरकार को यह देखना होता है कि आचार संहिता लागू की जाये ।

†श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या सरकार का ध्यान कुछ उन मामलों की ओर आकृष्ट किया गया है जहां सरकारी क्षेत्र में आचार संहिता का पालन नहीं किया जा रहा है ?

†श्री हाथी : ऐसे कुछ मामले हैं जहां वे सिद्धान्त रूप से सहमत हो गये हैं परन्तु कुछ छोटी छोटी बातों का स्पष्टीकरण होना है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं में केवल राज्य सरकार से सम्बन्धित ही श्रमिक नियम लागू किये जाते हैं और श्रमिकों सम्बन्धी केन्द्रीय विधान लागू नहीं किया जाता ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** यह प्रश्न विचाराधीन है। इस पर विचार किया गया था कि क्या राज्यों में सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों में केन्द्रीय नियम लागू होने चाहियें। परन्तु राज्यों का यह विचार है कि उनके नियम लागू होने चाहियें। परन्तु मामला अभी विचाराधीन है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन

†*२७९. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासोन्मुख देशों के निर्यात के दीर्घकालीन विस्तार के विशिष्ट प्रसंग में किसी अभिकरण ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कोई अध्ययन आरंभ किया है जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ स्थित भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने एक बार ज़ोर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस अभिकरण का नाम क्या है और उसने इस दिशा में अब तक क्या प्रगति की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) व्यापार तथा प्रशुल्क संबन्धी सामान्य करार के सदस्य देशों द्वारा प्रो० हाबरलर के सभापतित्व में बनाई गई चार अर्थशास्त्रियों के पेनलटी रिपोर्ट के फलस्वरूप यह निश्चय किया गया था कि अल्प विकसित देशों में उनका निर्यात व्यापार शेष संसार के साथ, विशेषकर औद्योकीकृत देशों के साथ, बढ़ाने में आ रही समस्याओं के हलों की सिफारिश करने के लिए एक समिति बनाई जायें।

इस समिति के अन्तरिम निष्कर्षों पर विचार करने के बाद नवम्बर, १९६२ में व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार की मंत्री-बैठक में अल्प विकसित देशों के व्यापार संवर्धन सम्बन्धी एक घोषणा स्वीकार की गई थी और अब करार के सदस्य देशों के भावी कार्य के लिये यह एक आधार बन गई है। यह समिति अभी अपना कार्य कर रही है।

बम्बई में फोम ग्लास फैक्टरी

†*२८५ { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री अ०द० राघवन :
श्री यल्लमदा रेड्डी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में फोम ग्लास फैक्टरी चालू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ;

(ख) यदि वहां, तो क्या वह गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत होगी या सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यह कारखाना स्थापित हो जाने से संभवतः कितनी विदेशी मुद्रा बचेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानुनगो)** : (क) और (ख). हां श्रीमान ! बम्बई में एक फोम ग्लास फैक्टरी बन रही है । फैक्टरी गैर-सरकारी क्षेत्र में होगी ।

(ग) आजकल फोम ग्लास का आयात नहीं होता है । फिर भी, भावी मांग की आशा के आधार पर योजना की कार्यान्विति के परिणामस्वरुप लगभग ५ लाख रु० की वार्षिक बचत होगी ।

मनीपुर में कागज बनाने का कारखाना

†*२८७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में कागज बनाने का एक कारखाना खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकारी क्षेत्र में होगा या गैर-सरकारी क्षेत्र में ; और

(ग) कागज बनाने के कारखाने की कितनी क्षमता होगी और उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). मनीपुर प्रशासन से या किसी भी गैर-सरकारी फर्म से अभी तक कोई निश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

बिजली उत्पादन की सापेक्ष आर्थिक लागत

†*२८९. **डा० क० ल० राव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अगले १५ वर्ष में भारत में जल तापीय और आण्विक विद्युत और सापेक्ष आर्थिक लागत का अध्ययन करने का प्रयत्न किया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाएगी ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) वर्ष १९७६ तक की अवधि के लिए दीर्घकालीन विद्युत विकास प्रोग्राम बनाने के लिए सरकार ने विद्युत आयोजन दल पहले ही बना दिया है ।

मकाओ में भारतीय

†*२९०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुर्तगाली सरकार ने इकतालीस भारतीयों की मकाओ में रहने देने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी है और उनसे तुरन्त वहां से चले जाने को कहा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : २५ जून, १९६२ को जारी की डिक्री से पुर्तगाली सरकार ने पुर्तगाली बस्तियों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों को आदेश दिया है कि वे वहां से चले जायें । फिर भी, मकाओं में रहने देने के लिए भारतीय राष्ट्रजनों की अपील की भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपाल में विकास परियोजनायें

†*२९१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल की उन पांच विकास परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति क्या है, जिनके लिए नेपाल और भारत के बीच हाल ही में सहायता करार किये गये थे ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७०]**

पांडीचेरी में कपड़ा उद्योग

†*२९२. **श्री उमा नाथ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाण्डिचेरी राज्य के किसी संगठन की ओर से कोई शिकायत प्राप्त हुई है जिनमें ये आरोप लगाये गये हैं कि प्रबन्धकों ने २५ नवम्बर, १९५५ के कपड़ा पंचाट का उल्लंघन करते हुए पांडीचेरी राज्य के समूचे कपड़ा उद्योग में कार्यभार बढ़ा दिया है।

(ख) क्या यह भी सच है कि पाण्डीचेरी राज्य की कार्मिक संघ परिषद् ने परिवर्तित कार्य-भार की जांच करने तथा पुनरीक्षित कार्यभार के अनुसार मंजूरी का पुनरीक्षण करने एवं प्रस्तावित वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किये जाने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). हां, श्रीमान। पाण्डीचेरी की व्यापार संघ परिषद् का एक अभ्यावेदन पाण्डीचेरी के मुख्यायुक्त को मिला है। वह मामले की जांच कर रहे हैं।

तारापुर में विद्युत् संयंत्र

†*२९३. **श्री बसुमतारी** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सहयोग से तारापुर (महाराष्ट्र) में अणुशक्ति संयंत्र की स्थापना के लिए प्रबन्ध पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) तारापुर में अणुशक्ति केन्द्र संयंत्र के निर्माण के लिए सात टेण्डर प्राप्त हुए हैं जिनमें तीन अमरीका, दो ब्रिटेन, एक फ्रांस और एक कनाडा का है। टेण्डर के चुनाव के बारे में अभी निश्चय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुर्तगाल और ब्राजील जाने वाले गोआनी

†*२९५. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ के कुछ परिवार गोआ की मुक्ति के पश्चात् पुर्तगाल और ब्राजील जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गोआ की मुक्ति के पश्चात् कितने परिवार गोआ छोड़ कर चले गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त निर्णय के मूल कारणों का मूल्यांकन किया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) और (ख). स्वाधीनता के बाद ११९१ गोआनियों को पुर्तगाल, और ६७ को ब्राजील जाने का अधिकार दे दिया गया है । इन देशों को वस्तुतः कितने व्यक्ति भारत छोड़ कर चले गये हैं, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) उनमें से अधिकतर गोआनी जो भारत छोड़ कर चले गये हैं या जा रहे हैं उनकी पत्नियां या सम्बन्धी या व्यवसाय पुर्तगाल या उसकी बस्तियों में हैं । जिन व्यक्तियों ने गोआ राजनीतिक आधार पर छोड़ा है या छोड़ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी है ।

'टेलस्टार' संचार उपग्रह परियोजना

†*२९६. **श्री ही० ना० मकर्जी :**
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत 'टेलस्टार' संचार उपग्रह परियोजना में भाग लेने की संभावना का पता लगा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में बड़े पैमाने पर टेली विजन की क्या संभावनायें हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) हां ।

(ख) इस परियोजना के सम्बन्ध में जब तक व्यावहारिक परीक्षण पूरे नहीं होते, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में या और कहीं उपग्रहों द्वारा टेलीविजन संचार की क्या संभावना है ।

पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना

†*२९७. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री रघुनाथ सिंह : .
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बसुमतारी :
श्री बागड़ी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की सीमा सेना ने २८ जुलाई, १९६२ को या उसके आसपास मुर्शिदाबाद जिले में रघुनाथगंज पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत खंडुआ में भारतीय चौकी के समीप भारतीय मत्स्य-ग्रहण नौका पर गोली चलाई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त गोली चलाये जाने के फलस्वरूप कितने व्यक्ति मरे और कितनों को चोट आई ; और

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) दो व्यक्ति मर गये और दो व्यक्ति घायल हुए ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व पाकिस्तान की सरकार को विरोधपत्र भेजा है । ढाका में हमारे उप-उच्चायुक्त ने भी विरोध पत्र दिया है ।

निर्यातकों के लिये ऋण सुविधायें

†*२९८. **श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दाजी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २४७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों के लिए ऋण सुविधाओं में वृद्धि करने की योजना की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । मामला अभी विचाराधीन है । शीघ्र ही समिति की रिपोर्ट मिलने की आशा है ।

नेपाल में सड़कें

†*२९९. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में ९०० मील लम्बी सड़कें बनाने के लिए वर्ष १९५८ में एक त्रिदलीय करार के अधीन बनाए गए भारत, नेपाल और अमरीका के त्रिपक्षीय निकाय, प्रादेशिक परिवहन संगठन (रीजनल ट्रांसपोर्ट आरगनाइज़ेशन) को अपना उद्देश्य पूरा करने से बहुत पूर्व ही विघटित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) और (ख). प्रादेशिक परिवहन संगठन बन्द किया जा रहा है क्योंकि तीनों पक्षों ने यह स्वीकार किया है कि असुविधाजनक संगठन और इसके कार्य की जटिल प्रक्रिया ने इसे नेपाल में सड़कों ने निर्माण के लिए इसे आदर्श एजेन्सी नहीं बनाया। प्रश्नास्पद करार में ६०० मील लम्बी सड़कों के निर्माण की व्यवस्था नहीं है। इसके विपरीत, इसने सीमित धनराशि विशिष्ट अवधि के लिए नेपाल सरकार की सड़क योजना के लिए देने की व्यवस्था की। आरम्भ के वित्तीय वचन पूरे कर दिये गये हैं।

पश्चिमी योरोपीय देशों को लौह अयस्क का निर्यात

†*३००. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५८ की अपेक्षा वर्ष १९५९ में पश्चिमी योरोपीय देशों को लौह अयस्क के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति सुधारने के लिये क्या कदम उठाए जायेंगे; और

(ग) क्या खान-मालिकों को दीर्घ कालीन निर्यात ठेके देने के लिये राज्य व्यापार निगम के समक्ष कोई प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**:(क) और (ख). वर्ष १९५८ और १९५९ में योरोप के पश्चिम देशों को क्रमानुसार १.०३ और १.०० लाख टन (६० लाख रु० और ५८ लाख रु०) लोह-अयस्क का निर्यात हुआ। वर्ष १९६० और १९६१ में निर्यात बढ़ कर क्रमानुसार १.३७ और २.३६ लाख टन (७७ लाख रु० और १५० लाख रु०) निर्यात हुआ।

(ग) जहां कहीं वाणिज्यिक दृष्टि से सम्भव होता है, वहां दीर्घकालीन ठेकों पर विचार किया जाता है।

गोआ में मछवे

†*३०१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस गात की जानकारी है कि मछलियों की कमी का गोआ के मछुओं पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इन मछुओं की कठिनाइयों को कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें यह मांग की गई है कि इन मछुओं को भी वैसा ही संरक्षण दिया जाए जैसा महाराष्ट्र, मैसूर तथा केरल की सरकारों ने दिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) और (ख). गोआ में मछली पकड़ने का मौसम अगस्त के तीसरे सप्ताह से दिसम्बर तक होता है। अतः पिछला मछली पकड़ने का मौसम स्वाधीनता से पहिले हुआ था। विचार है कि पिछले वर्ष मछली थोड़ी पकड़ी गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

आशा है कि इस वर्ष स्थिति अच्छी रहे। यदि दूसरी ओर आगामी मौसम में मछली की कमी जारी रहती है, तो समोचित सहायता दी जायगी जैसा कि पड़ौसी राज्यों में होता है।

(ग) हां, श्रीमान्।

बेरूबाड़ी में क्षेत्रों का सीमांकन

†*३०२. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैरूवाड़ी क्षेत्र में सर्वेक्षण और सीमांकन के कार्य में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि सैनिकों तथा पुलिस समेत सभी पाकिस्तानी कर्मचारी अल्पसंख्यक समुदाय के निवासियों पर सभी प्रकार का दबाव डाल रहे हैं कि वह अपने घरबार छोड़ दें ; और

(ग) क्या सरकार ने ढाका स्थित अपने उप-उच्चायुक्त को परामर्श दिया है कि शीघ्रता से पाकिस्तान सरकार से बातचीत करें और शीघ्र काम खत्म करायें ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा के विचार की बात सरकारी व गैर-सरकारी वे व्यक्ति करते हैं जो स्वयं अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के हैं।

(ग) नहीं, श्रीमान्। पश्चिम बंगाल सरकार पूर्वी पाकिस्तान सरकार के साथ मामले पर बातचीत कर रही है। आशा है कि क्षेत्र में सीमांकन का कार्य नवम्बर में आरम्भ होने वाले कटाई के मौसम में आरम्भ होगा।

कपड़े का निर्यात

†*३०३. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री** १९ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) विभिन्न देशों को कपड़े के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

निर्यातकर्ताओं के पहिले की अपेक्षा दीर्घकालीन आधार पर अपने निर्यात का आयोजन करने की सुविधा देने की दृष्टि से यह घोषणा की गई है कि सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन योजना, जिस रूप में

†मूल अंग्रेजी में

आजकल कार्यान्वित है, उसी रूप में लागू रहेगी। योजनाओं का पुनरीक्षण भी किया गया है और जहां आवश्यक हुआ है वहां प्रोत्साहन दिया गया है। कपड़े के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की नई योजनायें बनाई जा रही हैं। प्रोत्साहन मांगने की प्रक्रिया सरल कर दी गई है। उत्पादन बढ़ाने के लिए, विशेषकर विधायत्त कपड़ों का उत्पादन के लिये, तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में कपड़ा मिलों को २५,००० स्वचालित करघों के लाइसेंस दिये जायेंगे परन्तु एक शर्त यह होगी कि उत्पादन का ७५ प्रतिशत का निर्यात करना होगा।

वर्ष १९६१ में सूती कपड़े का निर्यात बहुत कम हो गया और अब भी वैसी ही स्थिति है। यह कमी विशेष ब्रिटन, आस्ट्रलिया, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, अदन, नाइजीरिया और सूडान जाने वाले माल में हुई। इसके विरुद्ध, इण्डोनेशिया ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका और ब्रिटन को छोड़कर पश्चिम योरोपीय देशों जैसे अनेक बाजारों को होने वाले निर्यात में वृद्धि हुई।

चालू वर्ष में विद्यमान स्थिति से पता लगता है कि ब्रिटेन के लिये उच्चतम सीमा का पूर्ण प्रयोग किया जायगा।

ग्राम्य औद्योगिक परियोजनायें

†*३०४. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या **योजना** मन्त्री १० मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग की ग्राम्य औद्योगिक योजना समिति की इस सिफारिश पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है कि चुनी हुई ग्राम्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिये १५ करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त राशि पृथक् रक्षित की जाए; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)**: (क) और (ख). प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

समाचारपत्र उद्योग में एकाधिकार प्रवत्तियां

*३०५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री नी० श्रीकान्तन नायर :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री २४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि समाचार पत्र उद्योग में स्वामित्व के एकीकरण और एकाधिकारिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के कार्य में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : यह विषय अभी विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना

†*३०६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री २ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में अब और आगे क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री काननगो) : संस्थापकों ने अभी तक प्रस्तावित विदेशी सहयोग की शर्तों का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है ।

दण्डकारण्य परियोजना की वित्तीय स्थिति

†*३०७. **श्री प्र० के० देव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के प्रधान श्री एस० सेन, ने भुवनेश्वर में दिये गये अपने हाल के एक वक्तव्य में दण्डकारण्य परियोजना की वित्तीय स्थिति को 'असन्तोषजनक' बताया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वक्तव्य ठीक है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७१]** ।

पुस्तकों का आयात

†*३०८. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार का विचार अपनी परिवर्तित आयात नीति के आधार पर पुस्तकों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : विदेशी मुद्रा की स्थिति के बिगड़ने के कारण आयात में की गई सामान्य कटौती के फलस्वरूप पुस्तकों का आयात हाल में १०० प्रतिशत से घटा कर ७५ प्रतिशत कर दिया गया है । यह आयात बड़े बड़े आयातकर्ताओं द्वारा होता है। चालू लाइसेन्स काल में पुस्तकों के आयात पर और कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । पुस्तकालयों, शिक्षण संस्थाओं, आदि द्वारा टैक्निकल तथा शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर हो वाले पुस्तकों के आयात में कटौती नहीं हुई है ।

दैनिक समाचार पत्रों के मूल्य

†*३०९. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि दिल्ली में दैनिक समाचारपत्रों ने १ अगस्त, १९६२ से अपने मूल्य बढ़ा दिये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस मूल्य वृद्धि का अखबारी कागज के कोटे में की गई नई कटौती से कोई संबंध है ;

(ग) यदि नहीं, तो यह वृद्धि किन कारणों से हुई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) हां, श्रीमान् । दिल्ली में कुछ समाचारपत्रों ने १ अगस्त, १९९२ में अपना मूल्य बढ़ा दिया है ।

(ख) और (ग). सरकार को वृद्धि करने के कारणों का पता नहीं है । शायद उन का संबंध अखबारी कागज के कोटे में प्रस्तावित कटौती से है ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

इस्पात कारखानों को लोह अयस्क का संभरण

†*३१०. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात कारखानों को प्रत्येक वर्ष संभरण करने के लिये गैर सरकारी खान मालिकों का लौह अयस्क का कोटा निश्चित करने का कोई विचार है ;

(ख) क्या इस्पात कारखानों को संभरण के लिये तथा खान मालिकों से लौह अयस्क के निर्यात के लिये कोटा निश्चित करने का कोई आधार है ;

(ग) यदि हां, तो यह आधार क्या है तथा क्या खानों के रकबे को कसौटी माना जाता है ; और

(घ) क्या सरकार को कोई ऐसे मामले की जानकारी है कि ऐसी कम्पनियों अथवा व्यक्तियों को आर्डर दिये गये हों जिन के पास एक एकड़ की खान भी नहीं है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० से विशिष्ट क्रयादेश प्राप्त होने पर राज्य व्यापार निगम खरीद करता है। फिर भी, हिन्दुस्तान स्टील लि० के लिये कुछ मात्रा में माल गैर-सरकारी आधार पर खरीदने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). हां, श्रीमान् । इस्पात कारखानों को देने के लिये और बड़ा जमदा क्षेत्र में खान मालिकों को निर्यात के लिये कोटे उन के पट्टे के क्षेत्र के आधार पर दिये जाते हैं ।

लौह-अयस्क के निर्यात के लिये बड़े-बड़े निर्यात-कर्ताओं और परिवहन-कर्ताओं को उन के पहिले निर्यात के आधार पर कोटे दिये जाते हैं ।

(घ) लौह-अयस्क के निर्यात के आदेश, क्षेत्र का प्रश्न न होने पर, बड़े-बड़े निर्यात-कर्ताओं तथा नौवाहकों को दिये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तिब्बत में भारतीय व्यापारियों के साथ चीन का व्यवहार

†*३११. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री कजरोलकर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यातुंग में चीनी विदेश व्यापार निगम प्राधिकारियों ने हाल में ही भारतीय व्यापारियों के साथ अपने व्यवहार में परिवर्तन कर दिया है और ऐसा आभास दिया है कि वह वहीं रहें और अपना व्यापार करते रहें ;

(ख) यदि हां तो क्या किन्हीं व्यापारियों ने वहीं रहने का निर्णय किया है ; और

(ग) जो भारतीय व्यापारी तिब्बत छोड़ कर चले आये हैं क्या उन को अपनी सभी आस्तियां अपने साथ लाने की अनुमति दे दी गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) हां, श्रीमान् । यह सच है ।

(ख) यातुंग में अब भी रहने वाला एकमात्र भारतीय व्यापारी भारत आने का इच्छुक है । उसे चीनी प्राधिकारियों ने रोक लिया है और उन्हों ने उस पर कुछ दोषारोपण किया है ।

(ग) भारतीय व्यापारी तिब्बत से अपने साथ अपनी सम्पूर्ण आस्तियां नहीं ला सके हैं । ढुलाई के बहुत महंगे होने और चीनियों द्वारा बहुत अधिक निर्यात-शुल्क लगाने के कारण उन्होंने अपना सारा व्यापार का माल लाना लाभप्रद नहीं समझा । हमारे व्यापारियों ने जो कुछ तिब्बती माल खरीदा था, उसे लाने की अनुमति चीनी प्राधिकारियों ने नहीं दी । हमारे व्यापारियों को अचल सम्पत्ति भी छोड़नी पड़ी । सरकार को पीड़ित व्यापारियों के सूचना देने पर चीनी प्राधिकारियों के साथ वार्ता की जायेगी ।

भूटान का विकास

†*३१२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** ७ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूटान को उस के विकास के कार्य में सहायता देने के लिये जो योजना स्वीकार की गई थी, उसे कार्यान्वित करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : योजन-कार्यों के लिये भूटान को ७ मई १९६२ के बाद से ६० लाख रुपये की रकम और दी गई है । इस तरह अब तक कुल २ करोड़ ४७ लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है । परिवहन-संचार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खनिज और माइक्रो-हाइडल खोजों के क्षेत्रों में योजना के जो लक्ष्य थे, उन्हें पूरा करने का काम आगे बढ़ा है । भूटान की योजना को अमल में लाने के काम में जो प्रगति हुई है, उस का विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७२]**

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानियों द्वारा दो भारतीयों का अपहरण

†*३१३. श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने हाल में ही देवनीपुर में पश्चिम बंगाल-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर दो भारतीयों का अपहरण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का तथा संसद् के पिछले स्थगन के बाद से अब तक भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी बर्बरता की अन्य घटनाओं का ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) २२ जुलाई, १९६२ को पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के दो चार ढोर देवनापुर में भारतीय राज्य क्षेत्र में आ गये और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे । उसउसी समय एक भारतीय गश्ती पार्टी, जिस में चार देवनापुर सीमा चौकी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के एक सहायक उप-निरीक्षक थे, वहां पहुंच गये । कुछ पाकिस्तानी चरवाहों ने, जो अपने ढोरों के पीछे भारतीय राज्य क्षेत्र में आ गये थे, शोर मचाया जिसे सुन कर लगभग १०० पाकिस्तानी राष्ट्रजन पूर्वी पाकिस्तान राइफल के दो सशस्त्र सदस्यों के साथ सीमा पार कर वहां आ गये और भारतीय सीमा कर्मचारियों को घेर लिया । भारतीय अधिकारियों को पकड़ लिया गया और उन्हें उन के अस्त्रों सहित पाकिस्तान ले जाया गया ।

१ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९६२ की अवधि में भारत-पाकिस्तान सीमा पर हुई घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है । जानकारी का विवरण लोक-सभा के चालू सत्र में पटल पर रख दिया जायेगा ।

त्रिपुरा को औद्योगिक ऋण

†६४६. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में और तीसरी पंचवर्षीय काल में अब तक त्रिपुरा के लोगों को कुल कितना औद्योगिक ऋण दिया गया है ;

(ख) कितने व्यक्तियों को और प्रत्येक को कितनी अधिकतम राशि दी गई ;

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों ने ऋण के लिये प्रार्थना की है ;

(घ) कितने व्यक्तियों को ऋण मिला ; और

(ङ) ऋण प्राप्त करने वालों में कितने व्यक्ति आदिम जातियों के थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य योजना

†६४७. **श्री सरकार मुरमू** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य योजना के अन्तर्गत अब तक बस्तियों के कितने आदिम जाति परिवारों को पुनर्वास दिया गया है ;

(ख) विस्थापित व्यक्तियों और स्थानीय व्यक्तियों में कृष्यकृत भूमि कैसे विभाजित की गई है ; और

(ग) उक्त योजना में कितनी प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). दण्डकारण्य योजना के अन्तर्गत कृष्यकृत भूमि का २५ प्रतिशत आदिम जातियों के लिये पृथक रखना है। ३० जून, १९६२ तक उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकार को लगभग १९०० आदिम जाति-परिवारों में विभाजित करने के लिये १३,३७९ एकड़ भमि दी गई थी।

(ग) ३० जून, १९६२ तक योजना की प्रगति दर्शाने वाली रिपोर्ट संसत्सदस्यों में परिचालित की जा रही है।

इल्मैनाइट का उत्पादन

†६४८. **श्री नटराज पिल्ले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५६-५७ से वर्ष १९६१-६२ तक प्रति वर्ष त्रावन्कुर खनिज लि० क्विलोन में विक्रय के लिये एक टन इल्मैनाइट के उत्पादन का मूल्य क्या था और इन वर्षों में से प्रति वर्ष कितना माल निर्यात किया गया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : त्रावन्कोर खनिज लि० ३० जून, १९५६ को बना था और उस ने त्रावन्कुर खनिज उपक्रमों की आस्तियां १० मई, १९५७ को ले लीं। ये उपक्रम केरल राज्य सरकार के थे। वर्ष १९५७-५८ से वर्ष १९६१-६२ तक प्रति वर्ष निर्यात हुए इल्मैनाइट की मात्रा निम्न है :—

वर्ष	निर्यात हुई मात्रा (लम्बे टन)
१९५७–५८ .	१,१०,६४४
१९५८–५९ . .	१,२९,५१८
१९५९–६० . .	१,४१,५०१
१९६०–६१ . .	१,२३,५८४
१९६१–६२	१,१२,६५९

उत्पादन-लागत बताना लोक-हित में नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में।

प्रेस क्लब आफ इंडिया की इमारत

†६४९. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'प्रेस क्लब आफ इंडिया' ने अपनी इमारत बनाने के लिये भूमि मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक निश्चय होने की आशा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). प्रेस क्लब आफ इंडिया ने मई, १९५८ में भूमि मांगी थी और उन्हें भूमि प्राप्त करने के लिये प्रार्थनापत्र देने की प्रक्रिया बता दी गई थी। उन से और कोई पत्र, आदि प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने भी यह प्रश्न दो मास पहिल निर्माण, आवास और संभरण मंत्री को दिये गये अपने स्वागत समारोह में उठाया था। मंत्री महोदय ने उन्हें बताया था कि मामले पर उचित प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। प्रार्थनापत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

त्रिपुरा के चाय बागानों में श्रम विवाद

†६५०. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२ से वर्ष १९६२ तक प्रति वर्ष त्रिपुरा के पचाय बगानों में प्रति वर्ष कुल कितने श्रम विवाद हुए ;

(ख) समझौता और पंचाट द्वारा कुल कितने विवादों का निपटारा हुआ ;

(ग) श्रम न्यायालयों को कुल कितने विवाद भेजे गये ; और

(घ) चाय बागानों में श्रम विवादों की संख्या कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों का वर्गीकरण

†६५२. **श्री दशरथ देव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन अपने लोक-निर्माण विभाग के सूचीबद्ध ठेकेदारों का वर्गीकरण करने में किसी नियम का पालन करता है ;

(ख) यदि हां, तो वह नियम क्या है ; औ

(ग) यदि नहीं, तो क्या लोकनिर्माण विभाग के ठेकेदारों के वर्गीकरण के लिये कोई ऐसा नियम अपनायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) ठेकेदारों का नाम दर्ज करने के नियम विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोडयार जल विद्युत् योजना

†६५३. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने योजना आयोग से प्रार्थना की है कि वह तीसरी योजना काल में कार्यान्वित होने के लिये कोडयार जल विद्युत् योजना को स्वीकार करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लकड़ी की वस्तुओं का निर्यात

†६५४. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लकड़ी की वस्तूओं की, विशेषकर काश्मीर में बने लकड़ी के प्यालों की अधिकतर ब्रिटेन और अमरीका में बड़ी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या काश्मीर के लकड़ी के उद्योग के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की कोई योजना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में बनी वस्तुओं सहित लकड़ी के कलात्मक उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की योजनायें विचाराधीन हैं ।

जम्मू तथा काश्मीर में खिलौना उद्योग

†६५५. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर की सरकार ने राज्य में खिलौने बनाने के उद्योग के विकास के लिये अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड से कोई सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या फल रहा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली और तीसरी योजना

†६५६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिये तीसरी योजना के लक्ष्य बढ़ाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो संभवतः पुनरीक्षित लक्ष्य क्या होंगे ;

(ग) इस के व्यय में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ; और

(घ) इस वृद्धि की पूर्ति कैसे होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख) वर्ष १९६१-६२ की वार्षिक योजना में सड़कों, सामान्य शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, गन्दी बस्ती हटाना और श्रम और श्रम कल्याण के अन्तर्गत नई कुछ योजनायें स्वीकृत हुई हैं। अब अनुमान है कि दिल्ली प्रशासन की तीसरी योजना के स्वीकृत व्यय में वृद्धि होने की संभावना नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केरल का औद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण

†६५७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान राष्ट्रीय परिषद् द्वारा किये गये केरल के औद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण का प्रतिवेदन केरल सरकार से मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की क्रियान्विति में केरल सरकार की सहायता करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है।

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

ग्रामीण शरणार्थियों का पुनर्वास

†६५८. **श्री बसुमतारी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की अखिल भारतीय देहाती पुरुषार्थी सभा ने पश्चिम पाकिस्तान के लगभग ८०,००० ग्रामीण शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये न्यायिक आयोग नियुक्त करने के लिये मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) जी हां। मांग भारत के राष्ट्रपति के नाम ८ जून १९६२ के एक अभ्यावेदन में है।

(ख) अभ्यावेदन में मुख्य बात विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम १९५५ के नियम ६५ की वैधता तथा क्रियान्विति के संबंध में है। इस प्रश्न पर दीवानी याचिका संख्या ४४; १९५८ में उच्चतम न्यायालय में विचार किया गया था। न्यायालय ने इस नियम को विधिगत बताया है। इस फैसले के बाद न्यायिक आयोग नियुक्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक

†६५९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के कितने पर्यवेक्षक हैं तथा उन की राष्ट्रीयता क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस पर कितना धन व्यय किया गया है तथा हमारा क्या दायित्व है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जम्मू तथा काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के ३३ पर्यवेक्षक हैं। ये ग्यारह देशों के हैं। आस्ट्रेलिया (६), कनाडा (५), इटली (४), डेनमार्क (३), न्यूज़ीलैण्ड (३), स्वेडन (३), फिनलैंड (२), नार्वे (२) बेलगाम (२), चिली (२), तथा उरुगुवे (१)।

(ख) संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया व्यय सरकार को मालूम नहीं है। जिस में निवासस्थान, तथा भोजन आदि की सुविधायें, मोटर आदि का परिवहन, सैनिक अस्पतालों में मुफ्त इलाज आदि हैं। इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये व्यय का अलग लेखा नहीं रखा गया है।

गोआ में श्रम कानूनों का विस्तार

†६६०. **श्री दाजी :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री नाथ पाई :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गोआ में श्रम कानूनों का विस्तार करने का निर्णय कर लिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी हां : भारत सरकार गोआ, दमन, और दीव में भारतीय श्रम कानूनों को लागू करने के सम्बन्ध में क़दम उठा रही है।

निर्यात संवर्द्धन

†६६१. **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री मुरारका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने **निर्यात** संवर्द्धन की निधि को बढ़ाने के लिए सभी उद्योगों के उत्पादन पर २ प्रतिशत उपकर लगाने के प्रस्ताव पर निर्णय ले लिया है ;

(ख) ऐसे उपकर से कितनी आय होने की आशा है ; और

(ग) यह धन किस प्रकार व्यय किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). प्रस्ताव विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

आस्ट्रेलिया से 'रुटाइल'[1] का आयात

†६६२. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आक्सीजन लिमिडेड तथा मैसर्स जे० बी० अडवानी — ओयरलिकन एण्ड इलैक्ट्रोइस प्राइवेट लिमिटेड जैसे बड़े कारखानों को कछ टन रुटाइल उपलब्ध करने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उन्होंने आस्ट्रेलिया से रुटाइल का आयात करने का आवेदन पत्र भेजा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) जी नहीं। देशी रुटाइल का संभरण मार्च १९६२ के अन्त तक होने वाले वर्ष में मांग से कम था क्या कमी को आयात से पूरा किया गया था। तब से रुटाइल का उत्पादन बढ़ गया है क्या रूटाइल की खपत करने वाले लोगों की आवश्यता पूरी की जा रही है ?

(ग) रूटाइल का आयात करने के लिए एक कम्पनी ने आवेदन पत्र दिया है परन्तु उसने देसी साधनों से प्राप्त रूटाइल को नहीं मंगाया ।

केन्द्रीय आवास बोर्ड

†६६३. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय आवास बोर्ड स्थापित करने में अभी तक कितनी प्रगति की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: केन्द्रीय आवास बोर्ड स्थापित करने के लिये अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। इस वर्ष अक्तूबर में राज्य आवास मंत्रियों की एक बैठक होने वाली है और तब इस मामले पर विचार किया जायेगा और निर्णय किया जायेगा।

नागालैण्ड के लिये धन का आवंटन

†६६४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैण्ड की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये कुल कितने धन का आवंटन किया गया ;

(ख) कुल कितना व्यय किया गया ;

(ग) कितना धन व्यय नहीं किया गया ; और

(घ) निधि को व्यय न करने के क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) नागा पहाडी—तुएनसांग क्षेत्र में (जिसका अब नाम नागालैण्ड है) १ दिसम्बर, १९५७ से एक प्रथक् यूनिट के रूप में बना । इस युनिट के लिये त्रि-वर्षीय विकास योजना में वर्ष १९५८—६१ के दौरान ४०८.४ लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था की गयी थी।

(ख) वास्तव में ३१५.७ लाख रुपये व्यय किये गये ।

(ग) ९२.७ लाख रूपये की कमी रही ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rutile

(घ) कमी के मुख्य कारण निम्न हैं :—

(१) विधि तथा व्यवस्था में अशांति ;
(२) प्रविधिक कर्मचारियों की कमी ; और
(३) कुछ अत्यावश्यक सामान जैसे सीमेन्ट और नालीदार जस्ता चढ़ी लोहे की चादरों की कमी ।

यूगोस्लाविया के साथ व्यापार

†६६५. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय योजना-काल में यूगोस्लाविया के साथ व्यापार में कोई सुधार हुआ है ;

(ख) क्या उस देश में भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार चालू अवधि में मांग पूरी कर सकेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) जी, हां । जनवरी—जून, १९६२ की अवधि में भारत से यूगोस्लाविया को ५०२ लाख रूपये का निर्यात किया गया जब कि वर्ष १९६१ में इसी अवधि में १७२ लाख रूपये का निर्यात किया गया था ।

(ग) जी हां, । दोनों देश अपना अंश पूरा करेंगे ।

कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में दुर्घटना

†६६६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करें गे कि :

(क) क्या २४ मार्च, १९६२ को कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में हुई दुर्घटना, जिस में चार श्रमिकों की मृत्यु हुई थी, की जांच पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह दुर्घटना बड़े भयंकर रूप से एक चट्टान के फटने से हुई जिसका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता था । इस क्षेत्र में कार्य की दशा पर्याप्त है और प्रबन्धकों ने सभी उचित उपाय कर लिये हैं ।

ग्राम उद्योग

६६७. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ग्रामोद्योग की कितनी योजनायें इस समय चल रही है ; और इन पर कुल कितना धन इस समय व्यय किया जा रहा है ; और

(ख) योजनाओं में काम करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है और उन में शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों का क्या अनुपात है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) खादी (परम्परागत और अम्बर) के विकास के अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नीचे लिखे ग्रामोद्योगिक विकास का काम भी अपने हाथ में ले लिया है :—

(१) अनाजों और दालों का परिष्करण
(२) ग्रामीण तेल,
(३) ग्रामीण चमड़ा,
(४) कुटीर दियासलाई,
(५) गुड़ और खण्डसारी,
(६) ताड़ गुड़,
(७) साबुन,
(८) हाथ का बना कागज,
(९) ग्रामीण कुम्हारी,
(१०) मधु मक्खी पालन,
(११) रेशे,
(१२) बढ़ई गीरी और लुहारी,
(१३) गैस संयंत्र,
(१४) चूने का पत्थर और उसके उत्पादन ।

१९६२–६३ के दौरान कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में १६.०७ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधीन विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने से १७.४३ लाख लोगों को पूर्णकालिक और ६.८६ लाख लोगों को अंशकालिक रोजगार मिला है। अनुमान है कि इन में से १६,००० शिक्षित व्यक्ति हैं।

साइकलों के मूल्य

†६६८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या साइकलों की कीमतें घटाने के लिये कोई प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): साइकलों पर कोई काननी मूल्य नियंत्रण नहीं है। फिर भी इस उद्योग में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही है क्योंकि इस समय लगभग २० बड़े और ७० छोटे कारखाने साइकलें बना रहे हैं। इस उद्योग की विकास परिषद् भी समय-समय पर कीमत के ढांचे का पुनरीक्षण करती रहती है।

साइकलों का निर्यात

६६९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइकलों की कीमत ऊंची रहने के कारण उनके निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विदेशों में इनकी खपत बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(ग) देश में बनने वाली साइकलों में उन्नति करने के लिए क्या अनुसन्धान कार्य हो रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री काननगो) : (क) से (ग). एक विवरण साथ में नत्थी ह ।

विवरण

भारत में साइकलों की कीमतें विदेशी बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति को कम करने वाली हैं ।

देश से साइकिलों का निर्यात बढ़ाने के लिये अब तक नीचे लिखे उपाय किये जा चुके हैं :—

(१) निर्यात संवर्धन योजना के अधीन साइकिलों के निर्यात के बदले निर्यात की गई प्रत्येक साइकिल पर ४० रू० की दर से आयात लाइसेंस दिये जाते हैं। इस में से निर्यात की गई प्रत्येक साइकिल के लिये ४ रु० के मूल्य के फ्रीव्हीलों और चेनों का आयात किया जा सकता है और शेष ३६ रु० का उपयोग कच्चे मालों और ऐसे विशेष हिस्सों के आयात के लिये किया जा सकता है जो देश में नहीं बनाये जा रहे हैं। निर्यात के १० प्रतिशत तक मूल्य के लाइसेन्सों का उपयोग बदलाव आदि के लिये मशीनों और मशीनों के हिस्सों के आयात के लिये किया जा सकता है।

(२) निर्यात की गई साइकिलों के आन्तरिक थोक मूल्य के १५ प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता साइकिल निर्माता संघ द्वारा संचालित एच्छिक पूल योजना के अधीन दी जाती है।

(३) साइकिलों के निर्यात पर आयात शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वापसी की भी अनुमति दी जाती है।

(४) रेलवे मंत्रालय ने उत्पादन के विशिष्ट केन्द्रों से निर्यात के बन्दरगाहों तक साइकिलों और उनके हिस्सों की ढुलाई में रेल-भाड़े में ५० प्रतिशत की कमी करना स्वीकार कर लिया है ।

(५) इनके अतिरिक्त प्रचार, बाजार सर्वेक्षण, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने, व्यापार संबंधी प्रतिनिधि मण्डल बाहर भेजने आदि के लिये सामान्य सुविधायें भी दी जाती हैं।

भारतीय साइकिलों की किस्म सुधारने के लिये अधिकांश बड़े निर्माताओं के पास यांत्रिकी और रसायनिक दोनों प्रकार के परीक्षण विभाग हैं जिनमें कच्चे माल और हिस्सों का परीक्षण भारतीय मानक संस्था के प्रतिमानों के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में भी इस उद्योग को सुविधायें मिली हुई हैं ।

खेल के सामान के कारखाने

६७०. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेल का सामान बनाने वाले कारखानों की संख्या और क्षमता में १९६१–६२ में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है, और

(ख) इन कारखानों को किन किन-देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) चूंकि खेल के सामान का (उद्योग विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन नहीं आता है, इस लिए खेल का सामान बनाने वाले कारखाने की स्थापना के लिये अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। संगठित क्षेत्र में उसका कोई भी कारखाना नहीं है। लघु उद्योगों के क्षेत्र में १९६१–६२ में उत्पादन क्षमता कुछ बढ़ी है।

(ख) इस उद्योग को नीचे लिखे देशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है :—

(१) सभी खेलों के सामान के लिये पाकिस्तान से ;

(२) बैडमिन्टन के रैकेटों के लिये जापान से ;

(३) फुटबालों और वालीबालों के लिये चीन से ;

(४) ब्लेडरों के लिये जर्मनी से; और

(५) शटल काकों के लिये थाइलैण्ड से।

खेल क सामान का उत्पादन

६७१. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में भारत में कितना खेल का सामान बना और उसका किन-किन देशों को कितना-कितना निर्यात किया गया ; और

(ख) खेल के सामान के निर्यात में भारत को किन-किन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है और इस प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिये सरकार ने खेल के सामान का निर्यात करने वालों को क्या सहायता दी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) खेल का सामान छोटे कारखानों में तैयार होने के कारण उत्पादन के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु खेल के सामान निर्यात संवर्धन परिषद् का अनुमान है कि १९६०–६१ में २ करोड़ रु० तथा १९६१–६२ में २½ करोड़ रु० के मूल्य का खेल का सामान बनाया गया। १९६०–६१ और १९६१–६२ में जिन महत्वपूर्ण देशों को खेल के सामान का निर्यात किया गया उनको बताने वाला एक विवरण साथ में नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७३]**

(ख) ब्रिटेन, पाकिस्तान, जापान तथा चीन प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रमुख देश हैं। इस प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिये सरकार ने एक विशेष निर्यात संवर्धन योजना चालू की है। इस योजना के अधीन खेल के सामान के निर्यातकों को निर्यात के एफ० ओ० बी० मूल्य के ३२½ प्रतिशत के खेल का सामान बनाने की सामग्री तथा पुर्जों के लिये आयात लाइसस दिये जाते हैं। निर्यातकों के लिये सहायता के रूप में ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और स्वीडन को खेल का सामान भेजने पर डाक द्वारा पार्सल की दरें भी घटा दी गई हैं।

कपड़े का निर्यात

†६७२. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच ह कि भारतीय सूची मिल संघ ने प्रत्येक निर्माता पर, अपने उत्पादन का कम से कम १२½ प्रतिशत माल निर्यात करने और सरकार द्वारा यह प्रतिबन्ध लगाये जाने को छोड़ने के लिये, जोर डालने का प्रस्ताव पास किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संसद् के समक्ष एक ऐसा विधान लाया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). यह ऐच्छिक प्रयत्न है। इस बारे में विधान बनाने का कोई प्रश्न नहीं है।

छोटे पैमाने के बैटरी उद्योग

†६७३. श्री वारियर :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप छोटे पैमाने के कई बैटरी उद्योग बन्द हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी, नहीं । उत्पादन–शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप किसी छोटे पैमाने के बैटरी उद्योग के बन्द होने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

नारियल का उत्पादन

†६७४. श्री वारियर :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि केरल में पिछले मौसम में नारियल के उत्पादन में ६० प्रतिशत की कमी हुई ; और

(ख) यदि हां, तो उपभोग और उद्योगों दोनों के लिये नारियल के तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिये नारियल के आयात में ढील देने के लिये क्या सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) वर्ष १९६०–६१ के मौसम में नारियल के उत्पादन की अपेक्षा वर्ष १९६१–६२ के मौसम में उत्पादन में लगभग २६ प्रतिशत की कमी हुई।

(ख) विदेशी मुद्रा की अत्यधिक कमी के कारण नारियल के आयात पर ढील देना संभव नहीं है।

निर्माण लागत में कमी सम्बन्धी समिति

†६७५. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मुरारका :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रा० शि० पाण्डेय :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माण लागत में कमी करने के लिये एक नयी समिति की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ग) निर्माण में लागत में कमी करने के लिये अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७४]**

नाटक मंडलियां

†६७६. **श्री वारियर :**
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १५ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १४८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में पुरस्कृत किये जाने वाली बारह नाटक मंडलियों में से किसी के साथ कोई संविदा किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

रबड़ बागानों के लिये मशीनों आदि का आयात

†६७७. **श्री अ० व०राघवन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२ में रबड़ बागानों में इस्तेमाल के लिये मशीनों, उपकरणों, और पुर्जों, फार्मिक एसिड और अन्य रसायनों के आयात के लिये कितने लाइसेंस दिये गये ;

(ख) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा निहित है ; और

(ग) लाइसेंस दिये जाने का क्या कोई आवेदन-पत्र सरकार के पास लम्बित पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों को मुआवजा

†६७८. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री उमा नाथ :
श्री प० कुन्हन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेडिकल बोर्ड, नेल्लोर द्वारा भूमिगत अभ्रक श्रमिकों को श्रमिक क्षति-पूर्ति अधिनियम के अधीन, इस आधार पर कि वे क्षय रोग से पीड़ित हैं और सिलिकोसिस से नहीं, सैक्त रुजा क्षतिपूर्ति देने से इन्कार कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सिलिकोसिस के रोगियों को अक्सर तपेदिक हो जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो अभ्रक खानों में एसे क्षय रोगियों को सरकार और क्या संरक्षण देगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) सरकार को ऐसे किसी मामले का पता नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) क्षय रोग के साथ और उसके ब्योरे वगैरह के लिये क्षतिपूर्ति दी जाती है । अतः जो सिलिकोसिस के उन रोगियों को जिनको तपेदिक भी हो जाती है क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था है ।

विस्थापित व्यक्ति

†६७९. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दावेदार विस्थापित व्यक्तियों की ओर से अलवर और भरतपुर जिलों के पुरुषार्थी किसान कान्फ्रेंस से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अपने आपको गैर-दावेदार विस्थापित व्यक्ति घोषित किये जाने के लिये अपने दावे समाप्त कर देने की इच्छा भी व्यक्त की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह प्रस्ताव मान लिया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं ।

चीनी मजूरी बोर्ड

†६८०. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिश क्रियान्वित की गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने कारखानों में ; और

(ग) ये अंशतः क्रियान्वित की गयी हैं : या पूर्णतः ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश में ११ कारखानों में से १० ने सिफारिशों को पूर्णतः क्रियान्वित किया है। बाकी एक कारखाने में सिफारिशें क्रियान्वित करने के लिये पक्षों में बातचीत चल रही है ।

शिमला नगरपालिका को देय कर

†६८१. **श्री हेम राज** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला नगर निगम ने केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर नगरपालिका करों के भुगतान के लिये सरकार को अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) इन करों के लिये शिमला नगरपालिका को कानूनी तौर पर कितनी धन राशि दी जानी है ; और

(ग) सरकार शिमला नगरपालिका को करों के बदले धन देगी या असैनिक सुविधाओं के लिये अनुदान देगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). पंजाब के निष्क्रांत सम्पति के कस्टोडियन को शिमला नगरपालिका से निष्क्रान्त सम्पति पर नगरपालिका करों के बारे में २ लाख रुपये के भुगतान की मांग प्राप्त हुई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्जित किये जाने के बाद इन सम्पतियों पर स्थानीय कर नहीं लगता परन्तु अर्जन से पूर्व की अवधि के लिये कस्टोडियन को बकाया करों का भुगतान करना होगा। ऐसी बकाया रकम की मात्रा लगभग ५०,००० रुपये है। भुगतान से पूर्व ब्यौरे की जांच की जाती है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रपति भवन, शिमला

†६८२. **श्री हेम राज :**
श्री प्र० के० देव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री माते :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला में राष्ट्रपति भवन का किस रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इसकी स्थायी उपयोगिता के लिये कोई योजना बनाई गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) शिमला में राष्ट्रपति निवास को राष्ट्रपति के, जब कभी वह शिमला जाते हैं, इस्तेमाल के लिये रखा जा रहा है।

(ख) जी, अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति

†६८३. { **श्री मुरारका :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **योजना** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि जिस में यह बताया गया हो कि :

(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्यों की क्रियान्विति ;

(२) लक्ष्य पूरा करने में कमी के कारण ; और

(३) विभिन्न परियोजनाओं पर लक्षित रकम के विरुद्ध वास्तव में खर्च की गयी रकम ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (१) से (३) कुछ जानकारी तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रतिवेदन में दी गयी है। बाकी जानकारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पुनर्विलोकन सम्बन्धी कागजात में दी जायेगी जो तैयार किये जा रहे हैं और शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा।

अखबारी कागज

†६८४. { **श्री दशरथ देव :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और पूर्वी सामाचार पत्र सोसायटी से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में अखबारी कागज के संभरण में कटौती के प्रस्ताव को हटाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वर्तमान विदेशी मुद्रा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समचे मामले का पुनर्विलोकन करने के बाद यह निर्णय किया गया कि अखबारी कागज के उन वास्तविक उपभोक्ताओं को जिनकी वार्षिक आवश्यकता २०० टन और १००० टन के बीच है और उनको जिनकी उस से अधिक आवश्यकता है क्रमश: ५ प्रतिशत और ७ ½ प्रतिशत की कमी की जाये ।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रलेखीय चलचित्रों का प्रदर्शन

†६८५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय समाचार चित्र और अन्य प्रलेखीय चलचित्र प्रदर्शित करने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : फिल्म डिवीजन का साप्ताहिक समाचार-चित्र "भारतीय समाचार चित्र" और प्रलेखीय चल-चित्र चलते-फिरते छवि-गृहों समेत सिनेमाओं और केन्द्रीय और राज्य सरकार की चलती-फिरती गाड़ियों में दिखाये जा रहे हैं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट

६८६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). दूसरी पंचवर्षीय योजना की समीक्षा अगस्त १९६२ में प्रकाशित करने का विचार था लेकिन कुछ सम्बन्धित प्राधिकारियों से ठीक समय पर वांछित सूचना न मिलने के कारण इसके प्रकाशन में देर हो गई है । फिर भी इसे शीघ्र प्रकाशित करने की कोशिश की जा रही है ।

केन्द्रीय सरकार के उपक्रम

†६८७. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **योजना** मंत्री १ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों द्वारा अंशदान द्वारा एकत्रित की गयी ३०० करोड़ रुपये के ब्यौरेवार आंकड़े (उपक्रम-वार) क्या हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : १ जून, १९६२ को तारांकित प्रश्न संख्या १२२४ के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताई गई तृतीय योजना-काल में सरकारी उपक्रमों की फालतू राशि का अनुमान परियोजना-गत विनियोजन और उत्पादन-स्तर को ध्यान में रख कर समूचे आधार पर किया गया है । उस समय परियोजनावार या उपक्रमवार प्राक्कलन निकालना संभव नहीं था । इन परिस्थितियों में उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में दी जा चुकी जानकारी के अतिरिक्त कोई और जानकारी देना संभव नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खनिकों के लिये जूते

†६८८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खान कल्याण बोर्ड द्वारा कोयलाखनिकों को दिये गये जूते खराब किस्म के निकले हैं ;

(ख) क्या इस एक जोड़े जूते का मूल्य २२ रुपय है और यह लगभग छः महीने भी नहीं चला है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस हानि के उत्तरदायित्व की जांच की गयी है और उचित कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) कोयला खनिकों को जूते कोयला खनिकों के लिये संयुक्त क्रम मंत्रणा समिति के साथ एक ठेका करार के अनुसार जूता निर्माताओं की एक फर्म द्वारा संभरित किये जाते हैं। जूतों के रबड़ के तलों के टिकाऊपन के बारे में कुछ शिकयतें मिली हैं ।

(ख) और (ग). बूटों का मूल्य २२.२५ रूपये प्रति जोड़ा है और जूतों का २०.२५ रुपये प्रति जोड़ा है। रबड़ के तलों के टिकाऊपन के बारे में शिकायतों पर ध्यान दिया जा रहा है ।

जम्मू तथा काश्मीर में श्रमिक नियमों का लागू किया जाना

६९०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या पंजाब, हिमाचल और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों की परिवहन श्रमिक फेडरेशन के आठवें वार्षिक सम्मेलन में पंजाब तथा अन्य राज्यों में लागू श्रमिक नियमों को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू करने की मांग की गयी है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : जी, हां। जम्मू तथा काश्मीर सरकार से फेडरेशन ने अनुरोध किया है कि अन्य राज्यों की तरह उस राज्य में भी सभी श्रमिक नियम लागू किये जायें ।

व्यापार तथा पण्य अधिनियम

†६९१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को व्यापार तथा पण्य अधिनियम, १९५८ में संशोधन करने और उल्लंघन करने वालों को पकड़ने अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार के व्यापार चिन्हों के प्रमाणीकरण पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाने का सुझाव दिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : जी, हां। इस बारे में केवल उत्तर प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल का उद्योगीकरण

†६९२. श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि अखिल भारतीय निर्माता संगठन के प्रतिनिधियों के एक दल ने केरल के उद्योगीकरण के भविष्य और संभावनाओं का पता लगाने के लिये हाल में केरल राज्य का दौरा किया है ;

(ख) क्या इस दल ने राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार को अखिल भारतीय निर्माता संगठन के औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल द्वारा केरल की राज्य सरकार के आमंत्रण पर किये गये राज्य के दौरे के बाद प्रस्तुत किये गये ज्ञापन की प्रति प्राप्त हो गई है। केरल सरकार इस प्रतिवेदन पर अवश्य विचार करेगी और उस पर उचित कार्यवाही करेगी।

कास पहाड़े से कागज बनाना

६९३. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसी नदी द्वारा जलमग्न क्षेत्र में पैदा होने वाली एक विशेष प्रकार की जंगली घास —कास पहाड़े —से बढ़िया किस्म का कागज तैयार करने का प्रयोग सफल रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोसी बन्धों के बीच की भूमि इस जंगली घास के उगने के कारण बंजर पड़ी हुई है और वह किसानों के लिये लाभप्रद खेत नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों के लाभ के लिये कास पहाड़े घास से कागज़ बनाने का कारखाना कोसी क्षेत्र के निकट लगाने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतीय पत्तन और गोदी श्रमिक

६९४. **श्री प्र० के० देव** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व रेलवे के लिये स्टीमरों से कोयला उतारने के सवाल पर बम्बई में अखिल भारतीय पत्तन और गोदी श्रमिकों और प्राधिकारियों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हुआ था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) यह कैसे समाप्त हुआ ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी): (क) पश्चिमी रेल प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त मौजूदा कोयला उतरवाने वाली ठेकेदार कम्पनी मेसर्स नवभारत कारपोरेशन और कोयला उतारने व चढ़ाने वाले कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रांसपोर्ट और डौक वर्कर्स यनियन के बीच विवाद हुआ था ।

(ख) यह शिकायत थी कि कम्पनी उन कर्मचारियों को काम पर रखने से इन्कार करती है जो पहले के ठेकेदार के अधीन काम करते थे ।

(ग) समझौता अधिकारी के जरिये मामला आपस में तय हो गया है ।

गोआ में न्यायालय

†६९५. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोआ के न्यायालयों में भारतीय कानून और प्रक्रिया लागू करने की व्यवस्था कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्यवाही कब पूरी हो जायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). सरकार गोआ के न्यायालयों में भारतीय कानून और प्रक्रिया लागू करने हेतु एक विनियम प्रख्यापित करने के लिये कदम उठा रही है ।

दिल्ली में हाथ से बुनाई करने वाले एकक

†६९६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कताई मिलों द्वारा ऊन का सम्भरण न किये जाने के फलस्वरूप दिल्ली में हाथ से बुनाई करने वाले एककों को कठिनाई हो रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन एककों को ऊन का संभरण सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद्

†६९७. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या इंजीनियरिंग निर्यात सम्वर्द्धन परिषद् के व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने, जिसने लैटिन अमरीका के देशों का भ्रमण किया था, अपने प्रतिवेदन में सरकार से सिफारिश की है कि वह विश्व बक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम और विकास राज्य निधि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से सम्पर्क स्थापित करे ताकि लैटिन अमरीका के देशों को उपलब्ध सहायता का कुछ हिस्सा भारत से निर्मित पूंजी और उत्पादक वस्तुओं की खरीद के लिये काम में लाया जा सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जी, हां।

उत्तरी कोरिया के साथ व्यापार करार

†६९८. **महाराज कुमार विजय आनन्द** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और उत्तरी कोरिया के बीच कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य पहलू क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :

(क) जी, नहीं। पहले जो करार किया गया था उसकी अवधि ३१ दिसम्बर, १९६३ तक बढ़ा दी गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मदुरै में कपड़ा मिलें

†६९९. { **श्री राम रतन गुप्त** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै में जुलाई, १९६२ में बिजली के संकट के कारण सूती कपड़ा मिलें बन्द कर देना पड़ी थीं; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार का संकट उत्पन्न न हो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रेट ब्रिटेन के लिये पासपोर्ट

†७००. **श्री साधू राम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) १ जुलाई, १९६१ से ३० जून, १९६२ तक कितने व्यक्तियों ने ग्रेट ब्रिटेन के लिये पासपोर्ट प्राप्त करने के हेतु आवेदन किये ;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को पासपोर्ट दिये गये ;

(ग) ग्रेट ब्रिटेन के लिये पासपोर्ट हेतु किये गये कितने आवेदन विभिन्न प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयों में अब भी लम्बित हैं ; और

(घ) जून, १९६२ के महीने में प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली को ग्रेट ब्रिटेन के लिये पासपोर्ट के कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा इस महीने में कितने पासपोर्ट दिये गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) ३४,०७६ आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) ३०,२५१ पासपोर्ट दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १,३७९ ।

(घ) (१) २,३४४ आवेदन प्राप्त हुए ; और

(२) १,७१२ पासपोर्ट दिये गये ।

वस्तुओं के मूल्य

†७०१. **श्री साधू राम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार के विचाराधीन कोई उपाय है जिससे कि दूकानदारों द्वारा बेची जाने वाली सभी वस्तुओं के मूल्य प्रदर्शित किये जा सकें ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : व्यापार मण्डल की एक उप-समिति इस मामले की जांच कर रही है ।

मजदूर संघ

†७०२. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि विधिवत् मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संहिताबद्ध किये जाने की मांग की जा रही है और इस सम्बन्ध में सभी वर्गों के मजदूर संघों ने बार-बार अभ्यावेदन किये हैं ;

(ख) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ;

(ग) क्या भारत मजदूर संघ अधिनियम में संशोधन करने का इरादा है या कि त्रिपक्षीय स्वीकृत अभिसंकेत के जरिये इस लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा ;

(घ) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम में इस प्रकार संशोधन करने का इरादा है कि वे संघ, जिन्हें मान्यता नहीं दी गयी, ऐसे करार या निर्णय को चुनौती न दे सकें जो किसी मान्यता प्राप्त संघ की प्रारम्भिक कार्यवाही के आधार पर किया गया हो ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). मान्यता प्राप्त मजदूर संघों को कुछ अधिकार देने के प्रश्न पर गत सप्ताह भारतीय श्रमिक सम्मेलन में विचार किया गया था और कुछ निर्णय किये गये हैं । भारतीय मजदूर संघ अधिनियम में संशोधन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारत पाक सम्मेलन

†७०३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग दो साल के बाद आसाम, पश्चिम बंगाल और पूर्व पाकिस्तान के मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन ढाका में अगस्त, १९६२ के पहले सप्ताह में हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन में की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियां

†७०४. श्री मुहम्मद ताहिर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में हुई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियों और मेलों में भारत ने किन-किन देशों में भाग लिया ; और

(ख) इससे क्या लाभ हुआ और इनमें भाग लेने पर कितना धन खर्च किया गया ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) (क) अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, पूर्व जर्मनी, इथोपिया, इटली, जार्डन, मलाया मोरक्को, पोलैण्ड, सिंगापुर, सोमालिया, सीरिया, अमेरिका और युगोस्लाविया ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि भारत की निर्यात योग्य वस्तुओं का विश्व के बाजार में प्रचार हुआ । ऐसे मेलों में भाग लेने से हमें अपनी वस्तुओं की किस्म और मूल्यों की तुलना अन्य देशों की वस्तुओं की किस्म और मूल्यों से कर सकते हैं और हमारी वस्तुएं अधिक प्रतियोगी बनाने के उपाय खोज सकते हैं । प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने से होने वाले लाभ का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह तो आने वाले वर्षों में जो व्यापार बढ़ेगा उससे ही पता लग सकता है । किन्तु व्यापार के बारे में हाल में, जिस तरह की और जितनी पूछताछ की गई है उससे पता चलता है कि विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है ।

श्रमिक अधिनियमों में संशोधन

†७०५. श्री प्रिय गुप्त : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम और कारखाना अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो संशोधन क्यों किया जा रहा है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य संशोधन निम्नलिखित कारणों से किये जा रहे हैं :—

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम : प्रतिकर की जो वर्तमान दरें हैं वे लड़ाई से पहले निर्धारित की गई थीं और अब उनमें संशोधन आवश्यक हो गया है । अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी की सीमा ४०० से बढ़ा कर ५०० रुपये करने का भी प्रस्ताव है । इस मजूरी सीमा के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिये प्रतिकर की उचित दरें निहित की जायेंगी ।

मजूरी भुगतान अधिनियम: अधिनियम के कार्यकरण के आधार पर उसमें कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया है । इन संशोधनों के जरिये प्रत्याभति बन्धपत्र की किश्तों की राशि काट

†मूल अंग्रेजी में

लेने का अधिकार, अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये अधिक कड़ा दण्ड, दावे प्रस्तुत करने के लिये विहित अवधि बढ़ाना आदि बातों का उपबन्ध प्रस्तावित है।

कारखाना अधिनियम : दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये राज्य सरकारें उचित कार्यवाही कर सकें और सुरक्षा के अधिक अच्छे मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिये श्रम मन्त्री सम्मेलन तथा अन्य सम्मेलनों की भी सिफारिशों के अनुसार कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया है। साथ ही अधिनियम के कार्य में आने वाली कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिये अन्य संशोधन भी किये जायेंगे।

आजाद मार्केट, दिल्ली

†७०६. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजाद मार्केट में सरकार द्वारा बनाये गये ३० दूकानों के पूरे ब्लाक के गिरने का खतरा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस ब्लाक की पहली मंज़िल की छतों और दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी, नहीं।

(ख) केवल ४ दूकानों में दरारें पड़ गई हैं जिनकी मरम्मत की जा सकती है। छतों में कोई दरारें नहीं हैं। ये ब्लाक एक मंज़िला वाले हैं।

(ग) ये सभी दूकानें----------को दे दी गयी हैं और अब वे उनकी मरम्मत और रखरखाव के लिये जिम्मेदार हैं।

कोयले और परिवहन का अभाव

†७०७ **श्री रा० बरुआ :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १९ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां दूर करने, कोयले के संभरण और परिवहन क्षमता बढ़ाने के बारे में फेडरेशन आव इंडियन चेम्बर्स आव कामर्स एन्ड इन्डस्ट्री की सिफारिशों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख) सरकार ने देश के सभी भागों में कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(१) बंगाल–बिहार कोयला-क्षेत्रों से कोयला ले जाने के लिये जुलाई, १९६२ से अतिरिक्त वैगनों की व्यवस्था ;

(२) रेल और समुद्र के रास्ते १० लाख टन अतिरिक्त कोयले का परिवहन ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) कोयले के ढेरों का निर्माण ;

(४) भारी किस्म की वैगनों के ब्लाक रेक में कोयले का परिवहन ;

(५) बंगाल बिहार कोयला-क्षेत्रों से कोयले का परिवहन न करना पड़े इसके लिये मध्य भारत के कोयला-क्षेत्रों में उत्पादन में यथाशक्य वृद्धि ;

(६) रविवार तथा छुट्टी के दिनों वैगनों में कोयले के लदान ; और

(७) उत्तर भारत में पास के स्थानों को कुछ कोयला नदी के ज़रिये और कुछ कोयला सड़क परिवहन द्वारा भेजना ताकि दूरस्थ उपभोक्ताओं के लिये वैगन उपलब्ध किये जा सकें ।

भारत-पाक पुलिस द्वारा एक दूसरे पर गोली चलाया जाना

†७०८. **श्री हेम बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में चार देवनापुर के निकट पश्चिम बंगाल पुलिस तथा पूर्व पाकिस्तान पुलिस के बीच गोलाबारी हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां ।

(ख) २२ जुलाई, १९६२ को पाकिस्तानी राष्ट्रजन चार देवनापुर के निकट पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमा से एक सहायक सब इन्स्पेक्टर तथा नेशनल वालंटियर फोर्स के एक सदस्या को पूर्व पाकिस्तान राइफल्ज़ के दो सदस्यों की सहायता से भगा ले गये । इस घटना की सूचन पाते ही हमारी सीमा चौकी का एक हवलदार पाकिस्तान सीमा पुलिस के साथ शान्तिपूर्ण सम्पर्क सम्बन्धी नियमों के अनुसार झंडा दिखाते हुए घटना-स्थल की ओर गया । किन्तु, पाकिस्तान के सशस्त्र सैनिकों ने एकदम गोली चला दी । हमारे सीमा कर्मचारियों के पास अपने बचाव के लिये गोलियां चलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था । यह गोलाबारी दस मिनट तक चलती रही । हमारे कर्मचारियों में से कोई हताहत नहीं हुआ ।

गोआ, दमन और दीव में आयातकर्ता

†७०९. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां तक गोआ, दमन और दीव का सम्बन्ध है, पुराने आयातकर्ताओं को आयात नीति में कुछ रियायतें दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वे रियायतें क्या हैं और उनके देने के मूल कारण क्या हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) कुछ किस्म के कपड़े, शराब, आदि जिन का आयात भारत में निषिद्ध है, गोआ, दमन और दीव में पुराने आयातकों को आयात करने दी जाती हैं । ये रियायत इसलिए दी गई है कि इन चीज़ों को गोआ, दमन और दीव के लिए विशेष आर्थिक महत्व की हैं और पुराने व्यापारियों को बदलती हुई स्थितियों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है ।

जोधपुर में रेडियो स्टेशन

†७१०. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर में रेडियो स्टेशन बनाने के प्रबन्ध कब पूरे किये जाने का विचार है ;

(ख) इस स्टेशन को चलाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) विविध भारती कार्यक्रमों को रिले करने के लिए जोधपुर मे १९६३–६४ तक एक १ किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमिटर तथा सम्बद्ध प्राप्ति केन्द्र स्थापित किया जायेगा । यह पूरा रेडियो स्टेशन नहीं होगा ।

(ख) योजना को कार्यान्वित करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ ।

आयात किये गये रेशम का मूल्य

†७११. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि आयात रेशम का मूल्य बढ़ाया जाये या भारतीय रेशम लागत मूल्य पर खरीदा जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) भारतीय रेशम का उत्पादन मूल्य अधिक क्यों है ;

(घ) इस मामले में केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सिफ़ारिशें क्या हैं ।

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार की नीति को स्पष्ट करने वाला एक विस्तृत विवरण पटल पर रखा जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क), (ख), (घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है । कच्चे रेशम का आयात १९५५ से सरकार द्वारा अनुमोदित अभिकरण द्वारा होता है । इस समय आयात का भारत के राज्य व्यापार निगम लि० द्वारा प्रबन्ध किया जाता है और इसका वितरण केन्द्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा होता है । कच्चा रेशम समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर दिया जाता है, जब कि देशी रेशम सामान्य व्यापार अभिकरणों द्वारा बेचा जाता है । मैसूर सरकार ने भारत सरकार को कहा है कि वह अपना रेशम लाभप्रद दरों पर नहीं बेच सकती और उसे इसको उत्पादन व्यय से कम मूल्यों पर बेचना पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

निर्यात बढ़ाने के लिए और आयात कच्चे रेशम के क्रय की वर्तमान प्रणाली की त्रुटि को दूर करने के लिए और निर्यातवर्धक योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने कच्चे और आयात रेशम के वितरण और रेशमी कपड़े के निर्यात के लिए एक संयोजित योजना बनाई है ।

प्रारूप योजना मैसूर और काश्मीर सरकारों के परामर्श से भारत सरकार के विचाराधीन है । योजना अन्तिम रूप से तैयार होने पर इसकी एक प्रति लोक-सभा के पुस्तकालय में रखी जायेगी ।

(घ) देशी रेशम के अधिक मूल्य इसलिए है कि देशी कोये घटिया किस्म के होते हैं इन को सुधारने और उत्पादन व्यय कम करने का हर प्रयत्न किया जा रहा है ।

कोठागुडियम में कोयला खान भविष्य निधि का उप-कार्यालय

†७१२. **डा० उ० मिश्र :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोठागुडियम पर कोयला खान भविष्य निधि का उपकार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया गया है ; और

(ग) क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) से (ग). कोयला खान भविष्य निधि के सुचारू प्रशासन के लिए दो प्रादेशिक कार्यालय एक आंध्र प्रदेश में कोठागुडियम पर और दूसरा मध्य प्रदेश में (पैंच घाटी कोलया खान) पर स्थापित किये जा रहे हैं । सहायक आयुक्त के दो अतिरिक्त पद मंजूर किये गये हैं और प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय का प्रभारी एक सहायक आयुक्त होगा, जो कि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त धनबाद के नियन्त्रण के अधीन काम करेगा ।

सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी

†७१३. **डा० उ० मिश्र :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी के लिए संशोधित स्थायी आदेशों के आधार पर स्थायी आदेशों को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस विषय में प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों ने सुझाव दिया है कि कोयला खान उद्योग सम्बन्धी आदर्श स्थायी आदेशों में कुछ संशोधन किये जायें । नियोजक इसके परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । श्रमिक संघों की ओर से स्थाई आदेशों को संशोधित कराने के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रादेशिक श्रम आयुक्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं कर सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंगारेनी कोयला खान

†७१४. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगारेनी कोयला खान कम्पनी के प्रबन्धकों ने श्रमिक संघ के साथ इस समझौते का उल्लंघन किया है, कि गोरखपुरी श्रमिकों की और भरती नहीं होगी ।

(ख) क्या प्रबन्धकों ने उन गोरखपुरी श्रमिकों को जो स्थाई होना चाहते थे, स्थाई करने से इन्कार किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह निर्णय त्रिपक्षीय और औद्योगिक समिति के निर्णयों का उल्लंघन है ; और

(घ) इस विषय में मंत्रालय का क्रियान्वयन और मूल्यांकन विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ और इसके उल्लंघन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) जी नहीं, ४ गोरखपुरी श्रमिकों ने स्थाईकरण की प्रार्थना की थी और यह प्रबन्धकों के विचाराधीन है ।

(ग) और (घ). उत्पन्न नहीं होते ।

साइकल उद्योग

†७१५. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को साइकिल पुर्जों के छोटे पैमाने के निर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें शिकायत की गई है कि सरकार की वर्तमान लाइसेंस नीति से छोटे निर्माताओं को बड़े कारखानों से अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह सुझाव दिया गया है कि कुछ पुर्जे केवल उन छोटे कारखानों द्वारा बनाये जायें, जिन्हें उनका विशेष ज्ञान है ;

(ग) क्या यह भी शिकायत की गई है कि कच्चे माल के सम्भरण आयात और निर्यात के मामले में छोटे पैमाने के उद्योग को उचित और न्यायपूर्ण सुविधायें नहीं दी जातीं ; और

(घ) क्या सरकार छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के उद्योगों में उपयुक्त समन्वय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार को उत्तरी भारत साइकिल पुर्जा निर्माता संघ, जालन्धर से पंजाब के मुख्य मंत्री को दिये गये एक ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त हुई है । उसमें किये गये सुझावों पर विचार किया

---

†मूल अंग्रेजी में

जा रहा है । छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों को सुविधाएं देने के मामले में विभेद के कोई मामले सरकार के ध्यान में नहीं लाये गये ।

काफी का निर्यात

†७१६. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफ़ी का निर्यात पिछले वर्ष कम होगया था; और

(ख) इसको बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

श्रम अनुसंधान के लिये केन्द्रीय संस्था

†७१७. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या श्रम और रोज़गार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) श्रम अनुसंधान के लिए केन्द्रीय संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या स्थान चुन लिया गया है ; और

(ग) कितनी राशि खर्च की जायगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) श्रम अनुसंधान के लिए केन्द्रीय संस्था को संस्था पंजीयन अधिनियम (१८३० का २१) के अन्तर्गत रजिस्टर किया गया है ।

(ख) विचार है कि संस्था को केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई के स्थान पर, जो कि बन रहा है बनाया जाये और इस प्रयोजन के लिए एक अतिरिक्त मंजिल बनाई जायेगी ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में १४ लाख रुपये ।

उल्टाडांगा कलकत्ता में शरणार्थी मंडी

७१८. **डा० रानेन सेन :**
दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को उलटाडांगा, कलकत्ता में शरणार्थियों के लिए एक मंडी बनाने के लिए कोई अनुदान या ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका निर्माण किस अवस्था में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) इस प्रयोजन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के लिए ४,७७,१०० रुपये का ऋण मंजूर किया गया है ।

(ख) निर्माण कार्य राज्य सरकार शीघ्र आरम्भ कर देगी ।

पाकिस्तान में छोड़े गये पवित्र धर्मस्थान

†७१९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** २४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में छोड़े गये पवित्र धर्मस्थानों के बारे में आगे कोई निर्णय हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका कारण ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ). जी नहीं । भारत-पाक धर्म-स्थान सम्बन्धी संयुक्त समिति की दूसरी बैठक अभी नहीं हुई । फरवरी, १९६२ में हमने जो निमंत्रण भेजा था, पाकिस्तान सरकार ने उसका अभी उत्तर नहीं दिया ।

नकली रूई[1] के कारखाने

†७२०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में रूई की कमी को दूर करने के लिए नकली रूई के कारखाने स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : दो कारखाने जिनकी कुल क्षमता ५६० लाख पौंड है नकली रूई बना रहे हैं । अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

आसाम में चाय नीलाम मंडी

†७२१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में एक चाय नीलामी मंडी स्थापित करने के प्रश्न पर निर्णय कर लिया ग या है ; और

(ख) तो उस निर्णय के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Staple Fibre

चाय का उत्पादन

†७२२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी भारत में जून में चाय का उत्पादन कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह इस क्षेत्र के पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में कितना है ;

(ग) क्या यह कमी कुछ विशेष कारणों से हुई है और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जून, १९६२ में उत्तर-पूर्वी भारत में चाय का उत्पादन २९५ लाख किलोग्राम था और जून १९६१ में ३१५ लाख किलोग्राम था। इसलिए उत्पादन में २० लाख किलोग्राम की कमी हुई है।

(ग) यह कमी आसाम घाटी और कचार में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण हुई है।

चाय बागान का विकास

†७२३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छे चाय बागानों को बढ़ा कर और अलाभप्रद बागानों को बन्द कर के चाय बागानों को विकसित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो (१) उत्तर पूर्वी भारत में और (२) देश के अन्य भागों में कितने छोटे बागानों को बढ़ाया जाना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशों में भारतीय मिशन

७२४. **श्री उटिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कितने विदेशी दूतावासों में हिन्दी और उस देश की राष्ट्र भाषा के दुभाषियों की नियुक्ति की गई है ; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत हिन्दी में पत्र-व्यवहार करता है और किन-किन देशों के साथ अंग्रेजी में ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) विदेश स्थित हमारे मिशनों में कोई हिन्दी दुभाषिये नहीं हैं। जिन देशों में अंग्रेजी राज भाषा नहीं है, वहां उस देश की राष्ट्र भाषा के दुभाषिये सुलभ हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विदेशों के साथ अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार किया जाता है। बहरहाल, विदेशों की सरकारों को नीचे लिखे पत्र हिन्दी में पेश किये जाते हैं और उनका अंग्रेजी अनुवाद साथ दिया जाता है :

नियुक्ति समादेश	(कमीशन आफ़ एपाइंटमेंट)
विश्वास पत्र	(लेटर्स आफ क्रीडेंस)
प्रत्यावहन पत्र	(लेटर्स आफ़ रिकाल)
परिचय पत्र	(लेटर्स आफ़ इन्ट्रोडक्शन)
प्रशंसा पत्र	(लेटर्स आफ़ रिक्रियान्स)
मान्यता पत्र	(एग्जीक्वेटर्स)

जम्मू और काश्मीर में भारत-पाक सीमान्त पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

†७२५. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ जुलाई, १९६२ को जम्मू के चम्ब क्षेत्र में पाकिस्तानी सशस्त्र सैनिकों और नागरिकों और भारतीय सीमान्त पुलिस और ग्रामीणों के बीच एक दूसरे पर गोली चलाई गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसका कारण; और

(ग) दोनों तरफ कितने हताहत हुए ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, नहीं

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

पश्चिम बंगाल–पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा खाइयां खोदे जाने का कथित समाचार

†**श्री यशपाल सिंह** (कैराना) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा पश्चिमी बंगाल-पाकिस्तान सीमान्त के साथ-साथ खाइयों की खुदाई की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें ।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** १३ अगस्त, १९६२ को पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना से इस खबर की पुष्टि हुई है कि सीमान्त से लगभग १५ गज दूर भारत के मधूपुर तथा हरिपुर गाँव के सामने पाकिस्तान सीमान्त की जदरपुर चौकी के पास

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ खाइयाँ खोदी गई हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार को इन खाइयों के खोदे जाने की सूचना ६ अगस्त, १९६२ को प्राप्त हुई थी। ९ अगस्त को पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की सरकार से विरोध प्रकट किया था और उन से कहा था कि यह कार्यवाही भूमि-नियमों का उल्लंघन है और खिचाव को बढ़ाने वाली हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने फोन पर यह भी कहा है कि डी० आई० जी० (सीमान्त पुलिस) अन्य तथ्य इकट्ठा करने का प्रयत्न कर रहा है और कड़ा पहरा रखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार के पास और कोई जानकारी नहीं है।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि वैस्ट बंगाल सरकार उस वक्त क्या कर रही थी, जब यह खाइयाँ तैयार की जा रही थीं और इस बारे में सैंट्रल गवर्नमेंट ने कहाँ इन्टरवीन किया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : ये जो ट्रैंचिज़ खोदी गई हैं, ये पाकिस्तान में हैं—ये हिन्दुस्तान में नहीं हैं। ये बार्डर के उस पार हैं। हमें जो ऐतराज़ है, वह यह है कि उन्होंने इन ट्रैंचिज़ को बार्डर के इतने पास खोदा है कि जो हमारे समझौते के, जिसे ग्राउंड रूल्ज़ कहते हैं, कुछ खिलाफ़ पड़ता है। इसलिए यह नामुनासिब है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जैसा कि अभी प्रधान मंत्री जी ने संकेत दिया है, भारत और पाकिस्तान में समझौते के अन्तर्गत जो ग्राउंड रूल्ज़ तय किये गये थे, ऐसा करना उन ग्राउंड रूल्ज़ का उल्लंघन करना है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई विरोध-पत्र भेजा गया है ? यदि हाँ, तो पाकिस्तान की ओर स उस का क्या उत्तर आया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: अभी कहा गया है कि विरोध-पत्र भेजा गया है। ग्राउंड रूल्ज़ में कोई यह नहीं लिखा गया है कि कोई ट्रैंचिज़ न खोदी जायें। यह लिखा है कि सरहद के करीब कोई ऐसी बात न की जाये, जिस से लोगों को फ़िक्र और परेशानी हो। यह आम कायदा है। हम समझते हैं कि यह नामुनासिब है कि सरहद के थोड़ी दूर उस पार अपनी तरफ़ भी वे ट्रैंचिज़ खोदें। हम ने इस बारे में विरोधपत्र भेजा है।

†**श्री बीनेन भट्टाचार्य** (सीरामपुर) : क्या यह सच है कि यह खाइयाँ इसलिए खोदी जा ही हैं कि पूर्व पाकिस्तान के लोगों का ध्यान प्रजातंत्र के आंदोलन से हटाया जा सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अपनी अपनी राय का मामला है।

†**श्री ह० प० चटर्जी** (नवद्वीप) : क्या यह सच नहीं है कि सीमान्त के इस ओर लोग अपने को और अपनी सम्पत्ति को सुरक्षित नहीं समझते; क्या वजह है कि सेना इस ओर नियुक्त नहीं की जाती ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सेना और पुलिस तो चारों ओर है। किन्तु खाइयों के खोद जाने के कारण किसी को कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये।

काशीपुर के निकट एक बस और मालगाड़ी की टक्कर

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम, १९७ के अन्तर्गत रेल मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :—

> "उत्तर प्रदेश के नैनीताल ज़िल में काशीपुर के समीप राजकीय परिवहन विभाग की एक गाड़ी की मालगाड़ी से टक्कर और फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु और कई व्यक्तियों का घायल होना।"

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : श्री मणिराम बागड़ी के ध्यान-आकर्षण नोटिस (काल अटेन्शन नोटिस) के सम्बन्ध में मुझे सदन को यह सूचित करन है कि ९-८-६२ को दिन में लगभग १० बज कर २२ मिनट पर जब १३० डाउन सवारी गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे की काशीपुर–लालकुंआ शाखा लाइन पर काशी पुर और सरकरा स्टेशन के बीच जा रही थी, यु० पी० रोडवेज़ की एक बस से टकरा गई । उस समपार पर चौकीदार नहीं रखा गया है ।

इस टक्कर के कारण बस का ड्राइवर तुरन्त मर गया और बस में सवार आठ मुसाफिरों को मामूली चोटें आयीं । ज़ख्मियों की उसी जगह पर मरहमपट्टी की गयी और उन्हें जाने दिया गया । रेल गाड़ी के किसी मुसाफ़िर या रेल कर्मचारी को कोई चोट नहीं आयी ।

श्री बागड़ी : क्या रेल मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि नित्य नये ये जो एक्सिडें होते हैं, उन को दृष्टि में रखते हुए वह श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कायम की हुई प्रथा के मुताबिक अमल करेंगे कि एक्सिडेंट की बिना पर अपना इस्तीफ़ा दे दिया जाये? क्या कर्नल साहब भी ऐसा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य इस मामले के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं ?—पेपर्ज़ टु वि लेड आन दि टेबल ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन का ऐसा विचार है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसा विचार होता, तो वह माननीय सदस्य के सामने आ जाता । पपर्ज़ टू बि लेड आन दि टेबल । दि प्राइम मिनिस्टर ।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ़ आर्डर । मैं आप से अर्ज करूंगा कि लद्दाख की सरहदों के बारे में बहस के लिए वक्त रखते हुए यह बात रखी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया जायगा । बार-बार तो ऐसे मसलों पर सदन में विचार नहीं किया जाता है । सदन के सामने यह एक अहम मसला है और अभी इस पर पूरी तरह से विचार नहीं हुआ है ।

मैं आप से अर्ज करूंगा कि इससे पहले कि प्रधान मंत्री जी जवाब देने के लिए खडे हों आप इस पर बहस के लिए कुछ समय और दें ताकि इस पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें प्वाइंट आफ आर्डर की कोई बात नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री रामेश्वरानन्द : प्रश्न आज का है और आज ही आने नहीं दे रहे . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं और इजाजत नहीं दे सकता हूं आप बैठ जाये यों ही हाउस का वक्त नहीं गंवाना चाहिये ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय सांख्यकीय संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं वर्ष १९६०–६१ के लिए भारतीय सांख्यकीय संस्था, कलकत्ता के प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३१९/६२]

अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : मैं अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ४ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० ओ० २४४४ की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२०/६२]

निर्यात निरीक्षण मंत्रणा परिषद की रचना करने वाला संकल्प

†**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निर्यात निरीक्षण मंत्रणा परिषद् की रचना करने वाले दिनांक १२ जुलाई, १९६२ के सरकारी संकल्प संख्या ५५(१) ई० पी० (कोआर्डिनेशन)/६२ की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२१/६२]

प्रशुल्क आयोग, अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी संकल्प

†**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत १८ जून, १९६२ के सरकारी संकल्प संख्या सी० एच० (१)–६(९)/६१ की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२२/६२]

कोयला खान उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : मैं कोयला खान उद्योग के लिए मजुरी बोर्ड स्थापित करने वाले १० अगस्त, १९६२ के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यु० बी०–१६(१)/६२ की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२३/६२]

दिल्ली में बिजली संभरण की स्थिति के बारे में वक्तव्य

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : १० अगस्त, १९६२ को गृह मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा था कि सदन को दिल्ली में बिजली के संभरण की स्थिति के बारे में सूचित किया जाता रहेगा । मैं उस आश्वासन के अनुसरण में यह वक्तव्य दे रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अलगेशन]

नंगल से लाये गये १० एम० वी० ए० के ट्रांसफार्मर की स्थापना, ३८ एम० वी० ए० के क्षतिग्रस्त की मरम्मत और १०० एम० वी० ए० के दो नये ट्रांसफार्मरों की स्थापना का कार्य चौबीसों घंटे चल रहा है। दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम भी उस संयंत्र की मरम्मत का भरसक प्रयत्न कर रहा है जिसे वर्तमान उत्पन्न संकट के पूर्व सामान्य मरम्मत के लिए हटाया गया था। कार्य की दैनिक स्थिति का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जा रहा है और दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध करायी गई हैं।

आशा है कि १० एम० वी० ए० के ट्रांसफार्मर से आज शाम को ५ बजे तक बिजली मिलने लगेगी। यह सप्लाई १०,००० किलोवाट हो जायेगी। ३८ एम० वी० ए० के ट्रांसफार्मर के २० तारीख तक चालू हो जाने की संभावना है। तब बिजली संभरण की स्थिति सामान्य हो जायेगी। १०० एम० वी० ए० के ट्रांसफार्मर के २५ तारीख तक चालू होने की आशा है।

प्रविधिक विशेष केन्द्रीय बिजली घर के ३,००० किलोवाट यूनिट की मरम्मत में लगे हुए हैं और आशा है कि वह कल तक चालू हो जायेगा। चन्द्रावल स्थित १५०० किलोवाट के यनिट को १६ तारीख तक चालू हो जाने की आशा है।

दिल्ली के बिजलीघर के २०,००० किलोवाट के डीजल यूनिटों का उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक पुर्जों का आयात करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की गई है। आशा है कि कुछ क्षेत्रों में बिजली का सामान्य संभरण होने लगेगा और बिजली के बन्द किये जाने का समय काफी कम कर दिया जायेगा। १६ तारीख के बाद स्थिति समान्य हो जाने की आशा है।

भारत-चीन सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सदन १३ अगस्त, १९६२ को श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगा, अर्थात् :

"कि भारत-चीन सीमा, विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र, की स्थिति पर, विचार किया जाये।"

इस पर प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्तावों पर भी आगे विचार किया जायेगा।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं ने विभिन्न सदस्यों के भाषण बड़ी दिलचस्पी से सुने हैं। किन्तु अधिकांश का विवाद के विषय से कम ही सम्बन्ध था। श्री एंथनी ने कल्पना से काम लिया और वास्तविकता को पीछे छोड़ दिया है। कालाहांडी के महाराजा के भाषण को मैं समझ नहीं सका। कई कई स्थानों पर यह तर्कसंगत भी नहीं था।

उन्हों ने कुछ उपाय सुझाये हैं। वे ये हैं कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का एक सम्मेलन बुलाया जाये, कुछ देशों से सैनिक सहायता मांगी जाये इत्यादि। मैं सोच रहा था कि क्या उन्हों ने स्थिति को समझा भी है या नहीं या वे केवल भारत को ठंडी लड़ाई में देखना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का सम्मेलन क्या करेगा, मैं नहीं समझ सका और वे देश कौन-कौन से हैं और उन में से कौन हमारी सहायता कर सकते हैं। अभी हाल में ऐसे एक देश—लाओस में बहुत गड़बड़ थी। सौभाग्य से वहां बड़ी शक्तियों की सहायता से एक समझौता हो गया है। उस समझौते का आधार क्या है ? वह आधार यह था कि ये देश तटस्थ रहें और किसी गुट में शामिल न हों। उन के लिये केवल यही सुरक्षा है।

स्वतंत्र दल के नेता नहीं जानते कि दुनिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है और सीमान्त पर क्या हो रहा है। उन का दल सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में केवल अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है।

उन्हों ने कहा है कि भारत में अब कोई जमींदारी नहीं है। उनका दिमाग अब भी जमींदारी की बात सोचता है। निश्चय ही भारत में कोई जमींदारी नहीं है।

सीमान्त के प्रश्न पर पहले कई बार चर्चा की जा चुकी है किन्तु हर बार यही कहा जाता है कि हमें ६ या ८ वर्ष पहले क्या करना चाहिये था—कि हमें चीन का संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिये समर्थन नहीं करना चाहिये था, तिब्बत पर चीन की सरदारी नहीं माननी चाहिये थी। मैं इन विषयों के बारे में पहले कह चुका हूं। अब उन को दोहराना नहीं चाहता।

अब सवाल यह है कि अब जो गम्भीर स्थिति है, उस का कैसे मुकाबला किया जाये। इस पर राजनैतिक और सैनिक दृष्टि से विचार किया जा सकता है। इस समय महाभारत से हमें सीमान्त संकट को हल करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। न ही यह कहने का कोई लाभ है कि ४५ करोड़ भारतीयों को एक आदमी की तरह खड़ा हो जाना चाहिये। इस तरह की बात करना बच्चों की तरह बात करना है। कोई उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी बात नहीं करेगा।

हमें एक गम्भीर स्थिति का सामना करना है, यह स्थिति पिछले कुछ वर्षों से है और आगे भी कई वर्षों तक रहेगी। इसे सहसा हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कठिनाइयां जाहिर हैं। हम सैनिक शक्ति बढ़ा कर इसे हल कर सकते हैं। किन्तु मैं कह सकता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में राजनैतिक और सैनिक दृष्टि से हमारी शक्ति निस्सन्देह बढ़ी है। एक दो साल पहले से यह बहुत अच्छी है। किन्तु मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता।

महाराजा बिकानेर ने पूछा था कि हमारा क्षेत्र चीनियों से कब तक खाली कराया जायेगा। इस की तिथि कैसे दी जा सकती है किन्तु इसे खाली कराने का हम भरसक प्रयत्न करते रहेंगे। किन्तु मैं यह आश्वासन देता हूं कि ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिस से देश की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे। केवल बड़ी-बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा। उत्तरदायी राजनीतिज्ञ बढ़ चढ़ कर बातें नहीं करते, दृढ़ता से कार्य करते हैं।

आजकल की दुनिया में, युद्ध के सामान्य प्रश्न के अलावा, हर तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और नये-नये शस्त्र निकाले जा रहे हैं। बहुत से सदस्यों को आधुनिक युग का ज्ञान नहीं है। कुछ सदस्यों ने ४५ करोड़ भारतीयों की वीरता के बारे में कहा है, महाराजा जैसे कुछ और सदस्यों ने हमें किसी अन्य शक्ति का आश्रय लेने के लिये कहा है। यह कोई गर्व की बात नहीं है। यदि हम अपनी रक्षा के लिये औरों से सैनिक सहायता मांगते रहे, तो अपनी स्वतंत्रता कैसे कायम रख सकेंगे। इस के अतिरिक्त यह हमारी किसी गुट में न शामिल होने की नीति के विरुद्ध होगा। यह नीति सफल सिद्ध हुई है और बड़े-बड़े देश इस का आदर करने लगे हैं।

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

भारत के लिये केवल यही नीति ही स्वीकार्य है, क्योंकि हम उत्तरदायी व्यक्ति को, चाहे वह सरकार का हो या विरोधी पक्ष का वास्तविकता का सामना करना है चाहे कठिनाइयां कुछ भी हों। मालूम होता है कि कुछ सदस्य अपने आप पर काबू नहीं रख सकते।

सीमान्त पर हमारी स्थिति गम्भीर है। चीन ने अतिक्रमण किया है। यह बुरी बात है। हमें अपना राज्य-क्षेत्र उस से खाली कराना है। किन्तु यह कहना कि चीन सारे भारत को हड़प कर लेगा बिल्कुल असंभव है, भारत इतना कमजोर नहीं है। इस की शक्ति, सैनिक शक्ति भी बढ़ रही है। सैनिक शक्ति का अर्थ यह नहीं है कि असंख्य लोग जमा हो जायें। ४५ करोड़ लोगों का कोई लाभ नहीं है, जब तक एकता न हो वे प्रशिक्षित न हों और वे आधुनिक ढंग से न सोचें। जब भी भारत पर हमला हुआ है या उस की पराजय हुई है, वह एकता के न होने और पिछड़ेपन के कारण हुई है।

जब भी इस विषय पर चर्चा होती है, कहा जाता है कि १० वर्ष पूर्व हम ने चीन को मान्यता क्यों दी थी? यह क्यों नहीं देखा जाता कि अब १९६२ है और इस समय क्या हो रहा है।

सेन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में न शामिल होने का चीन के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं था। इस का जापान से सम्बन्ध था और जापान को इस से हर्ष हुआ था। जापान के साथ हमारी मित्रता है और हम ने जापान के साथ अलग सन्धि की थी। ये सब पुरानी बातें हैं और हमारी समस्यायें भी पुराने इतिहास से पैदा हुई हैं। अब हमें वर्तमान स्थिति का सामना करना है।

पिछले दो वर्षों में हम ने अपनी शक्ति बढ़ाने पर, सैनिक शक्ति बढ़ाने पर और संचार साधन बढ़ाने और सड़कें बनाने पर ज़ोर दिया है।

अब मैं आप का ध्यान लद्दाख की ओर दिलाता हूं। सही या गलत, काश्मीर सरकार ने लद्दाख की सरकार ने लद्दाख पर अधिक ध्यान नहीं दिया था और इस की प्रतिरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। इस की कोई सैनिक चौकियां वहां नहीं थीं। रुपया इकट्ठा करने के लिये वे कुछ व्यक्ति भेजा करते थे। स्वतंत्रता के बाद हम ने पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का मुकाबला किया। पाकिस्तानी अतिक्रमण लद्दाख तक पहुंच गया था। लद्दाख का रास्ता, अर्थात् जोंजला पास पर पाकिस्तानियों ने कब्ज़ा कर लिया था। उस कारण हम लद्दाख नहीं पहुंच सकते थे, केवल हवाई रास्ते को छोड़ कर। फिर हम ने मनाली से जाने की कोशिश की, जोकि बहुत जोखिम का काम था। फिर भी हमारी सेना वहां पहुंच गई। इस बीच हमारी सेना ने एक बहुत बड़ा काम किया कि वह टैंक ले कर जोज़ीला पास तक पहुंच गई और पाकिस्तानियों को वहां से निकाला और इस तरह लेह को जाने वाली सड़क खोल दी। इस तरह १९४८ में लद्दाख के एक बड़े भाग से पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया। किन्तु उस समय से हमें पाकिस्तानियों का सामना है, जिन्हों ने काश्मीर के एक तिहाई भाग पर कब्जा किया हुआ है।

इस शताब्दी के पूर्वार्द्ध में यह स्थिति थी। उस समय चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और उस को जो कुछ भी हम कर सकते थे नहीं रोका जा सकता था। सही या गलत था उन्हों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और ज्योंहि उन का कब्जा बढ़ा उन का नियंत्रण बढ़ा और गोबी रेगिस्तान संभरण भेजना उन के लिये कठिन था। उन्हों ने धीरे-धीरे सड़कें बना लीं हैं और सड़कें बनाने के दौरान में उन्हों ने जो रास्ता अकसाई चिन के उत्तरी क्षेत्र में से सिकियांग में से तिब्बत में जाता है उस का सुधार किया। उन्हों ने इस का प्रयोग इसलिये किया क्योंकि उन के लिये उस रास्ते

सिकियांग से तिब्बत जाना गोबी रेगिस्तान पार कर के जाना आसान था। एक-दो वर्ष बाद उन्हों ने उस रास्ते का सुधार किया और किसी प्रकार की सड़क बनाई। तिब्बत में सड़कें सामेंट की नहीं हैं वह एक ही स्तर किये हुए स्थान हैं क्योंकि बहुत सर्दी होने से जमीन इतनी सख्त है कि वे सामेंट की तरह हो जाती है। अतः उन्हों ने उस का प्रयोग किया। पुल न होने के कारण अकसाई चिन सड़क के प्रयोग करने में कुछ कठिनाई थी। मुझे पता नहीं ; शायद बाद में उन्हों ने पुल बनाये हैं। १९५७ के लगभग हमारे क्षेत्र पर चीन का यह पहला अतिक्रमण था। मुझे नहीं पता कि कब सड़क बनाई गई थी, परन्तु मैं ने इस के सम्बन्ध में १९५७ या १९५८ के अन्त में सुना। मुझे ठीक पता नहीं कि कब।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : १९५७ में।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** :१९५९ में जब हम इस के विरुद्ध चीनी सरकार को हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन का उत्तर नहीं आया था और हम इस की प्रतीक्षा कर रहे थे और मेरे विचार में १९५८ में आया . . .

†**डा० राम सुभग सिंह** : १९५८ में।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उसी समय तिब्बत में बगावत बढ़ गई और इसके फलस्वरूप चीनियों ने तिब्बत को बहुत सेना भेज दी, जो कि शीघ्र ही सीमाओं पर फैल गई, अंशतः इस लिए कि उन्होंने सोचा कि तिब्बत के विद्रोहियों को सीमा से भारत की ओर अन्य स्थानों से सहायता मिल रही थी। वे भारत की सीमा पर इस लिए आए, क्योंकि लोग बच कर निकल आए। इसी प्रकार पश्चिमी दिशा में वे फैल गए। हम बिल्कुल जागरूक थे और शुरू से ही ठीक थे। जब चीनियों ने कब्जा किया हमें इस बात की आशा नहीं थी, परन्तु हम सिक्कम और नेफा सीमा की तरफ जागरूक थे। हम ने कई चौकियां वहां बनाई थीं। हम ने और भी बनाईं।

लद्दाख की ओर भी हम ने सोचा कि यह आवश्यक था। इसे द्वितीय प्राथमिकता थी। नेफा को पहली प्राथमिकता थी। यह बहुत कठिन काम था। फासले बड़े थे और रास्ता कठिन था। आहिस्ता आहिस्ता हम लद्दाख की ओर सैनिक चौकियां बना रहे थे। ऐसा करने के लिए सड़कें बनाना जरूरी था। अन्यथा, फासला बहुत लम्बा था। हवाई जहाज से भी हम नहीं जा सकते थे। हम ने वहां पर हवाई अड्डा बनाया। यह सब कुछ सम्भव अतिक्रमण से रक्षा करने के इरादे से था। चीनी अभी लद्दाख में नहीं आए थे। परन्तु हमारे मन में खतरा था।

मैं चुसुल हवाई अड्डे में १९५४ में या १९५५ में गया था। परन्तु चीनी वहां भी नहीं थे। मैं वहां इस लिए गया, क्योंकि हवाई अड्डा बनाने का हमारे लोगों को गर्व था। वे कहते थे कि दुनिया में यह सब से ऊंचा था। यह लगभग १४,००० फुट ऊंचा है। मैं कुछ कुछ घन्टों के लिए वहां गया और वापिस आ गया।

उस समय से इस की रक्षा करनी चाहते थे और इसे विमान आस्थान बनाना चाहते थे। हमने सड़कें बनाने की कोशिश की। पहली सड़क लेह में बनानी थी। जब तक हम लेह जल्दी नहीं पहुंच सकते थे तो और जगह सड़कें बनाने से कोई लाभ नहीं था। इस सड़क का बनाना बहुत कठिन था, क्योंकि सड़क कुछ पुलों में से जानी थी। उसे बना दिया गया।

अतः आरम्भ से हमारे सामने सड़कें बनाने की समस्या थी। हम सड़कों के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। जहां हो सका कुछ हवाई अड्डे बनाए। इस काम के लिए हवाई जहाज लेने की

---

†मूल अंग्रेजी में

भी समस्या थी हम ने विशेष सीमा सड़क विकास समिति बनाई थी जिस ने कि बड़े कठिन क्षेत्र में हजारों मील सड़कें बनाईं । लेह सड़क और चुसुल को जाने वाली कुछ सड़कों से हमारी स्थिति में कुछ सुधार हो गया है ।

"नेफा" क्षेत्रों में और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के सीमान्त के साथ-साथ सड़कें बनाई गई हैं । जितनी जल्दी भी हम ने सड़कें बनाईं, हम अपनी चौकियों तक नहीं पहुंच सके । कुछ तक पहुंच सके परन्तु बहुत चौकियों तक नहीं पहुंच सके । हम ने हवाई जहाज़ों द्वारा उन्हें खाने-पीने का सामान पहुंचाया । इस काम के लिए विशेष विमान भी प्राप्त किए । लद्दाख के किसी भी भाग में सेना के दस्तों को रखने का मतलब यह था कि उन्हें प्रत्येक वस्तु पहुंचानी पड़ती थी क्योंकि वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता था । हम ने विभिन्न देशों से बड़े विमान ले कर विमानों द्वारा वस्तुएं देने का प्रबन्ध किया । हमारे पास कुछ "हैलीकौपटर" भी हैं । परन्तु मुख्यत: बड़े परिवहन के काम आने वाले विमान थे । कुछ अमेरिका से लिए गए थे और कुछ रूस से । रूस से लिए गए बड़े थे और बहुत सहायता देने वाले थे । इन बड़े जहाज़ों को उतारने की कठिनाई थी । इस प्रकार एक के बाद दूसरी समस्या का सामना करना पड़ता था । हम काम करते गए और हम ने अपनी सैनिक स्थिति, संभरण स्थिति में सुधार कर लिया और उन विभिन्न क्षेत्रों में हमारे सैनिक हैं ।

किसी ने कहा कि हम ने चीनियों को नौ चौकियां बनाने दी है । यदि उन की नौ चौकियां हैं तो हमारी २२ या २३ या २४ चौकियां हैं, उन से तिगुनी हैं । हमारी चौकियों के कारण उन का आगे बढ़ना कठिन हो गया है और वे बिना किसी बड़ी टक्कर के आगे नहीं बढ़ सकते ।

यह काफी नहीं है, परन्तु अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए यह पहला कदम हमें उठाना पड़ा । यह संतोषजनक रूप में हो गया है । इसका यह अर्थ भी है कि हमारी सीमा स्थिति संतोषजनक है । हमने वह क्षेत्र उनसे खाली करवाना है, परन्तु उस के इलावा भी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है, परन्तु यह घटना संतोषजनक कदम है ।

अत: मैं ने कहा कि सैनिक दृष्टि से हम एक-दो वर्ष पहले से अच्छे हैं । परन्तु यदि मुझे कहा जाए कि कब अपने क्षेत्र को छुड़ाया जाएगा, उस के लिए बहुत बड़ी त्यारी की आवश्यकता है । राजनैतिक क्षेत्र में पहले स्थिति बहुत संतोषजनक है, परन्तु आखिर में स्थिति का आधार अपनी शक्ति अपनी सैनिक शक्ति, लोगों की शक्ति और किसी संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयारी है । हम भारत के इतिहास से जानते हैं कि भारत के लोगों के हौसले ने उनकी रक्षा नहीं की क्योंकि युद्ध के हथियारों और युद्धकला का अभाव था । हमारे पूर्वजों के पास भारत के उचित नक्शे नहीं थे । अंग्रेज़ों ने किसी विशेष अस्त्रों की कला से हमारे ऊपर विजय नहीं प्राप्त ी । उनके पास अच्छे अस्त्र थे, अच्छे प्रशिक्षित सिपाही थे, उनके पास नक्शे भी थे और जासूस भी थे । प्रत्येक भारतीय कचहरी में एक अंग्रेज़ जासूस था । इस प्रकार उन्होंने विजय प्राप्त की । उनको विरोध करने वाले राजपूत, मरहटे और अन्य व्यक्तियों के पास नक्शे नहीं थे बहादुरी अच्छी चीज़ है, परन्तु और किसी चीज़ की आवश्यकता है । अब आधुनिक हथियारों से सारा मामला पेचीदा हो गया है ।

हम भारत चीन की तुलना करते हैं और कहते हैं कि एक भारतीय दस चीनियों के बराबर है । मेरे विचार में एक भारतीय सिपाही दुनिया के किसी भी सिपाही के बराबर है या उन से अधिक शक्तिशाली है । मुझे इस बात का विश्वास है । वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मैं केवल

सिपाहियों को ही नहीं, परन्तु सेना मुख्यालय, प्रतिरक्षा मंत्रालय और वायुसेना मुख्यालय का उन्होंने जो दो तीन वर्ष में सीमा क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, उसके लिए उनका सम्मान करता हूं ।

हमें अपने प्राप्त संसाधनों से आधुनिक शस्त्रास्त्रों एवं युद्ध के तरीकों की किस प्रकार व्यवस्था करनी है ? हमारा उद्देश्य विदेशों से खरीद करने का भी है वरन् हम अपने देश में ही विमान, "हैलीकोप्टर" तथा अन्य सामान बनाना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में हमारी प्रगति अच्छी रही है और आशा है कि कुछ वर्षों में हमारी शक्ति बढ़ जाएगी और हम ये चीजें अपने देश में ही बनाने लगेंगे ।

श्री फ्रैंक एन्थनी ने कहा कि "हैलीकोप्टरों" के मामले में हमारी सेना के व्यक्ति भेद क्यों रखते हैं । ऐसे मामले में हम अपने सैनिक अधिकारियों के कहने के अनुसार चलते हैं और कठिनाई यह है कि जब हम विदेश से चीजें खरीदते हैं या हम बनाते हैं तो हम विदेश से कुछ विशेष समझौते करते हैं । दूसरे देश हमें कहते हैं कि हमें इन बातों को किसी को बतानान हीं है । इस लिए हम आसानी से अपने समझौतों की शर्तों को नहीं बता सकते ।

हमने बंगलौर में "सुपरसॉनिक" विमान बनाए हैं । और विमान बनाने के लिए हमें इंजन चाहिएं । हम हैलीकोप्टर बना रहे हैं । उन पहाड़ी क्षेत्रों में वे बहुत महत्वपूर्ण हैं । हमें और लड़ाके जहाज़ बनाने की आशा है ।

युद्ध के हथियारों पर इतना खर्च करने से मुझे दुःख होता है परन्तु इन परिस्थितियों में हथियार न रखना कर्त्तव्य की ओर ध्यान न देने के तुल्य होगा । ऐसा भी है कि कोई इन हथियारों से लड़ता ही है । आदमी लड़ सकता है, परन्तु हथियारों के न होने से दूसरों को प्रोत्साहन मिलता है । पिछले कुछ वर्षों में ऐसे अवसर आए यदि हमारे पास पर्याप्त हथियार न होते तो हमें युद्ध का सामना करना पड़ता । युद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम उस के लिए तैयार थे । यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दुश्मन वायु पर अधिकार न जमा ले ।

मैंने बम गिरते देखे हैं । यह बहुत निराशा वाला दृश्य होता है । चुपके से जहाज आता है और बम फैंक कर चला जाता है । यदि विरोध करने वाला हो तो वह ऊपर उड़ जाता है यहां से वह बम नहीं फैंक सकता ।

बम गिराना और विमान पुरानी कहानियां हैं । अगली अवस्था राकेट है । हमें अपने देश में सुपरसॉनिक विमान बनाने चाहिए । हम ने सब कदम उठाए और सैनिक दृष्टिकोण से सड़कें बनाई गईं । हमने लद्दाख के इस भाग पर एक प्रकार की दीवार बनाई थी और कई सैनिक चौकियां बनाईं । इन पर आक्रमण का लगातार खतरा रहता है । हमने उन के आगे बढ़ने को प्रभावपूर्ण तरीकों से रोक दिया है ।

यदि कोई चीन से हमें भेजे गए प्रौटेस्ट नोटों को पढ़े तो पता चलेगा कि वे हमारे चौकियां बनाने पर बहुत नाराज हुए हैं । उन्होंने कहा है कि आप हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं । जो चीजें हमारी तरफ़ उन के बारे में कही जाती हैं, वे हमारे बारे में वही चीजें कहते हैं । कई चीजें हुई हैं । वे कहते हैं कि ६ महीनों में हमारे विमानों ने ३०० चक्कर उनके क्षेत्र में लगाए । इसका उत्तर यह था कि "यह आप का क्षेत्र नहीं है, यह हमारा क्षेत्र है और हम स्वेच्छा से घूमते हैं ।"

हमारी सेना और वायुसेना बहुत अच्छा काम कर रही हैं । फिर भी हम बटन नहीं दबा सकते और यह नहीं कह सकते कि अपने क्षेत्र को खाली करवा लिया है । यह तो हमारी शक्ति से होगा और हम शक्ति बढ़ा रहे हैं ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

श्री कर्णीसिंह ने मुझे अणुबम्ब के बारे में कुछ पूछा और कहा कि चीन के पास अणुबम्ब है । मुझे नहीं पता कि चीन के पास कब अणुबम्ब हो सकता है । हम अणुशक्ति में चीन से आगे हैं । इस का मतलब यह नहीं कि चीन हमारे से पहले अणुबम्ब नहीं बना सकता, क्योंकि हम अणु-बम्ब बनाने की कोशिश नहीं कर रहे । यदि वे बम्ब बना भी लें तो मुझे चिन्ता नहीं ।

लोग समझते हैं कि यदि किसी देश के पास अणुबम्ब है, तो वह युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त करेगा । ऐसी बात नहीं है । यदि वे बम्ब बना भी लें तो क्या भारत पर ही प्रयोग करेगा ? वे और कार्यों के लिये इसे रखेगा । यदि वे भारत पर प्रयोग करेंगे तो उन के लिए बुरा होगा । मुझे इस बात से घबराना समझ में नहीं आता कि क्योंकि उनके पास अणुबम्ब हैं या तिब्बत में उनके बहुत सैनिक हैं जो हमें गोली से मार देंगे । वे गोली से मार सकते है । कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं वह हमारी कुछ सैनिक चौकियों पर कब्जा कर सकता है । इस का मतलब यह नहीं कि हम हार गए हैं । हम उनका और मज़बूती से मुकाबला करेंगे । इन सैनिक और राजनैतिक बातों का ध्यान रखना है ।

हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे देश के नाम को कलंक लगे ।

हमें एक तरीके से, सैनिक तरीके से या बातचीत से समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए । सैनिक तरीकों पर सैनिक प्रतिबन्ध होने चाहिएं । मुझे विश्वास है कि युद्ध बुरी चीज़ है । भारत और चीन में युद्ध हमारे लिए भी बुरा है, उन के लिए भी बुरा है और दुनिया के लिए भी बुरा है, क्योंकि यह दुनिया का युद्ध बन सकता है । अब जब कि निःशस्त्रीकरण और शान्ति के बारे में इतना कुछ किया जा रहा है, हमारे लिए जो कि निःशस्त्रीकरण और शान्ति की बात करते हैं युद्ध जैसी बातें करना उचित नहीं होगा ।

कुछ लोग सोचते हैं कि यह कायरता है । मैं उन्हें फिर याद दिलाना चाहता हूं कि भारत के कई बड़े बहादुर जो कि युद्ध की बातें करते थे इसलिये हारे क्योंकि विरोधी दल के पास अच्छे हथियार थे इत्यादि । विरोधी दल की अर्थव्यवस्था अच्छी थी । अतः हमें आधुनिक तरीके से सोचना चाहिये ।

आधुनिक तरीके से सोचने में पहली बात यह है कि हमें युद्ध से बचना चाहिये, क्योंकि युद्ध के परिणाम संसार के लिये और विशेष कर हमारे लिये भयानक होंगे । हम युद्ध नहीं करेंगे जब तक परिस्थितियां हमें वाधित न करें या हमारे ऊपर कोई हमला न करे । परन्तु जो परिस्थितियां हैं हमें उनके लिये त्यारी करनी है ।

में मेहनत से कमाये हुए धन को जिस की विकास के लिये आवश्यकता है उन्हें युद्ध के विमानों आदि के निर्माण पर खर्च करने से घृणा करता हूं । फिर भी हम कहते हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं । परन्तु हम इस प्रकार धन व्यय करने की इच्छा के बिना ऐसा करते हैं । अतः मुझे नहीं पता कि जो हमारी नीति है उस पर चलने के और अपनी शक्ति बढ़ाने के अतिरिक्त हम कौनसी नीति अपना सकते हैं ।

यह कहा गया है कि हमें चीनियों से बात नहीं करनी चाहिये जब तक वे हमारे क्षेत्र से नहीं हटते । मै इस बात को नहीं मानता । मैं इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं । मैं ऐसा बच्चा नहीं हूं जिससे कोई ऐसी बात कहलवाई जा सकती है जो कि मेरे विचार में बुनियादी तौर से गलत है । सबसे पहले तो वार्ता और बातचीत में अन्तर है । बहुत अन्तर है । जो भी कुछ हो हमेशा बातचीत करनी चाहिए । यदि मुझे बात करने का अवसर मिले तो म उनसे बातचीत करूंगा । बात न करना तो बिल्कुल गलत है ।

मैंने चीनी राजदूत को बुलाया । वे जा रहे थे । मैंने उन्हें बिदाई भोज दिया । वे मेरे घर आए और कहा गया, 'देखिये, क्या चीनियों के साथ उसका कैसा सम्बन्ध है, उन्होंने खाना खिलाया है ।' जब तक मेरे पास अधिकार है, मैं इस मन्त्रणा को नहीं मानूंगा । इसके विषय में बिल्कुल स्पष्ट हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : आपने पहले ऐसा कहा था ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा ।

मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने यह स्पष्ट कर दिया है। यह मेरा तरीका है कि जब कोई राजदूत अवकाश लेता है तो मैं उसे खाने पर बुलाता हूं मैंने इनको तथा इनकी पत्नी को भी खाने पर बुलाया । खाना खाते समय तथा उसके बाद भी मैंने उनसे सीमा सम्बन्धी वादों के बारे में चर्चा की । मैं मानता हूं कि मैंने बातचीत की थी और उनसे यह भी कहा था कि वह इस बात का प्रयत्न करें कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो । इस बारे में उन्होंने मुझ से अन्तिम रूप से कोई बात नहीं की । मैंने उनको यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यह बहुत खतरनाक बात है इससे युद्ध भी हो सकता है । उन्होंने यह बात अपनी सरकार से कही होगी और ऐसा प्रायः हुआ करता है । हमारे प्रति-रक्षा मन्त्री जिनेवा गये । चीनी विदेश मन्त्री भी वहां थे । मैंने उनसे कहा था कि वह चीनी विदेश मन्त्री से बातचीत करें । और ऐसा करना उनका कर्तव्य भी था । किन्तु वह बातचीत न कर सके । उन दिनों गालवान घाटी में गोलाबारी हुई थी । मैंने उनसे कहा था कि वह विदेश मन्त्री से यह स्पष्ट कर दें कि इस प्रकार की गोलाबारी बहुत बुरी बात है और इससे युद्ध भी हो सकता है । लेकिन हमारे विदेश मन्त्री ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनके विदेश मन्त्री से केवल दो बार ही भेंट हुई और दोनों ही समय कोई न कोई उपस्थित था । हमारी यह नीति है कि हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिये जिससे कि हम फंस जायें । अगर हम ठीक हैं और गलती पर नहीं है तो हमें हर समय चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहिये, विरोधियों से भी कहना चाहिये और उसे इस बात का अवसर मिले कि वह हमारे रवैया को देखें । हमें इस संसार में रहना है । मेरा विचार है कि हम यदि यह रवैया बनालें कि हम कोई बात नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि समस्या का कोई समाधान नहीं होता ।

समझौता वार्ता तथा बातचीत में अन्तर है । बातचीत के लिये यथा सम्भव प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये लेकिन समझौता वार्ता हर समय नहीं हो सकती उसके लिये अनुकूल वातावरण चाहिये । इसके लिये उपयुक्त पृष्ठ भूमि चाहिये । बातचीत करना एक अलग चीज है । बातचीत से हो सकता है कोई परिणाम ही न निकले लेकिन कुछ हद तक एक दूसरे को समझने में सहायता तो पहुंचाता है । यह भी देखने में आया है कि उन दो देशों के राजदूत जो परस्पर एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, आपस में मिलते हैं । नियमित रूप से मिलते हैं तथा अपनी अपनी समस्याओं के बारे में विचार विनिमय करते हैं । उदाहरण के लिये अमरीका तथा चीन को ही लीजिय इन दोनों देशों में आपस में राजदूतों का आदान प्रदान नहीं रहता लेकिन फिर भी इन दोनों देशों ने वारसा को बातचीत के लिये चुना है । वहां पर इन देशों के प्रतिनिधि आपस में बातचीत करते हैं । और पिछले ७ वर्षों से बराबर इसी प्रकार बातचीत कर रहे हैं । मालूम हुआ है कि इन ७ वर्षों तक लगातार बातचीत करने के बाद वे किसी परिणाम पर पहुंचे हैं । आजकल यह तरीका पसन्द किया जाता है । न कि वह बचकाना तरीका कि हम तो किसी से बातचीत ही नहीं करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

मैंने अपने कल के वक्तव्य में सरकार की नीति का स्पष्टीकरण कर दिया है और हम उस पर दृढ़ रहना चाहते हैं। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि यह सभा उस नीति का समर्थन भी करे। साथ ही मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह किसी दल का अर्थात् कांग्रेस का मामला नहीं है। यह तो सारे राष्ट्र का मामला है। मुझे इस बात का दुःख है कि कभी कभी लोग इसे दल का मामला बताते हैं। इसमें कांग्रेस का कोई कसूर नहीं है। कांग्रेस तो सरकार चला रही है। हर आदमी से गलती होती है। इसलिये विरोधी सदस्यों से तथा इस दल के सदस्यों से भी मेरा नम्र निवेदन है कि वे इन गलतियों को हमें बतायें। लेकिन मुझे यह प्रवृत्ति पसन्द नहीं कि लोग सरकार को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। और राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में नहीं रखते। ये सब बातें गलत हैं। जब हम सीमा की बात करते हैं तो हम यह ध्यान रखना है कि हमारे पीछे ४५ करोड़ व्यक्ति हैं। जब हम एकता की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इसकी आलोचना की ही न जाये---आलोचना जरूर की जाये लेकिन उसका पहलू दूसरा होना चाहिये। मैं जानता हूं कि विरोधी दल के सदस्यों में से कुछ सदस्य हमारी नीति के कट्टर विरोधी हैं। लेकिन मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में किसी गुट में शामिल न होने की हमारी नीति की आलोचना की है। उनका यह भी कहना है कि यदि हम किसी देश से सहायता ले रहे हैं तो हम उसके अधीन बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि हमारी व्यापक नीति का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये। हमारा यह अभिप्राय कभी नहीं है कि यदि कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण करे तो हम अपनी प्रतिरक्षा नहीं करेंगे। ऐसा न करना तो हमारी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। आज मुझ से हर आदमी चाहे वह अमरीकी हो अथवा वह अंग्रेज हो चाहे वह सम्वाददाता हो यह पूछता है कि चीन भारत पर हमला क्यों करता है वह भारत की दोस्ती क्यों खत्म करना चाहता है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है और मैं इसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता। तिब्बत में क्या हो रहा है मैं इसके बारे में अनुमान लगा सकता हूं। मैं इसे एक अजीबो गरीब बात समझता है। जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो मैं यह अनुभव करता हूं कि चीनियों ने ऐसा किस प्रकार और क्यों किया। भारत की सहानुभूति खो देना यह कोई मामूली बात नहीं है। न चीन की ६,५०० लाख जनता के लिये ही यह मामूली बात है। यह एक बहुत बड़ी बात है और अब उन्होंने भारत की सहानुभूति खत्म कर ली है। यही नहीं बल्कि एशिया के और भी बहुत से देशों की सहानुभूति वे खो रहे हैं। इस तरह उन्होंने अपनी बहुत बड़ी हानि की है।

किसी देश का कोई भाग इधर रहे या उधर रहे यह कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि यह मामला प्रतिष्ठा का बन जाता है। यदि उन्होंने कुछ पर्वतीय भाग हमारा ले भी लिया तो क्या हुआ; उन्हें क्या लाभ हुआ---बल्कि उन्होंने हमेशा के लिये लड़ाई मोल ले ली, हमेशा के लिये सद्भावना खत्म कर ली---हमारी ही नहीं बल्कि और दूसरे देशों की भी। जब मैंने इस पर विचार किया तो इसी नतीजे पर पहुंचा कि वह भी इस बात को अब महसूस करते होंगे। यह तो मैं नहीं जानता कि उनकी विचारधारा क्या है। लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिये और समझदारी से काम लेना चाहिये।

हमने इस मामले पर अच्छी तरह से विचार कर लिया है। और इसका क्या परिणाम होगा उसे सहन करने के लिये भी हम तैयार हैं। अब हमें इसी प्रकार आगे बढ़ना है। हमें किसी भी सूरत में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे भारत की प्रतिष्ठा को धक्का लगे अथवा इसकी शक्ति क्षीण हो। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता कि कोई आदमी अपने अधिकृत भाग का कोई भाग दूसरे को ले लेने दे। भले ही इसका परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि

हम विरोधी देश के विदेश मन्त्री के साथ कोई बातचीत ही न करें अथवा उसके साथ चाय आदि ही न पीयें ।

यह बात मैं मानता हूं कि मुझे देश को कमजोर नहीं बनने देना चाहिये । हमारी नीति किसी गुट में शामिल होने की नहीं है । लेकिन जिस दिन भी हमने किसी गुट में भाग ले लिया बस उसी दिन से 'शीत युद्ध' शुरू हो जायगा । अब हमें इन दोनों चीजों में से एक चीज़ चुनना है कि हम किसी गुट में शामिल न हों अथवा शामिल होकर शीतयुद्ध को आमन्त्रित करें । जहां तक चीन द्वारा हथियाये गये क्षेत्र की बात है उसे खाली कराने की बात से हम सभी सहमत हैं । लेकिन किसी के साथ गठबन्धन करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं । यहां तक कि अगर सीमा पर आपत्ति भी आये तो भी सैनिक गठ-बन्धन के पक्ष में मैं नहीं हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी विदेशी से सैनिक सहायता लेकर अपने देश की रक्षा करूं ।

लद्दाख में जो स्थिति है । हम उसका सामना करेंगे । हो सकता है कि इस काम में हमें वर्षों लग जायें । मैं समझता हूं कि यह मामला जल्दी हल होने वाला नहीं है । और इसके लिये हमें तैयार रहना होगा । लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपनी मूल-नीति को छोड़ देना चाहिये जो कि हमेशा अच्छी सिद्ध हुई है और जिसे और देशों ने भी अच्छा माना है ।

चीन ने १९६० में जो लाइन निर्धारित की है उसे मानने का कोई प्रश्न ही नहीं है । दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है । देशों की सीमाएं भी कोई महत्व नहीं रखतीं । अब सवाल यह है कि इस बदलती हुई दुनिया का मतलब है क्या ? अभी हम मध्य युग में रह रहे हैं । लेकिन हमें उस स्थिति में से निकलना है । हमें वर्तमान युग के साथ आगे बढ़ना है ।

मुझे इस बात का खेद है कि मैं उन संशोधनों को स्वीकार नहीं करता जो कि प्रस्तुत किये गये हैं । उन संशोधनों के पीछे जो भावना है उसे स्वीकार करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं ।

जहां तक चीन की बात है कोई भी काम सदन का विश्वास प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा । दूसरे कोई भी ऐसा काम नहीं किया जायेगा जिससे भारत की प्रतिष्ठा को धक्का लगे ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में आजकल स्थिति ऐसी है कि हम चीन से कोई वार्ता नहीं कर सकते । हमें बातचीत के लिये वातावरण तैयार करना होगा । अब उस वातावरण को तैयार करने के लिये हम बातचीत कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपने स्थानापन्न प्रस्ताव पर जोर देना चाहते हैं ।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय) जी नहीं हम उन प्रस्तावों पर जोर नहीं दे रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं समझता हूं कि ये स्थानापन्न प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये जा रहे हैं ।

दोनों स्थानापन्न प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिये गये

†**अध्यक्ष महोदय** : एक स्थानापन्न प्रस्ताव भी है जो नीति के समर्थन के बारे में है लेकिन वह प्रस्ताव कुछ देर से आया है । लेकिन सभा का वातावरण कुछ ऐसा है कि वह देर का ध्यान नहीं करेगा । अतः यदि सभा की अनुमति हो तो वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : ऐसा करना तो सभा में अब तक अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लंघन होगा। हम नहीं चाहते कि सरकार अथवा प्रधान मन्त्री इस प्रकार प्रस्ताव रख कर हमें ऐसी परिस्थिति में रखें। मेरा निवेदन है कि यह प्रस्ताव नहीं रखा जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह प्रस्ताव देर से मिला था, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। मैंने यह सोचा कि जब एक स्थानापन्न प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है तो सभा इस स्थिति में है कि वह समर्थन करने के बारे में तो प्रस्ताव पारित कर सकता है। बस यही सोचकर मैंने यह प्रस्ताव रखने की बात कही थी।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : हमने तो अच्छा वादातावरण बनाये रखने के विचार से ही अपने स्थानापन्न प्रस्तावों पर जोर नहीं दिया था। अतः हमें अब इस प्रस्ताव के लिये मजबूर न करें वर्ना यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित नही हो सकेगा।

†**श्री शं० शां० मोरे** (पूना) : अब तक जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह सामान्य बातों के लिये है। लेकिन इस प्रस्ताव का सम्बन्ध महत्वपूर्ण विषय से है। अतः यदि सभा सहमत हो तो इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। क्योंकि सभा सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अतः मैं इसे सभा के समक्ष रखता हूं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी**: यह तो अच्छी बात नहीं है। आप हमारे अधिकारों की सुरक्षा कीजिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा विचार है कि सभा इस प्रस्ताव से सहमत होगी देश की स्थिति को देखते हुए मेरा विचार है कि सभा इससे अपनी सहमति प्रकट करे। मैं इसे सभा के समक्ष रख रहा हूं। सभा के विचार जानना चाहता हूं। आशा है कि सभी सदस्य इससे सहमत होंगे और एकमत से अपनी सहमति प्रकट करेंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि सभा के कोई सदस्य ऐतराज़ करते हैं तो इस प्रस्ताव को न रखा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं देखता हूं कि विरोधी सदस्यों ने भी यह प्रकट किया है कि वे प्रधान मन्त्री के भाषण से सहमत हैं अतः इस प्रकार के प्रस्ताव के पारित करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अब इस प्रकार के प्रस्ताव के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब हम अगला कार्यक्रम लेंगे।

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च १९६१ तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर, उस पर सरकारी ज्ञापन सहित, जो १८ जून, १९६२ को सभा पटल पर रखा गया, विचार करती है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर प्रति वर्ष विचार करने की परिपाटी है। ताकि यह देखा जाये कि आयोग ने कोई विशेष सिफारिश तो नहीं की है। यह प्रसन्नता की बात है कि आयोग सरकार की लगभग सभी सिफारिशों से सहमत है।

सरकार इस आयोग के प्रत्येक वर्ष के प्रतिवेदन पर सावधानी से विचार करती है। ताकि यह आयोग जो सिफारिश करता है उनको पूरी तरह क्रियान्वित किया जा सके। सरकार ने प्रतिवेदन की अवधि के १२,८०० मामलों में से केवल चार को छोड़कर अन्य समस्त मामलों में आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वे अधिकांश मामलों में आयोग की मंत्रणा को स्वीकार कर लेने की नीति का अनुसरण कर रहे हैं।

संविधान के अनुसार सेवाओं के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की राय ली जाती है। सामान्यत: तो हम आयोग की सिफारिशों को मानते हैं लेकिन कुछ मामलों में जनहित की दृष्टि से सरकार उस राय को नहीं भी मानती है। १९५६–५७ में संघ लोक सेवा आयोग को १०,५०० मामले भेजे गये और सरकार ने केवल एक मामले में आयोग की राय नहीं मानी। १९५७–५८ और १९५८–५९ में हम ने आयोग की सभी सिफारिशों को मान लिया था। १९५९–६० में १५,१३६ मामले भेजे गये लेकिन एक मामले में सरकार ने आयोग की सिफारिश को नहीं स्वीकार किया। जहां तक कि इस वर्ष की बात है। हम ने ४ मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में आयोग की सिफारिश मान ली है। उनमें से एक मामला ऐसा था जिस में सरकार को नियम बनाने थे। और किसी सिद्धान्त के आधार पर सरकार को निर्णय भी लेना था।

श्रीमन् आपको ज्ञात है कि भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की संयुक्त परीक्षायें होती हैं। संघ लोक सेवा आयोग इस सम्बन्ध में हमें सलाह देता है। यह ज्ञात हुआ है कि भारतीय लेखे और लेखा परीक्षा सेवाओं की अवधि दो वर्ष बढ़ा दी जानी चाहिये। इस समय स्थिति यह है कि परिणाम का पता लगने पर हमें एक विशेष प्रक्रिया करनी पड़ती है। उदाहरणार्थ डाक्टरी परीक्षा और चरित्र का सत्यापन इत्यादि। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को नियुक्तिपत्र भेज दिये जाते हैं। इसके पश्चात् मसूरी में उन्हें पांच महीने का प्रशिक्षण लेना होता है। इसके पश्चात् इन परीक्षार्थियों तथा अन्य परीक्षार्थियों के लिये नियमित पाठ्यक्रम होता है। उन्हें प्रशासन और विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर ले जाया जाता है। इस के पश्चात् आयोग द्वारा परिवीक्षकों की परीक्षा होती है। परीक्षा के पश्चात् उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाता है। अनुभव से ज्ञात हुआ है कि एक वर्ष का परिवीक्षक पाठ्यक्रम अपर्याप्त है अत: दो वर्ष का पाठ्यक्रम रखा जाये। पहिल तो इस कारण कि हमारे पास कई-कई विकास परियोजनायें हैं और इन अधिकारियों को इनमें काम करना होगा और दूसरे हम जिस कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का विचार कर रहे हैं उसके अधीन हमारे जिला अधिकारियों को जनता से सीधा सम्बन्ध बनाये रखना है। इस बात पर सरकार तथा आयोग में मतभेद हो गया। तत्पश्चात् जब इस विषय पर राज्य सरकारों से भी परामर्श लिया गया तो उन्होंने भी दो वर्ष के पाठ्यक्रम की सलाह दी। अत: सरकार को संघ लोक सेवा आयोग की सलाह की उपेक्षा करनी पड़ी। इस सलाह को न मानने के कारण उस ज्ञापन में दिये गये हैं जो कि प्रतिवेदन के साथ संलग्न हैं। अत: मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इन चार मामलों में मतभेद के काफी प्रबल कारण थे।

जहां तक अस्थायी नियुक्तियों का सम्बन्ध है एक समय ऐसा था जब कि इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा सरकार की बहुत आलोचना की जाती थी। अब धीरे-धीरे स्थिति का वैज्ञानिकन किया

[श्री दातार]

जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह नीति अपनायी जाती है कि जब सरकार यह अनुभव करती है कि ऐसी स्थायी नियुक्ति करनी है जो कि एक वर्ष से अधिक काल तक चलेगी तो मामला आयोग को भेजा जाता है और उसकी मत पर सरकार विचार करती है। तथापि यदि ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से कम समय के लिये करनी होती हैं या अस्थायी विभाग द्वारा करनी होती हैं तो कार्य की तात्कालिकता को ध्यान में रख कर सरकार को ऐसी नियुक्तियां करने की शक्ति दी गयी है। जो भी नीति इस समय अमल में लायी जा रही है उसके सिद्धान्त आयोग के परामर्श से ही निर्धारित किये गये हैं।

कभी कभी सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को समय पर लिखना सम्भव नहीं होता है। किसी स्थिति में यह अनुमान लगाना भी असंभव होता है कि अमुक नियुक्ति एक वर्ष तक रहेगी या उसके बाद भी। मितव्ययिता को देखते हुए भी सरकार इस बात के लिये सतर्क है कि सभी नियुक्तियां स्थायी तौर पर न की जायें। अतः सरकार को सभी बातों पर विचार करना होता है। अतः सरकार ऐसी नियुक्तियां जिनका उल्लेख किया गया है वापस मंगा लेती है।

हमारा मितव्ययिता एकक इस बात पर विचार करता रहता है कि क्या कुछ अस्थायी पदों को स्थायी न बना कर कुछ मितव्ययिता की जा सकती है। मितव्ययिता एकक की सलाह आने पर सरकार इस बात का विचार करती है कि क्या वह पद जिसका उल्लेख आयोग को किया गया है भरी जानी आवश्यक है अथवा उसका कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यदि सरकार इस निश्कर्ष पर पहुंचती है कि नियुक्ति नहीं की जानी है तो वह नियुक्ति नहीं की जाती हैं।

इस प्रतिवेदन में आयोग ने दो अन्य बातों की भी आलोचना की है। एक तो विलम्ब से अथवा इन्कार किये गये निर्देशों का और दूसरे विलम्ब से की जाने वाली नियुक्तियों का। कुछ मामले में विलम्ब इस कारण होते हैं कि कुछ औपचारिकता करनी होती है। विलम्ब से किये गये निर्देशों के बारे में मैं बता चुका हूं।

संघ लोक सेवा आयोग हमें अग्रिम आयोजन और समन्वय के सम्बन्ध में सलाह देता आ रहा है। एक ही प्रकार के पद पर, जिसके अधीन एक ही प्रकार का कार्य किया जाता है, किसी एक वर्ष में जितनी नियुक्तियां होती हैं तो आयोग यह चाहता है कि आगामी वर्ष में उस प्रकार की संभावित पदों की संख्या दे दी जाये। इस सम्बन्ध में मंत्रालय में जनशक्ति सम्बन्धी निदेशालय है। तथापि कार्य की विशालता और बहुलता को देखते हुए सम्भव है कि कुछ मामलों में समन्वय नहीं हो सके। तथापि अधिकांश मामलों में अग्रिम आयोजना और समन्वय किया जाता है।

इसमें सन्देह नहीं कि कुछ वर्षों तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को सरकारी नौकरियों में बहुत कम स्थान मिला। अतः सरकार ने उन्हें परीक्षा पूर्व अथवा आरम्भिक प्रशिक्षण देने की नीति बनायी। जिससे वे दूसरे परीक्षार्थियों के समकक्ष आ सकें। इस प्रकार की कक्षायें पहले इलाहबाद में खोली गयीं और अब आशा है कि इस प्रकार की कक्षायें दक्खिन में भी एक अन्य विश्वविद्यालय द्वारा खोली जायेंगी। इलाहबाद में यह योजना केन्द्र के व्यय से ही आरम्भ की गयी और इस से अनुसूचित जातियों के लोगों को बहुत लाभ हुआ। वे लोग अच्छी संख्या में लिये जाने लगे। इस सम्बन्ध में आयोग ने भी कहा है कि वे सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिक उम्मीदवारों को लिये जाने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। प्रशिक्षण के अलावा प्रशासन की आवश्यकता को देखते हुए मापदण्ड में जो भी ढील दी जा सकती है वह दी जाती है। अतः उनकी संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। पहिले

वर्षों में जब कि मुश्किल से एक या दो अनुसूचित जाति के सदस्य लिये जाते थे अब आलोच्य वर्ष में भारतीय प्रशासन और पुलिस सेवाओं में ३२ अनुसूचित जातियों के और ११ अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार लिये गये । अतः अनुसूचित जातियों के तथा अनुसूचित आदिम जातियों के परीक्षार्थियों को कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें वह वातावरण उपलब्ध नहीं होता है जो आवश्यक है । प्रशिक्षण के उपरांत वे दूसरे समुदायों के परीक्षार्थियों से सफलता से मुकाबला कर सकते हैं ।

कुछ मामलों में यह शिकायत की गयी है कि पदों की मांग रद्द कर दी गयी है । चार मामलों के सम्बन्ध में ऐसा क्यों किया गया है इसका कारण मैं बता चुका हूं । आवश्यकता होने पर मैं इसका संक्षेप में निर्देश करूंगा । मुझे इस बात से हर्ष है कि आयोग का प्रतिवेदन अधिकांश में संतोषजनक है । मैं आयोग के कार्य की प्रशंसा करता हूं कि आयोग बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । आयोग एक उच्च और प्रतिष्ठित संस्था है अतः सदस्यों को अपनी आलोचना के समय संयम से काम लेना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री यलमंदा रेड्डी** (मारकापुर): आयोग का प्रतिवेदन डेढ़ वर्ष बाद रखा जा रहा है । अतः मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि प्रतिवेदन पर यथा समय चर्चा की जानी चाहिये ।

जहां तक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये ज्ञापन का प्रश्न है उसमें यद्यपि प्रमुख नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर चर्चा की गयी है तथापि पदोन्नति तथा नियुक्तियों के सम्बन्ध में जहां आयोग तथा सरकार का मतभेद हुआ है वहां कोई विस्तृत व्याख्या नहीं की गयी है । इसके साथ अनियमिताओं और विलम्ब के भी कई मामले हुए हैं तथापि विलम्ब का कोई कारण नहीं दिया गया हैं ।

जहां तक असैनिक सेवाओं का प्रश्न है इन सेवाओं में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जनता की भावनाओं को समझने और उनके अनुरूप कार्य करने की क्षमता तथा प्रवृत्ति हमारे प्रशासनिक अधिकारियों में नहीं दिखायी देती है ।

हमारी शिक्षा तथा सेवाओं के सम्बन्ध में लोगों के विभिन्न मत हैं । तथा सेवाओं में परिवर्तन लाने के लिये यह आवश्यक है कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिये ।

संयुक्त प्रशासनिक परीक्षाओं के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं । इससे परीक्षार्थी को एक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे ।

जहां तक परिवीक्षा की अवधि को एक से बढ़ा कर दो वर्ष करने का सुझाव है मैं इसका स्वागत करता हू इससे अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने के पूर्व व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का और अधिक अवसर प्राप्त होगा । मेरा सुझाव है कि इन अधिकारियों को एक वर्ष तक तालुक या गांव स्तर पर रखा जाये तथा उन्हें सामुदायिक विकास तथा ब्लॉक प्रशासन इत्यादि का कार्य समझाया जाये । इससे वे जनता के निकट सम्पर्क में रहेंगे और जनता की कठिनाइयों को समझ सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यल्लमंदा रेड्डी]

जहां तक पुलिस द्वारा जांच का प्रश्न है यह कार्य स्वयं लोक संघ आयोग द्वारा किया जाना चाहिये । इस समय यह स्थिति है कि जो भी साम्यवादी दल से सम्बन्धित है या उनसे सहानुभूति रखता है या किसी ऐसी संस्था या दल से सम्बन्धित है जो कि साम्यवादी दल से संयोजित है उनको सेवाओं से बाहर ही रखा जाता है । यह बात संविधान में दिये गये अधिकारों का हनन है ।

यद्यपि इस सम्बन्ध में गृह मंत्री ने यह कहा है कि उन्होंने राज्यों को कोई परिपत्र नहीं भेजा तथापि वास्तव में जो कुछ किया जा रहा है वह अनुचित है । सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों से दूर रखने की सलाह दी है जो कि ध्वंसात्मक कार्यों से सम्बन्धित संस्थाओं से सम्बन्ध रखते हों । एक टिप्पण में ध्वंसात्मक कार्यों से सम्बन्धित संस्थाओं के नाम में साम्यवादी दल, स्वतत्र दल, जन संघ तथा क्रांतिकारी समाजवादी दल का नाम भी शामिल है । यह बात अत्यन्त अनुचित है ।

मैं ऐसे कई उदाहरण जानता हूं कि कई व्यक्तियों को केवल इस कारण नौकरी से हटा दिया गया कि उनके कांग्रेसियों से अच्छे सम्बन्ध नहीं थे । उन्हें नौकरी से हटाते समय कोई कारण नहीं दिया गया ।

मेरे कथन का तात्पर्य केवल यह है कि केन्द्र में गृह मंत्रालय जिस नीति का पालन कर रहा है वह अनुचित है । यह बात संविधान और देश की भावनाओं के प्रतिकूल है ।

जहां तक विशेष उदाहरणों का सम्बन्ध हैं मैं स्वयं एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दे सकता हूं जो कि इंजीनियर था किन्तु उसे केवल इस कारण नौकरी से हटा दिया गया कि उसके विरुद्ध एक शिकायत की गई । उसे बिना कारण बताये नौकरी से हटा दिया गया ।

जहां तक गृह मंत्रालय का सवाल है, वह अभ्ययावेदनों पर कभी विचार नहीं करता है ।

सरकार ने आयोग द्वारा की गयी आपत्तियों के जो उत्तर दिये हैं वे भी उपहासप्रद हैं । यदि सरकार चाहती तो कारणों को विस्तारपूर्वक लिख सकती थी । यद्यपि केवल चार मामले ही लिखे गये हैं तथापि इन मामलों से यह पता चलता है कि किस प्रकार आयोग की उपेक्षा की जाती है ।

कई भारतीय प्रशासन तथा असैनिक सेवाओं के अधिकारी पद निवृत्ति के पश्चात् गैर-सरकारी फर्मों में ऊंचे वेतनों पर पुनः नियुक्त हो जाते हैं । सरकार को इस सम्बन्ध में कोई निश्चय करना चाहिये । साथ साथ इस बात का भी उपबन्ध होना चाहिये कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् कुछ निवृत्ति वेतन दिया जाये ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन का स्वागत करता हूं जिसे कि आज माननीय गृह मंत्री ने सभा पटल पर रखा है । हमारे संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग और लोक सेवा आयोग को विशेष संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि इनके द्वारा हमें अपना प्रशासन धर्म निरपेक्ष तथा लोकतंत्रीय आधार पर चलाने में सहायता मिलती है । सरकारी विभागों की विभिन्न सेवाओं के लिए कर्मचारी इस आयोग द्वारा भर्ती किये जाते हैं । यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आयोग इस कार्य को बहुत ही अच्छी प्रकार से कर रहा है ।

इस प्रतिवेदन के पृष्ठ २ पर लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग से दिल्ली में परामर्श किया करेगा । मेरा निवेदन है कि संघ लोक सेवा आयोग को इस प्रकार का

---

†मूल अंग्रेजी में

वातावरण निर्माण करना चाहिये कि लोगों को इन निकायों में विश्वास हो जाय । पिछड़े हुए लोगों को वे संरक्षण अवश्य दिय जायें जिनकी संविधान में व्यवस्था है । परन्तु मैंने यह सुझाव दिया था कि इन संरक्षणों के लिये १५ अथवा २० वर्ष का समय निर्धारित कर लेना चाहिए । राज्यों के आयोगों को संघ आयोग के साथ औपचारिक रूप में एक स्तर पर रखना चाहिए ।

भर्ती और पदोन्नति के बारे में हमेशा सरकार ने आयोग की बात मानी है । परन्तु मैं दो बाते सिद्धान्त की करता हूं । एक यह कि आयोग का कहना है कि जब वह परिश्रम करके किसी व्यक्ति को, किसी स्थान के लिए चुनती है तो सरकार उन्हें बता देती है कि सरकार उस पद को नहीं भर रही । दूसरे यह कि विलम्ब से स्थान भरे जाते हैं । इस बारे में आयोग ने जो सरकार से सिफारिश की है उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है । मैं माननीय मंत्री से यह भी पूछना चाहता हूं कि कई विभागों में भर्ती के नियम ही नहीं हैं, एसा क्यों है । मेरा निवदन है कि इस प्रकार की शिकायतों का अवसर अगले प्रतिवेदन में नहीं आना चाहिए क्योंकि आयोग की शान को कायम रखा जाना चाहिए। मैं तो लोक सेवा आयोग को केन्द्र में भी और राज्यों में भ: किये गये कामों के लिए बधाई देता हूं और उसकी सराहना करता हूं । और उन्हें अपने पूरे सहयोग का वचन देता हूं । आयोग सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा** (आनन्द): सघ लोक सेवा आयोग का यह प्रतिवेदन काफी अच्छा है । मैं इसका स्वागत करता हूं । आयोग का काम वर्ष-प्रति-वर्ष बढ़ता जा रहा है । अब आयोग प्रति वर्ष ३४,३४९ प्रार्थना पत्रों पर विचार और कार्यवाही करता है । और बड़ी सराहनीय बात है कि आयोग उन सभी पर बड़ न्यायपूर्ण ढंग से विचार करता है ।

मैं चाहता हूं कि भारतीय प्रशासकीय अधिकारियों को भी उतने ही अच्छ ढंग से प्रशिक्षित किया जाये जितने अच्छे ढंग से पहले आई० सी० एस० अधिकारियों का प्रशिक्षण होता था ।

संसार के हर देश में सरकारों को इन अधिकारियों पर ही निर्भर करना पड़ता है । राज नीतिज्ञों को उन के नित्य प्रति के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । सरकार को एक सामान्य नीति निर्धारित कर देनी चाहिये और उसे अमल में लाने का काम अधिकारियों पर छोड़ देना चाहिये ।

मेरा एक अनुरोध है कि संघ लोक सेवा आयोग को अपना प्रतिवेदन गृहकार्य मंत्रालय को भेजने में इतना विलम्ब नहीं करना चाहिये ।

संघ लोक सेवा आयोग को चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक और अन्य प्राविधिक पदों के लिये उपयुक्त उम्मीदवार यथेष्ट संख्या में नहीं मिलते । इन प्राविधिक उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं की ओर आकर्षित करने का विशेष प्रयास किया जाना चाहिये ।

लेकिन वे आकर्षित तभी होंगे, जब उनके वेतनों मे वृद्धि की जायेगी । अन्यथा वे निजी फर्मों में जाना ही अधिक पसन्द करेंगे । माननीय गृह-कार्य मत्री को इस पर विचार करना चाहिये ।

ऐसे कई लोग प्राविधिक अर्हतायें प्राप्त करने विदेशों में जाते हैं । उनको स्वदेश लौटने पर उपयुक्त पद दिये जाने चाहियें । मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनको स्वदेश लौटने पर उपयुक्त पद नहीं मिल पाये हैं ।

रक्षित पदों के लिये अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते । प्रसन्नता की बात है कि सरकार उनको प्रशिक्षित करने का समुचित प्रयास कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा]

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि विभिन्न मंत्रालयों में उचित सहकार्य नहीं है । सहकार्य स्थापित किया जाना चाहिये ।

सरकार को आयोग में कुछ गैर-सरकारी, जिम्मेदार व्यक्तियों को भी लेना चाहिये । निवृत्त सरकारी अधिकारियों की अपेक्षा, वे कहीं शीघ्रता से देश की स्थिति को समझ सकते हैं । वे अधिक प्रगतिशील दृष्टिकोण रख सकते हैं ।

चुनावों की प्रणाली के बारे में मुझे यही कहना है कि उम्मीदवारों को ही चुनाव के समय अधिक बोलने देना चाहिये और उसके आधार पर उसके बारे में राय बनानी चाहिये । चुनावकर्त्ताओं द्वारा अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं । यह प्रणाली पुरानी पड़ गई है ।

ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवार तौरतरीकों और शहरी शिष्टाचार में उतने मजे हुए नहीं होते, शायद इसीलिये उनका चुनाव नहीं होता । इसलिये तरीका ऐसा अपनाया जाना चाहिये, जिससे कि उम्मीदवारों को इसकी जानकारी हो जाये ।

उम्मीदवारों का स्तर अब पहले जितना ऊंचा नहीं रहा है । इसका एक मुख्य कारण यह है कि देश में शिक्षा का स्तर काफी गिर गया है । उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाना चाहिये कि वे कौन सी पुस्तकें पढ़ें । उम्मीदवारों का सामान्य ज्ञान बहुत ही मामूली होता है । कम से कम हम लोगों के जीवन-काल तक अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं को माध्यम बनाये रखना चाहिये । मद्रास से आने वाले लोगों को हिन्दी सीखने में बड़ी कठिनाई पड़ेगी ।

दूसरी चीज यह कि विभिन्न लोक सेवा आयोगों और विश्वविद्यालयों के बीच सम्पर्क रहना चाहिये । विश्वविद्यालयीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के दो-तीन महीनों के अन्दर ही उम्मीदवारों का पंजीयन हो जाना चाहिये और उनको उपयुक्त पद दिलाये जाने चाहियें ।

†**श्री बाकर अली मिर्जा** (वारंगल): यह एक बड़ा अच्छा प्रतिवेदन है । श्री रेड्डी ने शिकायत की है कि कुछ लोगों को कुछ कारणों से सेवा से हटा दिया गया है । बिना यथेष्ट कारण हुए, उनको सेवा से नहीं हटाया जा सकता । इसलिये मेरी राय है कि श्री रेड्डी अपने वकील से सलाह मशविरा करें । यदि उसमें प्रविधि सम्बन्धी कोई त्रुटि होगी तो न्यायालय उनकी पुनः नियुक्ति का आदेश दे सकता है ।

श्री रेड्डी ने यह भी कहा है कि एक ऐसा परिपत्र जारी किया गया है कि कम्युनिस्टों को भर्ती न किया जाये । मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि ऐसा परिपत्र जारी नहीं किया जाना चाहिये, यदि जारी किया गया है तो इसलिये कि २१–२२ की कच्ची उमर में युवक बड़े शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं और किसी गरम दल में भी शामिल हो जाते हैं । सेवा में उनकी भर्ती करना ही उनको उससे विमुख करने का सर्वोत्तम मार्ग है । ब्रिटिश शासक यही करते थे ।

माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार ने आयोग की १२,८०० सिफारिशों में से केवल ४ ही नहीं मानी हैं । इंगलैंड में तो पिछले २५ वर्ष के दौरान आयोग की एक भी सिफारिश सरकार ने अस्वीकृत नहीं की । एक सिफारिश भी अस्वीकृत करने से आयोग की प्रतिष्ठा पर आंच तो आ जाती है । इसलिये यह कहना पर्याप्त नहीं कि केवल ४ मामलों में ही सिफारिशें नहीं मानी गई हैं । फिर इंगलैंड और हमारे देश की परिस्थितियों में काफी अन्तर है । इंगलैंड में शिक्षित वर्गों में बेरोजगारी का कोई प्रश्न ही नहीं । और, हमारे देश से भिन्न, इंगलैंड में सिफारिश कराना उम्मीदवार के हित में पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

और सरकार तथा आयोग के दृष्टिकोण में अन्तर है। सरकार प्रशासन की दृष्टि से व्यावहारिकता के आधार पर उम्मीदवारों को जांचती है, जब कि आयोग की कसौटी न्यायिक होती है। सरकार के सचिव तो आयोग को व्यर्थ की चीज़ समझते हैं। इसलिये दोनों के बीच सामंजस्य का एक उचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिये। ३–४ सिफारिशों को भी अस्वीकृत करके वातावरण बिगाड़ना नहीं चाहिये।

केन्द्र और राज्यों में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिये कि आयोग ही सर्वोच्च निकाय है। आयोग द्वारा चुने गये उम्मीदवारों की नियुक्ति निश्चित होनी चाहिये।

कभी-कभी राज्य सरकारों के प्रशासक राज्य लोक सेवा आयोगों पर कई तरह से प्रभाव डालने की चेष्टा करते हैं। केन्द्र में भी ऐसा होता है, पर उसे रोकने का कोई साधन नहीं। हां, राज्यों में यदि आयोगों की नियुक्ति राज्यपालों को न सौंपी जाये, तो इसका निराकरण हो सकता है। आयोगों के सदस्य नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति मुख्य मंत्रियों के आभारी रहते हैं।

इसलिये राज्य आयोगों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति को करनी चाहिये। उसमें साम्प्रदायिकता या प्रान्तीयता का कोई विचार नहीं होना चाहिये। इससे आयोगों की प्रतिष्ठा बढ़ जायेगी। सभी सरकारी उपक्रमों को भी संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में लाना चाहिये।

और, आयोग को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी अधिकारियों के काम का पूरा रिकार्ड रखना चाहिये। ऐसे अधिकारियों का गोपनीय वृत्त (कान्फीडेन्शल रिपोर्ट) नियमित रूप से आयोग के पास भेजा जाना चाहिये। तब प्राधिकार का कोई दुरुपयोग होने की सम्भावना नहीं रहेगी।

मौखिक परीक्षाओं के लिये कहा जाता है कि उन से उम्मीदवारों की असल काबलियत का पता नहीं चलता। मैं इससे सहमत नहीं। हम यहां एक घण्टे के प्रश्न-काल में माननीय मंत्रिगण की जानकारी का तत्व पता लगा लेते हैं। इसलिये इसके विशेषज्ञ उम्मीदवारों की असलियत का भी पता चला सकते हैं।

आयोग के सदस्यों का यह प्रयोजन नहीं होता कि वे उम्मीदवारों की समूची जानकारी का पता लगायें। वे तो उसकी क्षमता जानना चाहते हैं। इसलिये मौखिक परीक्षा को उचित महत्व दिया जाना चाहिये।

परीक्षाओं का माध्यम चाहे जो रखा जाये, पर मुख्य बात यह है कि उम्मीदवारों में यह भावना नहीं जमनी चाहिये कि किसी प्रदेश विशेष के उम्मीदवारों को विशेष सुविधा रहती है।

अनुसूचित जातियों के साथ हम को सहनुभूति हो सकती है, पर इसके द्वारा उनके अन्दर हीनता की भावना पैदा नहीं होने देनी चाहिये। उनके कल्याण की कामना करने वालों को इस पर जोर देना चाहिये।

अच्छा होता यदि सरकार द्वारा की जाने वाली तदर्थ नियुक्तियों का भी इस प्रतिवेदन में उल्लेख कर दिया जाता।

†**श्री स्वैल** (आसाम—स्वायत्त जिले) : मैं संघ लोक सेवा आयोग के इस ग्यारहवें प्रतिवेदन के दो ही पहलूओं को लूंगा। प्रतिवेदन के सामान्य विषय और अनुसूचित आदिम जातियों की समस्या। मैं अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिये मुझे उनके बारे में अधिक जानकारी है। मैं उनके बारे में अधिकारपूर्वक कह सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स्वैल]

इस प्रतिवेदन के बारे में, मैं श्री सराफ की इस बात से सहमत हूं कि यह एक सराहनीय प्रतिवेदन है। संघ लोक सेवा आयोग एक संविहित निकाय है और उसे राष्ट्र के जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट अदा करना है।

यदि आप बुनियादी तौर पर देखें, तो राष्ट्र के लिये वास्तव में महत्वपूर्ण उसका चरित्र ही है। प्रशासन की किस्म तब तक अच्छी नहीं हो सकती, जब तक कि राष्ट्र का चरित्र ऊंचे किस्म का नहीं बनता।

लोक सेवा आयोग ने सरकारी मंत्रियों के निर्णयों पर खाली मुहर लगाने से इन्कार करके बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रतिवेदन में इसका उल्लेख है।

दिल्ली में बिजली का जो संकट हुआ था उसके पीछे कुप्रशासन ही है। दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम में कई गुट बने हुए हैं। यदि लोक सेवा आयोग सावधानी नहीं रखेगा, तो पूरा प्रशासन भ्रष्ट हो जायेगा।

प्रतिवेदन में बताया गया है कि आयोग द्वारा चुने गये ९३ ८० प्रतिशत उम्मीदवार उपयुक्त सिद्ध हुए हैं। लेकिन दिल्ली के बिजली संकट को देखते हुए यह दावा शत प्रतिशत उचित नहीं मालूम पड़ता। फिर भी देश के प्रशासन को स्थायित्व देने का श्रेय लोक सेवा आयोग को ही है।

परिवीक्षा के काल के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय और लोक सेवा आयोग में मतभेद है। मैं आयोग के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं कि परिवीक्षा काल एक वर्ष का रखा जाये। परिवीक्षा-काल दो वर्ष का ही होना चाहिये। गृह-कार्य मंत्रालय की इस राय से मैं सहमत हूं।

अनुसूचित आदिम जातियों की समस्या का इस प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है। गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भी अपने भाषण में कहा था कि पर्याप्त संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये रक्षित पदों को भरा नहीं जा सका। प्रतिवेदन में कहा गया है कि चुनाव के बारे में उनको विशेष सुविधायें दी जाती हैं। मैं यह पसन्द नहीं करता। इससे तो लगता है कि वे कुछ हीन श्रेणी के लोग हैं। आयोग को प्रतिवेदन में इस तरह की बातें नहीं लिखनी चाहियें।

मैं अनुसूचित आदिम जातियों के कई ऐसे उम्मीदवारों को जानता हूं जिन्होंने अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में बड़ी-बड़ी सफलतायें प्राप्त की हैं। उनमें से कई मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं उनके साथ कोई विशेष रियायत नहीं की गई।

मैं आसाम के अनुभव से कह सकता हूं, कि यदि अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को अवसर दिया जाये, तो वे अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले कहीं ज्यादा करके दिखा सकते हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय अनुसूचित आदिम जातियों को विशेष तौर पर छात्रवृत्तियां और विशेष रियायतें देता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसका विशेष प्रबन्ध है। लेकिन मेरे क्षेत्र से तो किसी ने भी इसका लाभ नहीं उठाया है। इन परीक्षाओं के लिये किसी प्रकार के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि समुदाय विशेष का स्तर ऊंचा उठाया जाये।

सेवाओं में बंगालियों का अनुपात इसीलिये अधिक है कि सब से पहले बंगाल को ही पाश्चात्य ढंग की शिक्षा पाने का अवसर मिला था। लेकिन आजादी मिलने के पन्द्रह वर्ष बाद तक भी भारत सरकार ने आसाम के पर्वतीय इलाकों में एक भी कालेज नहीं खोला है। आदिम जातियों में शिक्षा का जो थोड़ा बहुत प्रसार हुआ भी है, वह ईसाई मिशनरियों के जरिये ही। सरकार जब पद रक्षित करने की बात, शिक्षा की सुविधाओं के प्रसार के बिना करती है, तो मुझे उस में कुछ-कुछ पाखंड की बू आती है।

आसाम के पर्वतीय इलाकों की सब से बड़ी आवश्यकता है वहां एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री इस पर विचार करें।

†**श्री अब्दुल्लगनी गोनी** (जम्मू तथा कश्मीर) : मैं संघ लोक सेवा आयोग के इस प्रतिवेदन का स्वागत करते हुए, आयोग के सदस्यों का अभिनन्दन करता हूं। आयोग ने अपने आप को सरकार के प्रभाव से स्वतंत्र सिद्ध कर दिया है। आयोग देश के प्रशासनिक ढांचे को एक उच्च स्तर पर रखने के लिये प्रयत्नशील है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या जम्मू तथा कश्मीर और शेष भारत की चिकित्सीय इंजीनियरिंग और वन-सेवाओं को एकीकृत करने से राज्य की सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की श्रेणी में जम्मू तथा कश्मीर के जितने भी अधिकारी अन्य राज्यों में तैनात हैं, उनको वहां से स्थानांतरित करके जम्मू तथा कश्मीर राज्य में भेजा जाना चाहिये, जिससे कि हमारे यहां की प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ सके।

अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में पिछड़े वर्गों की उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। श्री बाकर अली मिर्ज़ा ने इस सम्बन्ध में बहुत ठीक कहा है। श्री स्वैल ने भी ठीक कहा है कि आजकल सेवाओं में बंगाल, पंजाब, दिल्ली या मद्रास के लोगों की ही प्रधानता है।

आजकल प्रशासन का स्तर ऊंचा हो रहा है। फिर भी कुछ पिछड़ी जातियों और जम्मू तथा काश्मीर जैसे कुछ पिछड़े क्षेत्रों को अखिल भारतीय सेवाओं में प्रतिनिधत्व प्राप्त नहीं हैं।

सरकार की संस्थाएं शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं देती है। लोग गैर सरकारी संस्थाओं में अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। यदि सेवाओं में अच्छे व्यक्तियों को लेना है तो हमें सरकारी संस्थाओं में शिक्षा सम्बन्धी स्तरों की ओर ध्यान देना चाहिए।

सब जातियों को सेवा में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

कुछ पदों को आवश्यक योग्यता के व्यक्ति न मिलने के कारण रखना पड़ता है। यह इस बात का धोतक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई कमी है। इस कमी को दूर किया जाना चाहिए। जब तक हम शिक्षा का और आचरण का स्तर ऊंचा नहीं करते तब तक सेवाओं के लिए अच्छे व्यक्ति नहीं मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय प्रशासन सेवा का स्तर आई० सी० एस० के बराबर नहीं है। सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए। यदि हमारे अधिकारी अच्छी प्रकार काम करें तो देश का उत्थान हो सकता है। यदि वे अपना स्तर ऊंचा कर दें तो देश का स्तर ऊंचा हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : सेवाओं के लिए अच्छे कर्मचारी वर्ग न मिलने का दोष संघ लोक सेवा आयोग पर नहीं है, परन्तु हमारी शिक्षा प्रणाली पर है। शिक्षा को अच्छा बनाना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणुका राय]

आयोग पर निर्भर नहीं है । यह तो सरकार का उत्तरदायित्व है । सेवा के लिए अच्छे कर्मचारी वर्ग तभी मिल सकते हैं जब शिक्षा प्रणाली अच्छी हो ।

विभिन्न मंत्रालयों में इस बात पर समन्वय नहीं है कि उन्हें कैसे कर्मचारी चाहिऐ ।

तृतीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जितने कर्मचारी चाहिए उनके सम्बन्ध में पूर्ण प्रोग्राम बना लेना चाहिएं था ।

संघ लोक सेवा आयोग का जो इस समय गठन है वह औद्योगिक प्रबन्ध के लिए नियुक्तियां ठीक प्रकार से नहीं कर सकता, क्योंकि औद्योगिक नियुक्तियों के लिए व्यक्ति चुनने का उन्हें तजुर्बा नहीं है । सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए । या तो उन्हें औद्योगिक प्रबंध के लिए व्यक्ति चुनने के लिए अन्य आयोग नियुक्त करना चाहिए या इस आयोग में ही उचित व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए । सरकार को इस सम्बंध में कदम उठाने चाहिएं ।

कई बार सरकार को अचानक अधिकारियों की आवश्यकता पड़ जाती है । प्रक्रिया के अनुसार ऐसी नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर होनी चाहिए। परन्तु समय न होने से सरकार ऐसी नियुक्तियां कर लेती है और बाद में आयोग को निर्देश करती है । आयोग को ऐसी सब नियुक्तियों को संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए ।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

आपातकाल ने नियुक्तियों में संबंध में उचित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा सकता । ऐसे मामलों में आयोग किसी कदर व्यवहार को नहीं अपना सकता । उसे प्रयेक मामले के गुण दोषों पर विचार करना चाहिए । सरकार को निर्देश विलम्ब में भी करने चाहिए । आयोग के सदस्यों की संख्या बढा देनी चाहिए या और कोई प्रबन्ध करना चाहिएं जिससे कि नियुक्तियों के सम्बन्ध में सरकार शीघ्र निर्णय ले । जब तक ऐसा नहीं होता, उस समय तक वर्तमान प्रक्रिया का ही अनुसरण करना पड़ेगा ।

गृह कार्य मंत्री यह बताएं कि संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों के लिए परिवीक्षा की अवधि को एक की बजाय दो वर्ष क्यों कर दिया गया है ।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम को प्रादेशिक भाषाएं रखने से क्षेत्रीय संकीर्ण प्रवृत्तियां उत्पन्न होंगी । राष्ट्रीय एकता को हानि होगी । इससे अखिल भारतीय सेवाओं के उद्देश्य की पूर्त्ति नहीं हो सकेगी । मैं गृह कार्य मंत्री से कहती हूं कि वे प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा माध्यम बनाने के प्रश्न पर अखिल भारतीय सेवाओं के दृष्टिकोण से विचार करें ।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** (राजनन्दगाव) : राज्यों के पुनर्गठन के बाद लोक सेवा आयोग के सामने कई मामले आए हैं । मध्य प्रदेश के कई मामले भी थे । दुर्भाग्यवश कई मामले इस समय भी लम्बान हैं । बहुत से सम्बद्ध व्यक्ति पहले ही मर चुके हैं या सेवा निवृत्त हो चुके हैं । उन मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए ।

जहां तक सैनिक अधिकारियों में दूसरी नियुक्तियों के किए जाने का संबंध है, इन्हें ४५–४६ तक की आयु में निवृत्त हो जाने वाले अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए । इन्हें शीघ्र सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए भी खुला होना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक सेवा आयोग का सभापति सिविल सर्विस का आदमी नहीं होना चाहिए क्योंकि उस का दृष्टिकोण अधिकारियों की ओर अधिक झुका होता है। सिविल सर्विस के निवृत्ति प्राप्त व्यक्तियों को लोक सेवा आयोगों में नहीं लेना चाहिए।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को इलाहाबाद में प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं दी गई हैं। पिछड़े हुए वर्गों को वे सुविधाएं दी जानी चाहिएं।

आई० एस० ए० अधिकारियों के लिए परिवीक्षण का काल दो वर्ष कर दिया है। यह अच्छा किया है, क्योंकि एक वर्ष की अवधि अपर्याप्त थी। मेरे विचार में तो इसे और भी अधिक किया जाना चाहिए, क्योंकि २५–२६ वर्ष की आयु के नए आ०ई०एस० अधिकारियों को प्रशासन या तजुर्बा भी होता।

कुछ राज्यों में हिन्दी शिक्षा-माध्यम है। वहां के व्यक्तियों के लिए मौखिक परीक्षा केवल अंग्रेजी में होने से हानि होती है। मौखिक परीक्षा उन व्यक्तियों के लिए हिन्दी में होनी चाहिए जिन्होंने अपनी शिक्षा हिन्दी के माध्यम में पाई है।

पुनर्गठन राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के मामलों को शीघ्र निपटाना चाहिए।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अधिष्ठाता महोदय, मैं भी सदन के सामने पब्लिक सर्विस कमीशन के सम्बन्ध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

मैं आप के द्वारा उप गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सब से पहले इन्टरव्यू के सिस्टम को खत्म किया जाये, जिसका सिलसिला बहुत ग़लत है। मैं एशिया की सब से बड़ी यनिवर्सिटी का सेनेटर रहा हूं। रुड़की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैं ने अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल क्लोज़ टच से देखा है कि जो स्टुडेंट्स हर तरह से फ़र्स्ट आते हैं, वे इन्टरव्यू में उतने अच्छे नहीं रह सकते। हम हर जगह देखते हैं, हर इम्तहान में देखते हैं कि एक लड़का अच्छे से अच्छे नम्बरों से पास होता है, यूनिवर्सिटी का रिकार्ड बीट करता है, उस का स्वास्थ्य, उस के मारल्ज़, उस का, सदाचार, उस का चरित्र सब से ऊंचा है और आज तक वह कभी किसी तरह से भी पीछे नहीं रहा है लेकिन जब वह इन्टरव्यू में जाता है, तो बन्द मकान के अन्दर उस को रिजक्ट किया जाता है, थर्ड नम्बर पर पास किया जाता है।

जितन करप्शन होते हैं, वे बन्द कमरे के अन्दर, अन्धेरे में होते हैं। जब हम ने "फ़ेयर फ़ील्ड एंड नो फ़वर" का वादा किया है, तो फ़ेवर करन का मौका न दिया जाय। आधी रात के अंधरे में हम ने आजादी ली थी, इसलिए हम फल-फूल न सके। अगर हम प्रभात की किरणों में, आफ़ताबे-आलम की शुआओं में, जिस ववत दान होता है, जिस ववत सुबह-ए-सादिक का ज़हूर होता है, आज़ादी लेते, तो आज इस देश में दूध की घी नदियां बहती होतीं, आज चमन खिले हुए होते। बन्द कमरे में बुला कर इन्टरव्यू के नाम से उन लड़कों को फ़ेल करना, जो कि यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट आए हुए हैं, एक बड़ा इनजस्टिस है।

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य को कुछ नियन्त्रण रखना चाहिए। वे "अन्धेरा" और दूसरी चीज़ों के बारे में कहते हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, वह उन के ज़ाती इल्म की बात नहीं है। वह तो अपने इन्फ़ेरेन्सेज़ दे रहे हैं। वे इन्फ़ेरेन्सेज़ सही है या ग़लत, इस बारे में अलग अलग राय हो सकती है, इस लिए उन पर ज्यादा जोर न दे कर माननीय सदस्य वाकयात पर ही ज़ोर फ़रमायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : मैं आपके द्वारा उप-गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा का स्तर हमारे लिए इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम यह देख रहे हैं कि जो लड़के हुशियार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, उनको इन्टरव्यू में क्रेडिट नहीं मिलता है। इसलिए ओपन एग्जामिनेशन्ज किये जायें।

इसके बाद मेरी सलाह यह है कि जो नौजवान आई० ए० एस० होकर के जाते हैं, उन के लिए यह ला बनाया जाये कि वे जनतंत्र की आंधियों के बीच में न रगड़े जायें। जो लोग आई० ए० एस० में जाते हैं या किसी दूसरी ऊंची सर्विस में पास हो कर जाते हैं, उनको उन प्रैशर्ज से बचाया जाये, जो कि चारों तरफ़ से उन पर पड़ते हैं, उनको उन लोगों के असर से बचाया जाये, जो कि जनतंत्र में किसी तरह से चेयरमैन या एम० पी० या एम० एल० ए० होकर आ गए हैं। मैं अपनी आंख से देखता हूं कि एक ऊंचे से ऊंचा आफ़िसर है और उसका मुआयना कौन लिखता है? उस का मुआयना लिखता है वह दर्जा चार पास आदमी, जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बन गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का स्थान ऊंचा है। जिस के पास कैरेक्टर है, चरित्र है, विद्या है, बुद्धि है, उसका स्थान इन इलैक्शनों से ऊंचा है। यह हमारे सारे समाज की कमजोरी है और मैं इसे जनतंत्र का अभिशाप कहता हूं कि एक एम० ए०, एल० टी० पास व्यक्ति प्रिंसिपल है, जिस ने डाक्ट्रेट ली हुई है, और उस का मुआयना लिखता है एक चेयरमैन जो दर्जा चार पास है।

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्यानां च व्यतिक्रम :
त्रीणि तत्र प्रवर्त्तन्ते दुर्भिक्षं मरंण भयम्।

जहां अविद्वान लोग विद्वानों का मुआयना लिखते हैं, जहां सेमी-एडुकेटिड, हाफ़-कल्टर्ड, हाफ़-एडुकेटिड लोग एम० ए० एल० टी०' लोगों का मुआयना लिखते हैं, वह समाज बुझ जाया करता है। समाज में विद्या, बुद्धि और प्रतिभा को ऊंचा स्थान मिलना चाहिये। इसलिये मेरा सजेस्टियन है कि इस जनतंत्र के बवंडर के उन लोगों को दूर रखना चाहिये।

वह समय चला गया, जब हम अंग्रेज़ी से अपने नौजवानों की काबलियत को नापते थे। यह हमारे देश के ऊपर बड़ा भारी डिस्ग्रेस है, बड़ा भारी कलंक है,। इस से बढ़ कर हमारे समाज की हिमाकत नहीं हो सकती। आज इतने दिन हो गये जब हम ने अपने कांस्टीट्यूशन में यह पास किया था कि हिंन्दी हमारी राष्ट्र-भाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ी आहिस्ता आहिस्ता जायगी। वह आहिस्ता आहिस्ता नहीं जा सकती। यह थक-कलम जायगी, तभी काम चलेगा। इंडोनेशिया में स्वतंत्रता के अगले ही दिन उनकी अपनी जुबान में काम होना शुरू हो गया। आयरलैंड में डोवैलेरा ने कहा था, "अगर तराजू के एक पलड़े पर हमारे देश की स्वतंत्रता को रखा जाये और दूसरे पलड़े पर देश की मातृ-भाषा को रखा जाय, तो मैं देश की स्वतंत्रता को छोड़ दूंगा और मातृ-भाषा को अपना लूंगा। क्योंकि अगर मेरी मातृभाषा रहेगी तो आजादी तो वापिस आ जायगी लेकिन अगर मातृभाषा नष्ट हो गई तो आजादी वापिस नहीं आ सकती।" जिस दिन आयरलैंड आजाद हुआ उससे अगले दिन से वहां पर गैलिक भाषा में काम आरम्भ हो गया। इस वास्ते सब से पहली जरूरत इस बात की है कि पब्लिक सर्विस कमिशन के इम्तहानों में से अंग्रेज़ी भाषा के कलंक को खत्म किया जाय, इस कलंक को मिटाया जाय,। जिन की जुबान, जिनकी वाणी जिन का मनन अध्ययन आदि विदेशी हो चुके हैं, उन्हें बदलना पड़ेगा और बदल करके यह दिखाना होगा कि हमारी मातृभूमि में मातृभाषा ही पनप सकती है, दूसरी भाषा नहीं पनप सकती है।

जहां हमें जरूरत है और स्टैंडर्ड हम ऊंचे करें, वहां पर इस बात की भी जरूरत है कि हम चरित्र का तथा सदाचार का भी स्टैंडर्ड कायम करें। पब्लिक सर्विस कमिशन को अपने सामने यह

कानून रखना होगा, यह नियम रखना होगा कि जो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, चरित्रहीन है उस को किसी भी हालत में सर्विस में न लिया जाय, फिर चाहे वह कितने ही ऊंचे स्टैंडर्ड का क्यों न हो। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें भारतीय संस्कृति का निर्माण करना है और दूसरी तरफ हम डिग्री को, कागज के इस टुकड़े को ही काबलियत का मैयार समझ बैठे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि जो भी सर्विस में लिया जाय उस का शील, सदाचार और उस का चरित्र सब से ऊंचा होना चाहिये। हमारे समाज के कंस्ट्रक्शन में अगर चरित्र का कोई स्थान नहीं होगा, अगर कारेक्टर का कोई स्थान नहीं होगा तो समाज समाप्त हो जायगा, समाज तरक्की नहीं कर सकेगा। मुझे याद है शैले ने एक जगह पर लिखा है :—

"राजनैतिक और नैतिक विज्ञानों का अलग किया जाना संसार की सब से बड़ी भूल थी।"

जब तक हमारे जीवन में चरित्र नहीं आयगा, तब तक हम अपने मन, वचन और कर्म से चरित्र को साबित नहीं करेंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इस वास्ते पब्लिक सर्विस कमिशन के सामने यह नियम होना चाहिये कि चरित्रहीन लोगों को सर्विस में न लिया जाय। सब से पहले आज इसी बात की जरूरत है कि हमारे लोग यह समझें कि हमें इस देश का निर्माण करना है। मुझे याद है कि डिप्टी कलक्टर के इम्तहान में एक नौजवान से यह पूछा गया था कि नर्गिस कहां पैदा पैदा हुई थी। वह नौजवान बहुत होशियार था। उस ने कहा कि सरकार मुझे पता नहीं था कि इन रकासाओं के बारे में इन कुलटियों के चरित्र के बारे में जानकारी रखने की भी इम्तहान में जरूरत होती है और आइंदा मैं इस को भी पढ़ कर आऊंगा। इस वास्ते मेरा कहना केवल इतना ही है कि देश में चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दी जाय।

मैं एक यह बात भी बड़ी निर्भीकता के साथ कहना चाहता हूं कि जिन्हें शैड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है, जिन को अब भी अनटचेबल्ज़ कहा जाता है उन की इमदाद होनी चाहिये, उन पर लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया जाना चाहिये और उन को खुशहाल बनाने की हर सम्भव कोशिश होनी चाहिये। लेकिन अगर उन को एडमिनिस्ट्रेशन में रिजर्वेशन के नाम से लिया गया तो एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जायगा। हमारे हरिजन भाई जो ऊंचे से ऊंचा चरित्र हासिल करना चाहते थे अपने नाम के सामने दयानन्द व्यास, उदयवीर सिंह गहलौत आदि लिखते थे लेकिन अब उन्होंने रिजर्वेशन के बाद गहलौत, पंडित व्यास आदि लिखना छोड़ दिया है, ठाकुर लिखना छोड़ दिया है और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि बनने जा रहे थे वे दुबारा चमार, भंगी बन रहे हैं।

तैयार थे नमाज को सुन सुन के जिक्रे हूर
जलवा बुतों का देख के नीयत बदल गई।

जो यह चाहते थे कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय बनें, हमारा स्थान ऊंचा हो, वे दुबारा आज भंगी और चमार बनने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज में कर्म प्रधान रहा है। बाल्मीकी भंगी थे, रवीदास चमार थे, नाम देव धोबी थे, इन्हें हम अवतार मानते हैं। हर को भजे सो हर का होय, जांति पांति पूछे न कोय। इसलिये अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाति के नाम पर, वर्ग और सम्प्रदाय के नाम पर आप रिजर्वेशन रखते हैं तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकता है, वह फेल हो जायगा। जब हम कहते हैं कि सभी को बराबर के हकूक दिये जा रहे हैं तो इस के लिये यह जरूरी है कि समाज के हर प्राणी को बराबर का मौका आप दें। मैं मानता हूं कि हरिजन और शैड्यूल्ड कास्ट जो बने हैं, वे हमारे अत्याचारों, हमारे अन्याय से बने हैं और उन को ऊपर उठाने का हर सम्भव उपाय किया जाना चाहिये और अगर जरूरी हो तो उन की खातिर टैक्स लगा कर के या किसी और तरह से उन को समाज में ऊंचा उठाया जाय लेकिन ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिये जिस से एडमि-

निस्ट्रेशन में इस तरह की बू आय कि राजपूत या ब्राह्मण या चमार या भंगी को इस आधार पर लिया जाय कि वह भंगी है या चमार है और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही खतरनाक होगा । यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि काबलियत का सम्मान हो, चरित्र का सम्मान हो और हमारे जो आई० ए० एस० आफिसर्स हैं वे इलैक्शन की आँधियों से दूर रहें और उन की काबलियत और उन के चरित्र का सम्मान हो । उन का मुआयना लिखने का अधिकार उन से कम पढ़े हुए किसी आदमी को कभी भी नहीं दिया जाना चाहिये ।

हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा ।

अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, ज्यादा विद्वान आदमी है, उसका मुआयना आप किसी कम पढ़े लिखे आदमी से लिखवाते हैं और उसको यह अधिकार देते हैं तो आप का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जायगा । यह अनर्थ है, पाप है ।

मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट में पिछड़ी जातियों के लिये रिजर्वेशन होना चाहिये, असम्बलीज़ में होना चाहिये । लेकिन सर्विसिस में नहीं होना चाहिये और फेयर कम्पीटीशन में सबको कम्पीट करने का समान अधिकार होना चाहिये । मैं जानता हूं कि छः छ : करोड़ जिस जाति के मेम्बर हैं, उनको यहाँ पर बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है, एक भी गुजरों का मेम्बर इस सारे हाऊस में नहीं है, न काँग्रेस का और न ही अपोजीशन वालों का । चाहे चमार, भंगी या कोई और बैकवर्ड जाति का हो, उन को बकायदा टिकट दे कर के, उन को बाकायदा सम्मान दे कर के पार्लिमेंट में आप लायें, असेंबलीज़ में भेजें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है लेकिन जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, इस में सचमार के, राजपूत के, ब्राह्मण के, बनियों के सवाल को आप खत्म करें । अगर आप ने ऐसा किया तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा ।

हमारे गृह मंत्री जी बड़े विद्वान हैं और मैं उन का आदर करता हूं । मैं समझता हूं कि अगर उन को कोई सजशन दिया जायगा और वह ठीक होगा तो वह उसको मान लेंगे और कोई वजह नहीं है कि हम भी अपने आप को उन के कथनानुसार ढालने की कोशिश न करें । लेकिन जरूरत इस बात की है कि समाज के चरित्र को हम ऊंचा करें और एक कलम अंग्रेज़ी को खत्म करें, एक कलम दुश्चरित्रता को खत्म करें । तम्बाकू पीने वाला, शराब पीने वाला, गन्दे सिनेमा देखने वाला कोई भी आदमी पब्लिक सर्विस में न आ सके, इस तरह का इंतज़ाम हो जाना चाहिये ।

हमारे देश का निर्माण हो, हमारा देश एक परिवार की भांति आगे बढ़े, ऊंच नीच का, छुत अछुत का कोई लिहाज़ न हो और जब इस तरह की बातें हो जायेंगी तब हमारा देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकेगा, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है । अगर ऊंच नीच का, बड़े छोटे का सवाल रहा तो देश आगे नहीं बढ़ सकेगा ।

जो नौजवान इस साल अपीयर होने वाले हैं, उनके सम्बन्ध में मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन को अंग्रेज़ी से वह एग्ज म्पशन दिलायें । यह देश के ऊपर कलंक है । आज भी काबलियत का मैयार अंग्रेज़ी को माना जाता है । इस कलंक को सब से पहले हटाने की जरूरत है । अगर इस कलंक को नहीं हटाया जायगा तो देश का चरित्र गिरता चला जायगा । इस वास्ते इस ओर सब से पहले ध्यान देने की जरूरत है । पब्लिक सर्विसिस और पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा हम देश का निर्माण कर सकते हैं और मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भर्ती

की हम एक ऐसी प्रणाली और एक ऐसा तरीका अख्तियार करें जिस में देशभक्ति और चरित्र पनप सके और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह ऊंचे से ऊंचे दर्जे का और अच्छे से अच्छा हो ताकि हम शेष संसार के सामने एक आदर्श उपस्थित कर सकें ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : सभापति महोदय, ठाकुर साहब ने जो अभी सुन्दर उपदेश दिया है, उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना है । भारतीय संस्कृति के बड़े बड़े नारे हम सुनते आ रहे हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में जातपांत लाने के लिये कौन जिम्मेदार है, क्या चमार जिम्मेदार है, भंगी जिम्मेदार है या ऊंची जात वाले जिम्मेदार हैं । मैं तो कहता हूं कि तुम विश्वकर्मा हो, तुम उसके रचयिता हो, तुमने इसको बनाया है, हमने नहीं बनाया है । हम तो कहते हैं कि इसको मिटा दो । इस काम में हम आपसे दो कदम आगे हैं । हम आपसे ज्यादा आगे हैं । मान्यवर एकलव्य का नमूना इस देश के अन्दर मौजूद है, इतिहास के पन्नों में मौजूद हैं । मैं इसको खुले आम कहता हूं और मैं चाहता हूं आप इसको सुन लें। द्रौणाचार्य ने एकलव्य के साथ बेईमानी की थी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि अर्जुन से वह आगे बढ़ जाए । एकलव्य जाकर जंगलों में पूजा करने लग गया और उसने ऐसा वाण मारा । कुत्ते के मुंह में कि उसको कोई चोट नहीं आई ।

मान्यवर, आज होता क्या है ? इम्तिहान होते हैं और इनमें हमारे लड़के टाप करते हैं, जो लिखित पेपर होते हैं उनमें वे टाप करते हैं । लेकिन जब प्रैक्टिकल होता है तो उनका मुंह देखा जाता है और कहा जाता है कि ये काले कलूटे कहां से आ गए । अलाहाबाद का किस्सा मुझे मालूम है । वहां के एक लड़के ने जो मेरे ही जिले का है, कमीशन के इम्तिहान में टाप किया था । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हम आपसे या किसी दूसरे से कमज़ोर नहीं हैं । मुझे इस बात का गुमान है कि मैं हरिजन का बेटा हूं और समाज को कमा करके खिलाता हूं, सोसाइटी को खिलाता हूं । हम में दम है और आप हमारी कमाई पर मौज उड़ा रहे हैं । मैं आपको मिलिटरी के लिये नौजवान दे सकता हूं, जिस किसी क्षेत्र के लिये आप आदमी चाहें मैं आपको दे सकता हूं । लेकिन मैं चाहता हूं कि तराजू के पलड़ों में आप सबको बराबर बराबर नापें । किसी के साथ भी बेइंसाफी नहीं होनी चाहिये । इस रिपोर्ट में यह दर्ज है कि पिछले साल एक हरिजन मैम्बर था वह भी अब नहीं है । क्या कहूं मैं इस पन्ने को । दीगरां नसीहत, खुद फज़ीहत । एक नोट हमारे पास है । मेरी एक बहन बैठी हुई थीं और वह हम से जिक्र कर रही थीं कि जब सर्विस खाली होती है तब कैंडीडेट्स का चुनाव होने लगता है और जब कैंडीटेट का चुनाव होता है तो सर्विस पैदा की जाती है । यह एक आम कहावत है कि "चिराग तले अन्धेरा" । लेकिन इसके लिये जिम्मेदार कौन हैं ? जो अपने को बड़े आदमी कहलाते हैं । आज २० परसेन्ट लोगों के लिये सब कुछ है जो कि इस देश के अन्दर "मम्मी, मम्मा और ड्डी, डड्डा" की जमात पैदा कर रहे हैं । आज चमार, ब्राह्मण का झगड़ा एक तरफ हो गया और "मम्मी, मम्मा और डड्डी, अड्डा" का दूसरा क्लास देश में पैदा हो रहा है । इसका क्या हल आप करेंगे ? हमको आप छोड़ दीजिये कि यह चमार है, ब्राह्मण है या ठाकुर है । यह तो माइनस हो गया और "मम्मी, मम्मा और डड्डी", डड्डा" वाली जमात आगे आ रही है । मैं भारतीय संस्कृति का उपासक हूं, हिन्दी राष्ट्रभाषा का उपासक हूं । इस पार्लियामेंट में बैठ कर, इस पार्लियामेंट हाउस में राष्ट्र के महान् नेताओं के पास बैठकर हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाया था । मुझे वह दिन याद है जब सन् १९४६ में मैं माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन के पास गया था । मैंने दो लफ्ज अंग्रेजी के बोले तो टण्डन जी ने कहा : "आर्य, आर्य, तुम हिन्दी नहीं जानते, तुम हिन्दी नहीं जानते ? मैं सन्न हो गया । उस दिन से आज तक मैं उनका अनुग्रहीत हूं, मैं हिन्दी का विद्यार्थी रहा हूं । नार्मल हिन्दी में पास किया, एडवान्स हिन्दी में पास किया और बी० ए० में भी हिन्दी ली । आज भी हिन्दी का पोषक हूं लेकिन किसी भाई के ऊपर मैं उसको

[श्री शिव नारायण]

थोपना नहीं चाहता। संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा रही है। कब ? गुप्तकाल में भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत रही। आप हैं कहां ? आप अपनी संस्कृति का दम भरते हैं, रामराज्य का दम भरते हैं, लेकिन उधर आना नहीं चाहते। पढ़ो संस्कृत। दक्षिण हिन्दुस्तान वाले भाई भी हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन आप उर्दू और हिन्दी को मिला कर ब्राडकास्टिंग करवाते हैं। यह जो घपलेवाजी है उसको आप चेक क्यों नहीं करते ? मैं तो ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मैं तो चौथी स्टेज का आदमी हूं। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और शूद्र। अरे, तुम स्वर्ग में रहोगे, तो हम भी स्वर्ग में रहेंगे और अगर नर्क में रहोगे तो नर्क में रहेंगे। हम तो सबसे पीछे हैं। मेरे मित्र ने कहा, मैं उनको चैलेंज करता हूं (**अन्तर्बाधायें**) आप सुनिये। मैं चैलेंज करता हूं कि आप इस रिजर्वेशन को माइनस कीजिये। मैंने यू० पी० असेम्बली में कहा था, यहां भी रिपीट करता हूं कि इस रिजर्वेशन को माइनस करो। मैं पंडित नेहरू की सरकार से यह चीज कहना चाहता हूं। मैंने डा० सम्पूर्णानन्द की सरकार को ३६ पेज का जवाब लिख कर दिया था इस रिजर्वेशन के प्रश्न के ऊपर। हम कलैक्टर नहीं होना चाहते हैं, हम एस० पी० नहीं होना चाहते हैं, मगर क्या हम चपरासी भी नहीं हो सकते ? चौकीदार नहीं हो सकते ? थानेदार नहीं हो सकते? मातहत वाली जगह भी हमको नहीं मिल सकती? क्या हम डिप्टी मिनिस्टर नहीं हो सकते ? प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू हैं लेकिन क्या हम मिनिस्टर भी नहीं हो सकते ? आखिर आप चाहते क्या हैं ? जब नियत दुरुस्त हो तो सब कुछ दुरुस्त हो सकता है।

मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी से भी पीछे नहीं हैं। पब्लिक सर्विस कमिशन के ऊपर मेरा चार्ज है कि वहां ईमानदारी से काम नहीं लिया जाता। आप ईमानदारी से थिअरी को ले लीजिये, प्रैक्टिकल को छोड़ दीजिये। जिस लड़के को रिकमन्डेशन मिल जाय प्रिंसिपल से या यूनीवर्सिटी से कि हां बेअर्स ए गुड मारल कैरेक्टर उसको ले लीजिये। लेकिन हम एम० एल० एज और एम०पीज से रिकमेन्डेशन मांगते हैं। इतना परेशान करते हैं कि जिसका ठिकाना नहीं है। अभी हाल ही में मैंने यहां दस्तखत किया और ६ तारीख को बस्ती गया एक लड़के को शेड्यूल्ड कास्ट होने का सर्टिफिकेट दिलाने के लिये। इस चीज को रेकार्ड किया जाय, मेरी फाइल में सारे कागज मौजूद हैं। एक लड़के ने २० आने का टिकट लगाया; मैंने सर्टिफिकेट दिया, हरिजन वेलफेअर आफिसर ने सर्टिफिकेट दिया कि वह हरिजन है, लेकिन उसके बाद कलैक्टर को एक क्लर्क ने चरका दिया और वह बेचारा लड़का सर्टिफिकेट नहीं पा सका। मुझ से कहा कि ऐफिडेविट दाखिल कीजिये। मैंने कहा कि मैं ५ लाख आदमियों का रिप्रेजेन्टेटिव हूं और लाख या डेढ़ लाख वोट मुझे मिले हैं। लेकिन फल यही हुआ। मैंने लड़के से पूछा कि क्या ऐफिडेविट दूं ? उस लड़के ने कहा कि आप मत लिखिये। मैं कहना चाहता हूं कि हरिजन किसी से भी पीछे नहीं हैं। वे कमा कर खाते हैं, अपने कन्धों पर बन्दूक रख कर चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में डट सकते हैं। हम किसी भी तरह कमजोर नहीं हैं। फाइनेन्स बिल पर बोलते हुए मैंने कहा था और आज फिर रिपीट करता हूं कि हम कमजोर नहीं हैं। न पढ़ने में कम हैं और न लिखने में कम हैं। हां, हमारे अन्दर गरीबी जरूर है।

मैं राजा साहब की इस बात से सहमत हूं कि ४० वर्ष की उम्र से नीचे के किसी आदमी को कलेक्टर न बनाया जाय। पब्लिक सर्विस कमिशन उनका सेलेक्शन न करे। जिस दिन मैं आया था हमारे गवर्नर साहब के पी० ए० और चेअरमैन, कौंसिल के पी० ए० दोनों में बातचीत हो रही थी कि हमारे यूपी में बारह-बारह वर्ष से लोग काम कर रहे हैं जिनको गवर्नमेंट ने अप्वाइंट किया था। अब उन लोगों को पब्लिक सर्विस कमिशन में भेजा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा था वह कोई याद थोड़े ही है, शैली की पोएम याद थोड़े ही है। उनको पब्लिक सर्विस कमिशन

में मत भेजिये। वे अपनी नौजवानी में सर्विस में आये, अब इतनी उम्र में उनको पब्लिक सर्विस कमिशन के सामने भेजा जाय, इसे मैं घपलेबाजी समझता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमिशन में भी स्टैन्डर्ड के आदमी रखे जायें और हर आदमी को उचित अवसर दिया जाये। जब आपने खुद इस किस्म का ढांचा बनाया है तो उसमें चमार लिया जाय, ब्राह्मण लिया जाय, ठाकुर लिया जाय, मुसलमान लिया जाय। उनके लिये सीट्स रिजर्व होनी चाहिये। यह ढांचा हर एक पब्लिक सर्विस कमिशन में रखा जाना चाहिये। वहां पर हरिजन भी होना चाहिये, ब्राह्मण होना चाहिये, मुसलमान होना चाहिये। तभी देश का ढांचा ठीक होगा और ईमानदारी सब जगह आयेगी। पब्लिक सर्विस कमिशन भी अच्छे अच्छे आफिसर्स का सेलेक्शन कर सकेगा।

आप देखिये कि हमारे पब्लिक सर्विस कमिशनों में सेलेक्शन का तरीका क्या है। हमारे यहां सेलेक्शन हो रहा था। हमारे मिनिस्टर साहब ने पूछा कि जो हैल्थ मिनिस्टर चरन सिंह हैं उन्होंने यह कानून बनाया वह कैसा है? कैन्डिडेट ने कहा कि ठीक बनाया। उस लड़के को सिफर दे दिया गया। क्वेश्चन पूछने के अजीब अजीब ढंग हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। सवाल पूछने की एबिलिटी होनी चाहिये और साथ में ईमानदारी होनी चाहिये। इस चीज को मुल्क में क्रिएट करना चाहिये।

मैं ठाकुर साहब से कहना चाहता हूं कि वे जरा नीचे उतरें। सही मानों में जिम्मेदारी से इस सदन में काम करें। कहा जाता है कि हम नीचे हैं, वे ऊपर हैं, वे बड़ी मूंछ वाले हैं, हम उनके पीछे हैं। हम पिछवाड़े रहते हैं और पिछड़े कहे जाते हैं, लेकिन हम उनसे एक इंच पीछे नहीं हैं। हम ईमानदारी में, त्याग में, तपस्या में और मुल्क की रक्षा करने में उनसे एक इंच भी पीछे नहीं हैं। हम चाहते हैं कि "चिराग तले अंधेरा" वाली बात को माइनस किया जाये और इस देश में शुद्ध शुद्ध कार्य किये जायें, तभी पब्लिक सर्विस कमिशनों का कल्याण हो सकेगा, हरिजनों का कल्याण हो सकेगा और देश का कल्याण हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस रिपोर्ट का समर्थन करता हूं।

श्री यलशपाल सिंह : आप हरिजन नाम छोड़ दीजिये। आप अपने को चमार क्यों कहते हैं?

श्री शिव नारायण : आप कहते हैं, इसलिये मैंने कहा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : किसी विभाग के लिए अभ्यर्थियों के चुने जाने के समय उस विभाग का अधिकारी उपस्थित नहीं होना चाहिए। उससे पक्षपात हो सकता है।

प्रवरण के बाद अभ्यर्थियों को आदेश भेजने में काफी देरी की जाती है। इस देरी को कम किया जाना चाहिये।

बिहार में एक भारतीय प्रशासन सेवा का अधिकारी टाटा जैसी गैर-सरकारी कम्पनी को दे दिया है। वहां वह बहुत अधिक वेतन ले रहा है।

†**श्री भगवत झा आजाद** (भागलपुर) : माननीय सदस्य व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं। क्या यह उचित है?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इसके बारे में कल माननीय मंत्री ने प्रश्न का उत्तर दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : साधारण नियम यह है कि व्यक्तियों के नाम नहीं लिए जाने चाहिएं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं नाम नहीं लूंगा । वह अधिकारी बहुत वेतन और भत्ता लेता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मामला लोक सेवा आयोग को भेजा गया था ।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य को इसकी सूचना देनी चाहिए थी । मैं इस नियम को बाह्य करार देता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वह उत्तर दें या न दें । यह माननीय मंत्री की जानकारी के लिए है । ऐसी चीजें भी होनी चाहिएं । आज नहीं तो फिर माननीय मंत्री इसका उत्तर दे दें ।

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : कुछ सदस्यों ने कहा है कि सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रवेश से स्तर में गिरावट आई है । इससे बहुत दुःख हुआ है । उनमें योग्यता की कमी नहीं है । उनके प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए ।

ऐसा कहा जाता है कि लिखित परीक्षा में तो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी पास हो जाते हैं, परन्तु मौखिक परीक्षा में रह जाते हैं । सरकार को चाहिए कि जैसा कि उनके प्रशिक्षण के लिए अलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कुछ प्रबन्ध किया है वैसा प्रबन्ध अन्य विश्वविद्यालय भी करे ।

मैं इसे ठीक मानता हूं कि सेवाओं में सच्चरित्र व्यक्ति ही लिये जाने चाहिएं । सच्चरित्र को जानने के लिए कसौटी निर्धारित करना बहुत कठिन है ।

संघ लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति के सदस्य के होने से अनुसूचित जाति के व्यक्ति को न्याय की आशा रहती है । लोक सेवा आयोग का एक पद खाली पड़ा है । उस पद पर अनुसूचित जाति या आदिम जाति के किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए ।

श्री कि० पटनायक (सम्बलपुर) : सभापति महोदय, आज सदन में यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के बारे में जो चर्चा हो रही है उस चर्चा के अन्दर देश के जो शासन करने वाले लोग हैं उनके बारे में चर्चा होना लाजिमी है ।

अभी एक माननीय सदस्य ने इस बात का जिक्र किया कि इस देश में अभी जो आई० ए० एस० आफिसर्स हैं उनको आई० सी० एस० आफिसर्स से इनफीरियर समझा जाता है । यह आम धारणा लोगों में है कि ब्रिटिश जमाने में जो आई० सी० एस० आफिसर्स होते थे वह लोग आजाद हिन्दुस्तान के इन आई० ए० एस० आफिसर्स से कुछ ज्यादा अच्छे थे । ऐसा कहना शायद ठीक ही है कि अभी आजाद हिन्दुस्तान के आई० ए० एस० आफिसर्स पहले के आई० सी० एस० आफिसर्स से खराब हैं, इनफीरियर हैं या उतने अच्छे नहीं हैं और उसका मूल कारण यह है कि अफसर लोगों को चुनने का जो आधार उस जमाने में था यानी गुलामी के जमाने में जो आधार था आज भी उसी आधार को अभी तक कायम रखा गया है । पब्लिक सर्विस कमिशन अफसरों का आज भी उसी ढंग से सेलेक्शन करता है जिस ढंग से कि ब्रिटिश जमाने में सेलेक्शन हुआ करता था । गुलामी के जमाने में गुलामी भी एक आधार था यानी जो उस समय देश के दुश्मन होते थे उन लोगों को इस आई० सी० एस० कैडर में आना ज्यादा आसान हो जाता था । अभी भी खैर उनको मैं देश के दुश्मन तो नहीं कहूंगा लेकिन जनता के या और लोगों के जो दुश्मन होते हैं उनको भी आज इस आई० ए० एस० कैडर में आना आसान है । ....

---

†मूल अंग्रेजी में

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण परसों जारी रखें ।

श्री पटनायक : ठीक है, धन्यवाद ।

कार्य मंत्रणा समिति

चौथा प्रतिवेदन

---

†**श्री राने (बुलडाना)** : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इस के पश्चात् लोकसभा की बैठक गुरुवार, १६ अगस्त, १९६२/श्रावण २५, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगलवार, १४ अगस्त, १९६२

२३ श्रावण, १८८४ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		८१८—४६
तारांकित प्रश्न संख्या		
२६९	उड़ीसा में लौह अयस्क का आयात	८०९—११
२७०	राज्यों द्वारा लगाये गये अतिरिक्त कर	८११—१३
२७१	औद्योगिक परियोजनाओं को लाइसेंस देना	८१३
२७२	पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार	८१४—१६
२७३	टैंगेनिका में भारतीय	८१६—१८
२७४	पुनर्वास योजनाओं का मूल्यांकन	८१८—२१
२७५	जम्मू में कागज का उत्पादन	८२१–२२
२७६	श्रमजीवी पत्रकारों के लिये दूसरा मजूरी बोर्ड	८२२–२३
२७७	अमेरिका से कपास का आयात	८२४–२५
२७८	सोवियत रूस को केलों का निर्यात	८२५—२७
२८०	अफगानिस्तान को निर्यात	८२७–२८
२८१	बिजली के विकास का ढांचा	८२८—३०
२८२	पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय मछुए का अपहरण	८३०–३१
२८३	आसाम में शरणार्थियों का पुनर्वास	८३१–३२
२८४	एक्स-रे फिल्में	८३२
२८६	जापान को भारतीय सांस्कृतिक शिष्टमंडल	८३३–३४
२८८	राज्य-क्षेत्र में मजदूर काननों का लागू होना	८३५–३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		८३६—७८
तारांकित प्रश्न संख्या		
२७९	संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन	८३६
२८५	बम्बई में फोम ग्लास फैक्टरी	८३६–३७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

२८७ मनीपुर में कागज बनाने का कारखाना . . . ८३७
२८९ बिजली उत्पादन की सापेक्ष आर्थिक लागत . . ८३७
२९० मकाओ में भारतीय ८३७
२९१ नेपाल में विकास परियोजनायें . . . ८३८
२९२ पांडीचेरी में कपड़ा उद्योग . . . ८३८
२९३ तारापुर में विद्युत् संयंत्र ८३८
२९५ पुर्तगाल और ब्राजील जाने वाले गोआनी . . ८३९
२९६ टेलस्टार संचार उपग्रह परियोजना . . . ८३९
२९७ पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना . . ८३९–४०
२९८ निर्यातकों के लिये ऋण सुविधायें . . ८४०
२९९ नेपाल में सड़कें ८४०–४१
३०० पश्चिमी योरोपीय देशों को लौह अयस्क का निर्यात . ८४१
३०१ गोआ के मछुवे . . . ८४१–४२
३०२ बेरुबाड़ी में क्षेत्रों का सीमांकन . . . ८४२
३०३ कपड़े का निर्यात ८४२–४३
३०४ ग्राम्य औद्योगिक परियोजनायें ८४३
३०५ समाचार पत्र उद्योग में एकाधिकार प्रवृत्तियां . ८४३–४४
३०६ उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना . . ८४४
३०७ दण्डकारण्य परियोजना की वित्तीय स्थिति . . ८४४
३०८ पुस्तकों का आयात . . . ८४४
३०९ दैनिक समाचार पत्रों के मूल्य ८४४–४५
३१० इस्पात कारखानों को लौह अयस्क का संभरण . . ८४५
३११ तिब्बत में भारतीय व्यापारियों के साथ चीन का व्यापार . ८४६
३१२ भूटान का विकास ८४६
३१३ पाकिस्तानियों द्वारा दो भारतीयों का अपहरण . . ८४७

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६४६ त्रिपुरा को औद्योगिक ऋण ८४७
६४७ दण्डकारण्य योजना ८४८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६४८	इलमैनाइट का उत्पादन	८४८
६४९	प्रेस क्लब आफ इण्डिया की इमारत	८४९
६५०	त्रिपुरा के चाय बागानों में श्रम विवाद	८४९
६५२	त्रिपुरा में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों का वर्गीकरण	८४९
६५३	कोडयार जल विद्युत् योजना	८५०
६५४	लकड़ी की वस्तुओं का निर्यात	८५०
६५५	जम्मू तथा काश्मीर में खिलौना उद्योग	८५०
६५६	दिल्ली और तीसरी योजना	८५०-५१
६५७	केरल का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण	८५१
६५८	ग्रामीण शरणार्थियों का पुनर्वास	८५१
६५९	काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक	८५१-५२
६६०	गोआ में श्रम कानूनों का विस्तार	८५२
६६१	निर्यात संवर्द्धन	८५२
६६२	आस्ट्रेलिया से रुटाइल का आयात	८५३
६६३	केन्द्रीय आवास बोर्ड	८५३
६६४	नागालैंड के लिये धन का आवंटन	८५३-५४
६६५	यूगोस्लाविया के साथ व्यापार	८५४
६६६	कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में दुर्घटना	८५४
६६७	ग्राम उद्योग	८५४-५५
६६८	साइकलों के मूल्य	८५५
६६९	साइकलों का निर्यात	८५५-५६
६७०	खेल के सामान के कारखाने	८५६-५७
६७१	खेल के सामान का उत्पादन	८५७
६७२	कपड़े का निर्यात	८५७
६७३	छोटे पैमाने के बैटरी उद्योग	८५८
६७४	नारियल का उत्पादन	८५८-५९
६७५	निर्माण लागत में कमी सम्बन्धी समिति	८५९
६७६	नाटक मंडलियां	८५९
६७७	बागानों के लिये मशीनों आदि का आयात	८६०

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या

६७८ सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों को मुआवज़ा . . . ८६०
६७९ विस्थापित व्यक्ति ८६०–६१
६८० चीनी मजूरी बोर्ड ८६१
६८१ शिमला नगरपालिका को देय कर . . . ८६१
६८२ राष्ट्रपति भवन, शिमला ८६१–६२
६८३ द्वितीय पंच वर्षीय योजना की क्रियान्विति . . ८६२
६८४ अखबारी कागज ८६२–६३
६८५ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रलेखीय चलचित्रों का प्रदर्शन . . ८६३
६८६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट . . . ८६३
६८७ केन्द्रीय सरकार के उपक्रम ८६३
६८८ कोयला खनिकों के लिये जूते ८६४
६९० जम्मू तथा काश्मीर में श्रमिक नियमों का लागू किया जाना . ८६४
६९१ व्यापार तथा पण्य अधिनियम ८६४
६९२ केरल का उद्योगीकरण ८६५
६९३ कास पहाड़े से कागज़ बनाना ८६५
६९४ अखिल भारतीय पत्तन और गोदी श्रमिक . . ८६५–६६
६९५ गोआ में न्यायालय ८६६
६९६ दिल्ली में हाथ से बुनाई करने वाले एकक . . ८६६
६९७ इंजीनियरिंग निर्यात सम्वर्द्धन परिषद् . . . ८६६–६७
६९८ उत्तरी कोरिया के साथ व्यापार करार . . . ८६७
६९९ मदुरै में कपड़ा मिलें ८६७
७०० ग्रेट ब्रिटेन के लिये पासपोर्ट ८६७–६८
७०१ वस्तुओं के मूल्य ८६८
७०२ मजदूर संघ ८६८
७०३ भारत-पाक सम्मेलन ८६८–६९
७०४ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियां . . . ८६९
७०५ श्रमिक अधिनियमों में संशोधन . . . ८६९–७०
७०६ आज़ाद मार्केट, दिल्ली ८७०
७०७ कोयले और परिवहन का अभाव . . . ८७०–७१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७०८	भारत-पाक पुलिस द्वारा एक दूसरे पर गोली चलाया जाना	८७१
७०९	गोआ, दमन और दीव में आयातकर्त्ता	८७१–७२
७१०	जोधपुर में रेडियो स्टेशन	८७२
७११	आयात किये गये रेशम का मूल्य	८७२–७३
७१२	कोठागुडियम् में कोयला भविष्य निधि का उप-कार्यालय	८७३
७१३	सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी	८७३
७१४	सिंगरेनी कोयला खान	८७४
७१५	साइकल उद्योग	८७४–७५
७१६	काफी का निर्यात	८७५
७१७	श्रम अनुसन्धान के लिये केन्द्रीय संस्था	८७५
७१८	उल्टाडांगा कलकत्ता में शरणार्थी मंडी	८७५–७६
७१९	पाकिस्तान में छोड़े गये पवित्र धर्म-स्थान	८७६
७२०	नकली रुई के कारखाने	८७६
७२१	आसाम में चाय नीलाम मंडी	८७६
७२२	चाय का उत्पादन	८७७
७२३	चाय बागान का विकास	८७७
७२४	विदेशों में भारतीय मिशन	८७७–७८
७२५	जम्मू और काश्मीर में भारत-पाक सीमान्त पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	८७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ८७८—८०

(१) श्री यशपाल सिंह ने पश्चिम बंगाल—पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा खाइयां खोदे जाने के समाचार की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया था ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री मनीराम बागड़ी ने नैनीताल जिले (उत्तर प्रदेश) में काशीपुर के निकट एक माल गाड़ी से एक बस के टकरा जाने की आर, जिसके

विषय पृष्ठ

परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई अन्य व्यक्ति घायल हो गये, रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया ।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ८८१

(१) वर्ष १९६०–६१ के लिये भारतीय सांख्यकीय संस्था, कलकत्ता के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ४ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४४४ की एक प्रति ।

(३) निर्यात निरीक्षण मंत्रणा परिषद् की रचना करने वाले दिनांक १२ जुलाई, १९६२ के सरकारी संकल्प संख्या ५५(१) ईपी (कोआर्डिनेशन)/।६२ की एक प्रति ।

(४) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १८ जून, १९६२ के सरकारी संकल्प संख्या सीएच (१)–६(९)/६१ की एक प्रति ।

(५) कोयला खनन उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित करने वाले दिनांक १० अगस्त, १९६२ के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी–१६(१)/६२ की एक प्रति ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ८८१–८२

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) ने दिल्ली में विद्युत् संभरण की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

भारत चीन सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . . ८८२—८९२

भारत चीन सीमा स्थिति के गारे मैं प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने वाद विवाद का उत्तर दिया । श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी और श्री प्र० के० देव द्वारा प्रस्तुत किये गये स्थानापन्न प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये गये तथा चर्चा समाप्त हुई ।

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . ८९२—९११

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव किया कि सभा १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग की ग्यारहवीं प्रतिवेदन पर, उस पर सरकारी ज्ञापन सहित जो १८ जन, १९६२ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विषय पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन--उपस्थापित . . . ९११

चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

बुधवार, १६ अगस्त, १९६२/२५ श्रावण, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि . . . . . .

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर च र्ा ।

रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—1574(Ai)—LSD—13-12-62—140